

अध्याय–II

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से सम्बंधित
अनुपालन लेखापरीक्षा प्रेक्षण

अध्याय-II

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से सम्बंधित अनुपालन लेखापरीक्षा प्रेक्षण

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा किये गए संव्यवहारों की नमूना जाँच में पाये गए महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा प्रेक्षणों को इस अध्याय में सम्मिलित किया गया है।

लोक निर्माण विभाग

उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड

2.1 'उच्च स्तरीय कैंसर संस्थान के निर्माण' की लेखापरीक्षा

परिचय

2.1.1 राज्य में गुणवत्ता और वहन करने योग्य कैंसर रोग देखभाल की कमी को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार (जीओयूपी)¹ ने 100 एकड़ के क्षेत्र में एक उच्च स्तरीय कैंसर संस्थान (कैंसर संस्थान) मेडिसिटी, चक गंजरिया फार्म, लखनऊ में बनाने का निर्णय लिया (जून 2013)। प्रस्तावित कैंसर संस्थान के विनिर्देशों को ध्यान में रखते हुए, जीओयूपी ने यह भी निर्णय लिया (जून 2013) कि निर्माण सिग्नेचर बिल्डिंग² के लिए निर्धारित प्रणाली/प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा (परिशिष्ट-2.1)।

उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड (यूपीआरएनएन) को निष्पादन एजेंसी के रूप में नामित किया गया (जून 2013), आर्कोहम कंसल्ट्स (आर्किटेक्ट) को खुली निविदा के बाद गुणवत्ता आधारित चयन (क्यूबीएस) प्रणाली को अपनाकर आर्किटेक्ट के रूप में चयनित किया गया (फरवरी 2014) एवं गुणवत्ता नियंत्रण के लिए उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग द्वारा सूचीबद्ध फर्मों में से मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिश पर मुकेश एंड एसोसिएट्स (सलाहकार) को तृतीय पक्ष सलाहकार के रूप में चयनित किया गया (नवम्बर 2014)।

कैंसर संस्थान के ओपीडी ब्लॉक



¹ चिकित्सा शिक्षा और प्रशिक्षण निदेशालय।

² सिग्नेचर बिल्डिंग सरकार की प्रख्यात एवं सर्वोत्कृष्ट परियोजनाओं की बिल्डिंग होती है। जीओयूपी कुछ भवनों को सिग्नेचर बिल्डिंग के रूप में नामित करती है जिनका निर्माण उ.प्र. सरकार के आदेश दिनांक 11 जून 2013 के तहत निर्धारित प्रणाली/प्रक्रिया के अनुसार किया जाना है, जैसा कि परिशिष्ट-2.1 में बताया गया है।

चिकित्सा शिक्षा विभाग, जीओयूपी ने ₹ 854.51 करोड़³ की लागत पर कैंसर संस्थान के निर्माण हेतु प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की (फरवरी 2015)। तत्पश्चात, यूपीआरएनएन ने निर्माण के लिए ई-निविदा आमंत्रित की (अगस्त 2015) तथा ₹ 796.76 करोड़ की लागत पर शापूरजी पॉलनजी एंड कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड (निर्माण एजेंसी)⁴ को कार्य प्रदान किया (सितम्बर 2015)। कार्य प्रारम्भ करने और पूर्ण करने की निर्धारित तिथियां क्रमशः 23 अक्टूबर 2015 और 22 अक्टूबर 2017 थी। परियोजना की स्वीकृत लागत को बाद में संशोधित कर (मई 2020) ₹ 805.28 करोड़ कर दिया गया। निर्माण कार्य अभी भी प्रगति पर था और यूपीआरएनएन द्वारा परियोजना पर ₹ 698.24 करोड़ का व्यय किया गया था (मार्च 2021)।

यूपीआरएनएन को परियोजना की निष्पादन एजेंसी होने के नाते, प्राक्कलन तैयार करना, निविदाओं का आमंत्रण, कार्य का निरीक्षण, पर्यवेक्षण और गुणवत्ता नियंत्रण आदि जैसी सेवाएं प्रदान करना था। प्राक्कलन तैयार करने से सम्बंधित अपने कार्य में इसे आर्किटेक्ट द्वारा सहायता प्रदान की जानी थी और गुणवत्ता नियंत्रण के उद्देश्य से इसे सलाहकार द्वारा सहायता प्रदान की जानी थी। निर्माण कार्य निर्माण एजेंसी द्वारा यूपीआरएनएन की देखरेख में किया जाना था। इस प्रकार, प्राक्कलन तैयार करने और गुणवत्ता नियंत्रण सहित परियोजना के निष्पादन की समग्र जिम्मेदारी यूपीआरएनएन की थी।

वर्तमान लेखापरीक्षा (नवम्बर –दिसम्बर 2020) यूपीआरएनएन द्वारा परियोजना के निष्पादन की जाँच करने के लिए की गयी थी। लेखापरीक्षा के दौरान, परियोजना की स्थापना से नवम्बर 2020 तक की अवधि के लिए परियोजना से सम्बंधित यूपीआरएनएन की इकाइयों⁵ और मुख्यालयों के अभिलेखों की जाँच की गयी।

लेखापरीक्षा प्रेक्षण 2 फरवरी 2021 को यूपीआरएनएन को और 21 मई 2021 को जीओयूपी को निर्गत किये गए थे। जीओयूपी/यूपीआरएनएन के उत्तरों को प्रतिवेदन में उपयुक्त रूप से सम्मिलित किया गया है।

लेखापरीक्षा परिणाम

2.1.2 वित्तीय औचित्य के सिद्धांत यह बताते हैं कि प्रथम दृष्टया व्यय अवसर की मांग से अधिक नहीं होना चाहिए, और सरकारी धन के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार अधिकारियों को सार्वजनिक धन से किये गए व्यय के सम्बंध में जैसे एक व्यक्ति अपने स्वयं के धन के व्यय के सम्बंध में सामान्य विवेक प्रयोग करता है, समान सतर्कता बरतनी चाहिए।

लेखापरीक्षा ने प्राक्कलन तैयार करने एवं निष्पादन सहित परियोजना के कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में कई कमियाँ पायीं। लेखापरीक्षा परिणामों पर आगामी प्रस्तारों में चर्चा की गयी है।

बढ़े हुए प्राक्कलन को बनाने के कारण अतिरिक्त व्यय

2.1.3 चिकित्सा शिक्षा विभाग, जीओयूपी ने कैंसर संस्थान के निर्माण हेतु कार्य की लागत ₹ 796.84 करोड़ धनराशि को शामिल करते हुए ₹ 854.51 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की (फरवरी 2015)। कार्य की प्राक्कलित लागत के मुख्य घटकों का विवरण **परिशिष्ट-2.2** में दिया गया है। आर्किटेक्ट द्वारा कैंसर संस्थान के निर्माण का प्राक्कलन उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग की दरों की अनुसूची (यूपीपीडब्ल्यूडी

³ कार्य की लागत - ₹ 796.84 करोड़; आकस्मिकता - ₹ 15.97 करोड़; श्रम उपकर - ₹ 8.14 करोड़; बाहरी विद्युतीकरण की लागत - ₹ 1.50 करोड़; आर्किटेक्ट का शुल्क - ₹ 12.21 करोड़; गुणवत्ता नियंत्रण सलाहकार का शुल्क - ₹ 12.22 करोड़; सेंटेज शुल्क - ₹ 7.63 करोड़।

⁴ पुनः निविदा में प्राप्त दो बोलियों में से कमतर के आधार पर।

⁵ परियोजना के अन्तर्गत सिविल कार्यों का निष्पादन कैंसर संस्थान इकाई, लखनऊ द्वारा किया जा रहा है और विद्युत कार्यों का निष्पादन ईकाई-18 (विद्युत) लखनऊ द्वारा किया जा रहा है।

एसओआर)⁶, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग की दिल्ली की दरों की अनुसूची (डीएसआर)⁷ एवं गैर-अनुसूचित मदों⁸ के प्रकरणों में बाजार दरों के विश्लेषण के आधार पर तैयार किया गया था। प्राक्कलित लागत में ₹ 499.38 करोड़ मूल्य की ऐसी मदें शामिल थी, जिनकी दरें बाजार दरों के विश्लेषण पर आधारित थी। इस प्रकार, कार्य की कुल स्वीकृत लागत ₹ 796.84 करोड़ में से आधे से अधिक अर्थात् 62.67 प्रतिशत बाजार दरों पर आधारित था और इनका निर्धारण आर्किटेक्ट द्वारा बजटीय प्रस्तावों/कोटेशनों को प्राप्त करके किया गया था।

कैंसर संस्थान के निर्माण के लिए प्रतिशत दर के आधार पर निविदाएं आमंत्रित की गयी थी, जिसमें निविदादाताओं को प्राक्कलित लागत से कम या अधिक प्रतिशत के रूप में अपनी दरों को प्रस्तुत किया जाना था। निविदादाताओं को निविदा⁹ में रखी गयी प्राक्कलित लागत के निर्दिष्ट प्रतिशत की कीमत के समान प्रवृत्ति के संतोषजनक पूर्ण कार्य एवं निविदा¹⁰ में रखी गयी प्राक्कलित लागत के समान निर्माण कार्यों पर औसत वार्षिक वित्तीय कारोबार न्यूनतम पात्रता मानदण्ड को पूरा करने हेतु आवश्यक था। निर्माण एजेंसी ने प्राक्कलित लागत से 0.01 प्रतिशत कम पर कार्य निष्पादित करने की पेशकश की थी। इस प्रकार, निर्माण एजेंसी को कार्य की प्रत्येक वस्तु के विरुद्ध किये गए वास्तविक कार्य के लिए मद की प्राक्कलित लागत पर 0.01 प्रतिशत की कमी करके भुगतान किया गया था।

व्यय वित्त समिति (ईएफसी) ने प्राक्कलित लागत का अनुमोदन करते समय टिप्पणी की थी (जनवरी 2015) कि चूंकि प्राक्कलन में विभिन्न मदों की दरें बजटीय प्रस्तावों/कोटेशनों पर आधारित थी, इसलिए, यूपीआरएनएन को ऐसी मदों के क्रियान्वयन से पहले प्रतिस्पर्धी आधार पर निर्माताओं से दरें प्राप्त करनी चाहिए।

लेखापरीक्षा ने देखा कि यूपीआरएनएन ने स्वतंत्र रूप से दरों की सत्यता/सटीकता को सत्यापित करने के लिए प्रतिस्पर्धी आधार पर निर्माताओं से गैर-अनुसूचित वस्तुओं¹¹ की दरें प्राप्त किये बिना, स्वीकृत प्राक्कलन के आधार पर परियोजना के निष्पादन के लिए निविदायें आमंत्रित की।

लेखापरीक्षा ने स्वीकृत प्राक्कलन की जाँच की जिसके आधार पर निविदायें आमंत्रित की गयी थी और पाया कि नौ गैर-अनुसूचित मदों जिनकी प्राक्कलित लागत ₹ 99 करोड़ थी उनमें एकल बजटीय प्रस्ताव/कोटेशन के आधार पर उच्च दरों को अपनाए जाने के कारण प्राक्कलित लागत में ₹ 45.50 करोड़ की वृद्धि हुयी जैसा कि परिशिष्ट-2.3 में दर्शाया गया है। उपर्युक्त नौ मदों की प्राक्कलित लागत को 33 प्रतिशत से 395 प्रतिशत तक बढ़ा दिया गया था जैसा कि अभिप्राप्ति लागत के आधार पर गणना की

⁶ प्राक्कलित लागत में ₹ 105.01 करोड़ मूल्य की मदें शामिल थी, जिनकी दरें यूपीपीडब्ल्यूडी एसओआर के अनुसार ली गयी थी।

⁷ प्राक्कलित लागत में ₹ 192.45 करोड़ मूल्य की मदें शामिल थी, जिनकी दरें डीएसआर के अनुसार ली गयी थीं।

⁸ गैर-अनुसूचित मदें वे मदें हैं जिनकी दरें न तो यूपीपीडब्ल्यूडी एसओआर में उपलब्ध हैं और न ही डीएसआर में।

⁹ समान रूप से पूर्ण किये गए तीन कार्य जिनमें से प्रत्येक की लागत निविदा में रखी गयी प्राक्कलित लागत के 40 प्रतिशत के बराबर धनराशि से कम न हो या दो समान पूर्ण किये गए कार्य जिनमें से प्रत्येक की लागत निविदा में रखी गयी प्राक्कलित लागत के 60 प्रतिशत के बराबर धनराशि से कम न हो या एक पूर्ण किया गया कार्य जिसकी लागत निविदा में रखी गयी प्राक्कलित लागत के 80 प्रतिशत के बराबर धनराशि से कम न हो या किसी सरकारी विभाग/स्वायत्त निकाय/सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम के साथ किसी भी प्रकृति के एक पूर्ण कार्य की लागत निविदा में रखी गयी प्राक्कलित लागत के 40 प्रतिशत के बराबर धनराशि से कम न हो।

¹⁰ निविदादाता का पिछले पाँच वित्तीय वर्षों में से किन्हीं तीन वर्षों के दौरान निर्माण कार्यों पर औसत वार्षिक वित्तीय कारोबार ₹ 796.85 करोड़ होना चाहिये।

¹¹ जिन मदों की दरों को बाजार दरों के विश्लेषण के आधार पर अनुमान में सम्मिलित किया जाना था।

गयी लागत से तुलना करने से पता चला, अभिप्राप्ति लागत निर्माण एजेंसी द्वारा प्रस्तुत बिलों के साथ संलग्न चालानों से प्रमाणित है।

उपरोक्त के अलावा, लेखापरीक्षा ने यह भी देखा कि ₹ 153.64 करोड़, प्राक्कलित लागत की पाँच मदों जहां गलत दर का प्रयोग किया गया था (परिशिष्ट-2.4 में वर्णित), की लागत में ₹ 30.41 करोड़ के वृद्धि के रूप में परिणत हुआ। उपरोक्त पाँच मदों की प्राक्कलित लागत 6 प्रतिशत से 100 प्रतिशत तक बढ़ा दी गयी थी जब सही/उचित दरों से तुलना की गयी।

इस प्रकार बाजार से प्रतिस्पर्धी दरों को प्राप्त किये बिना और गलत दरों को अपनाने के कारण परियोजना की प्राक्कलित लागत ₹ 75.91 करोड़ से बढ़ा दी गयी थी। अग्रेतर, जैसा कि निर्माण एजेंसी को प्राक्कलित लागत के निर्दिष्ट प्रतिशत के बराबर समान कार्यों के निष्पादन में अनुभव और प्राक्कलित लागत के बराबर निर्माण कार्यों पर कारोबार के आधार पर चुना गया था, एक बढ़ा हुआ प्राक्कलन निविदा में प्रतिस्पर्धा को कम करता है और कुछ निविदादाता के पक्ष में जाता है। वर्तमान निविदा में भी केवल दो निविदादाताओं ने प्रतिभाग किया। बढ़ी हुयी प्राक्कलित लागत के परिणामस्वरूप आर्किटेक्ट के शुल्क पर भी अतिरिक्त व्यय हुआ क्योंकि यह परियोजना की स्वीकृत लागत पर आधारित था।

चूँकि निविदाओं को इस तरह के बढ़े हुए प्राक्कलन के विरुद्ध बेंचमार्क किया गया था और दरों का औचित्य विवरण¹² भी तैयार नहीं किया गया था, बढ़े हुए प्राक्कलन के परिणामस्वरूप ₹ 64.60 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ (नवम्बर 2020 तक पूर्ण की गयी मात्राओं के आधार पर संगणित) जैसा कि **परिशिष्ट-2.5** में वर्णित है एवं **तालिका 2.1** में संक्षेपित है।

तालिका 2.1: बढ़ी हुयी दरों के भुगतान के कारण अतिरिक्त व्यय दर्शाने वाला विवरण

क्र. सं.	मद	प्राक्कलन में प्रयुक्त दर	वास्तविक दर	वास्तविक दर का आधार	प्रतिशत वृद्धि दर	अतिरिक्त व्यय (₹ करोड़ में)
1	लाईट फिक्सचर	₹ 37.33 करोड़	₹ 19.32 करोड़	वास्तविक अभिप्राप्ति लागत	93 प्रतिशत	18.01
2	स्टील रीइनफोर्समेंट	₹ 68.10 प्रति किग्रा	₹ 54.60 प्रति किग्रा	लखनऊ में स्टील और श्रम की बाजार दर	25 प्रतिशत	16.12
3	हॉरिजन्टल बेड हेड पैनल	₹ 2 लाख प्रति पैनल	₹ 40,415 प्रति पैनल	वास्तविक अभिप्राप्ति लागत	395 प्रतिशत	8.47
4	वाटरप्रूफिंग कार्य	₹ 2,800/2,660 प्रति वर्गमीटर	₹ 1,400/1,330 प्रति वर्गमीटर	प्राक्कलन तैयार करने के लिए प्राप्त कोटेशन	100 प्रतिशत	3.78
5	डीजी सेट्स	₹ 89.39 लाख प्रति सेट	₹ 65.74 लाख प्रति सेट	वास्तविक अभिप्राप्ति लागत	36 प्रतिशत	3.55
6	ग्रेनाइट फर्श	₹ 3,866 प्रति वर्गमीटर	₹ 3,244.35 प्रति वर्गमीटर	डीएसआर 2014	19 प्रतिशत	3.40
7	लिफ्ट	₹ 13.35 करोड़	₹ 9.97 करोड़	वास्तविक अभिप्राप्ति लागत	34 प्रतिशत	3.38
8	सौर पीवी प्रणाली	₹ 1.57 करोड़ प्रति सेट	₹ 40.15 लाख प्रति सेट	वास्तविक अभिप्राप्ति लागत	291 प्रतिशत	2.34
9	यूपीएस प्रणाली	₹ 5.58 करोड़	₹ 3.54 करोड़	वास्तविक अभिप्राप्ति लागत	58 प्रतिशत	2.04

¹² औचित्य विवरण निविदा में प्राप्त दरों की तर्कसंगतता की जाँच के लिए तैयार किया गया विवरण है। इस पद्धति में श्रम, सामग्री, कार्टेज आदि की बाजार दरों को लेकर दरों का विस्तृत विश्लेषण तैयार करना शामिल है।

क्र. सं.	मद	प्राक्कलन में प्रयुक्त दर	वास्तविक दर	वास्तविक दर का आधार	प्रतिशत वृद्धि दर	अतिरिक्त व्यय (₹ करोड़ में)
10	वॉल लाइनिंग में ग्रेनाइट का कार्य	₹ 3,907.40 प्रति वर्गमीटर	₹ 3,469.55 प्रति वर्गमीटर	डीएसआर 2014 के आधार पर दरों का विश्लेषण	13 प्रतिशत	1.15
11	लॉण्ड्री उपकरण	₹ 1.65 करोड़	₹ 0.83 करोड़	वास्तविक अभिप्राप्ति लागत	99 प्रतिशत	0.82
12	ऑटोक्लेव्ड एरिटेड कंक्रीट ब्लॉक मेसनरी	₹ 4,231.47 प्रति घनमीटर	₹ 3,983.68 प्रति घनमीटर	प्राक्कलन तैयार करने के लिए प्राप्त कोटेशन	6 प्रतिशत	0.60
13	मॉर्चरी कक्ष	₹ 16.56 लाख प्रति चैम्बर	₹ 7.04 लाख प्रति चैम्बर	वास्तविक अभिप्राप्ति लागत	135 प्रतिशत	0.57
14	टेलीविजन सेट	₹ 1.20 लाख प्रति सेट	₹ 52,096 प्रति सेट	वास्तविक अभिप्राप्ति लागत	130 प्रतिशत	0.37
योग						64.60

प्रबंधन/सरकार ने उत्तर में बताया (जुलाई/सितम्बर 2021) कि प्राक्कलन यूपीपीडब्ल्यूडी एसओआर, डीएसआर और बाजार दर के विश्लेषण के आधार पर तैयार किया गया है। चूँकि, ठेकेदार को अलग-अलग मदों के लिए बोली लगाने की आवश्यकता नहीं थी, बल्कि समग्र लागत प्रतिशत के आधार पर, जिसमें ऐसे कई उदाहरण हो सकते हैं जहां ठेकेदार ने अपनी दरों को निविदा दरों से बहुत कम अनुमानित किया होगा, लेकिन अनुबंध की प्रकृति के कारण परिलक्षित नहीं हुआ है। लेखापरीक्षा ने केवल कुछ मदों पर प्रकाश डाला है जहां ठेकेदार ने प्राक्कलित दरों से कम दरों पर वस्तुओं/निष्पादित कार्यों को क्रय किया था जबकि कुछ मदें जिन्हें ठेकेदार द्वारा प्राक्कलित दरों से अधिक दरों पर निष्पादित किया गया था, लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में आच्छादित नहीं किया गया है। औचित्य विवरण तैयार नहीं करने के सम्बंध में यह कहा गया कि चूँकि न्यूनतम निविदा स्वीकृत लागत से 0.01 प्रतिशत कम थी, इसलिए यूपीपीडब्ल्यूडी की प्रचलित प्रथा के अनुसार दरों के औचित्य की तैयारी की आवश्यकता नहीं थी।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि कैंसर संस्थान के निर्माण के लिए प्रतिशत दर के आधार पर निविदा आमंत्रित की गयी थी, जिसमें निविदादाताओं को प्राक्कलित लागत से ऊपर या नीचे एकल प्रतिशत दर उद्धृत करने के लिए कहा गया था। इसलिये, एक बड़े हुए प्राक्कलन ने निविदादाताओं के लिए एक उच्च आधार रेखा प्रदान की। लेखापरीक्षा को ऐसी कोई मदें नहीं मिली जिसमें प्राक्कलित दरें निर्माण एजेंसी की वास्तविक अभिप्राप्ति लागत से कम थी। यद्यपि प्रबंधन ने कई मौकों पर लेखापरीक्षा टिप्पणियों पर अपने उत्तर प्रस्तुत किये परन्तु इसने यह साबित करने के लिए एक भी बिल प्रस्तुत नहीं किया कि निर्माण एजेंसी ने प्राक्कलित दरों से अधिक दरों पर कोई मदें क्रय थी। इसके अलावा, जैसा कि प्रचलित बाजार दरों पर आधारित औचित्य विवरण तैयार नहीं किया गया था, उद्धृत मूल्य को कार्य की उचित लागत के बजाय एक बड़े हुए प्राक्कलन के विरुद्ध बेंचमार्क किया गया था जिसके परिणामस्वरूप कार्य पर अतिरिक्त व्यय हुआ।

कंक्रीट कार्यों के लिए दरों के अनियमित प्रतिस्थापन के कारण अधिक भुगतान

2.1.4 निर्माण एजेंसी के साथ किये गए अनुबंध (अक्टूबर 2015) के नियम और शर्तों में प्रावधान था कि ग्रेड एम-20 और उससे ऊपर के कंक्रीट के कार्य के लिए भुगतान डिजाइन मिक्स¹³ के आधार पर किया जाएगा।

¹³ आईएस 456-2000 के अनुसार एम-20 से ऊपर के ग्रेड के कंक्रीट के मामले में 'सादा और रीइन्फोर्स कंक्रीट' डिजाइन मिक्स कंक्रीट का उपयोग किया जाना है। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए एम-20 से अधिक ग्रेड के कंक्रीट का भुगतान डिजाइन मिक्स के अनुसार वास्तविक सीमेंट की आवश्यकता के आधार पर किया जाना चाहिए।

निविदा में रखी गयी बिल ऑफ क्वांटिटी (बीओक्यू) में अन्य बातों के साथ-साथ एम-25 और एम-30 ग्रेड कंक्रीट के विभिन्न मदों का निष्पादन सम्मिलित किया गया। बीओक्यू में एम-15 ग्रेड कंक्रीट कार्य के लिए प्रदान की गयी दरों में आवश्यक¹⁴ अतिरिक्त सीमेंट की लागत को जोड़कर एम-25¹⁵ और एम-30¹⁶ ग्रेड कंक्रीट कार्यों की उक्त मदों की दरों का निर्धारण किया गया था। एम-15 ग्रेड कंक्रीट कार्य के लिए प्रदान की गयी दरें यूपीपीडब्ल्यूडी एसओआर-2014 के अनुसार थी और जिसमें सेंटरिंग और शटरिंग की लागत सम्मिलित थी।

अनुमोदित डिजाइन मिक्स के अनुसार, एम-25 और एम-30 ग्रेड कंक्रीट के लिए सीमेंट की आवश्यकता बीओक्यू में अनुमानित आवश्यकता क्रमशः 610 किलोग्राम¹⁷ प्रति घनमीटर और 950 किलोग्राम¹⁸ प्रति घनमीटर के सापेक्ष क्रमशः 365 किलोग्राम¹⁹ प्रति घनमीटर और 410 किलोग्राम²⁰ प्रति घनमीटर थी। चूँकि अनुमोदित डिजाइन मिक्स में निर्धारित सीमेंट की आवश्यकता बीओक्यू के अनुसार प्राक्कलित सीमेंट की आवश्यकता से कम थी, एम-25 और एम-30 ग्रेड कंक्रीट कार्य का भुगतान एम-15 (1:2:4) ग्रेड कंक्रीट की दरों के ऊपर डिजाइन मिक्स में निर्धारित वास्तविक सीमेंट आवश्यकता के अनुसार किया जाना चाहिए था।

लेखापरीक्षा ने देखा कि निविदा की स्वीकृति के पश्चात (प्राक्कलित लागत से 0.01 प्रतिशत कम) यूपीआरएनएन ने उपरोक्त मदों की दरों को डीएसआर 2014 के दरों के साथ प्रतिस्थापित किया। अग्रेतर, चूँकि डीएसआर 2014 की दरों में सेंटरिंग एवं शटरिंग की लागत सम्मिलित नहीं थे, सेंटरिंग एवं शटरिंग के लिए यूपीआरएनएन द्वारा अतिरिक्त भुगतान किया गया।

लेखापरीक्षा ने दरों के प्रतिस्थापन के प्रभाव का विश्लेषण किया और पाया कि इसने नवम्बर 2020 तक निष्पादित कार्यों पर ₹ 4.02 करोड़²¹ का अतिरिक्त व्यय किया। इस प्रकार, कार्य दिये जाने के पश्चात एम-25 और एम-30 ग्रेड कंक्रीट की विभिन्न मदों के लिए भुगतान की जाने वाली दरों का अनियमित प्रतिस्थापन के परिणामस्वरूप नवम्बर 2020 तक निर्माण एजेंसी को ₹ 4.02 करोड़ का अधिक भुगतान हुआ।

प्रबंधन/सरकार ने उत्तर में बताया (जुलाई/सितम्बर 2021) कि यूपीपीडब्ल्यूडी एसओआर में एम-25 और एम-30 ग्रेड कंक्रीट की दरें उपलब्ध नहीं थी, इसलिए एम-15 ग्रेड कंक्रीट की दरों को एम-25 और एम-30 ग्रेड कंक्रीट के लिए क्रमशः ₹ 1,809.60 और ₹ 3,931.20 प्रति घनमीटर अतिरिक्त भुगतान के प्रावधान के साथ लिया गया था। चूँकि एम-25 और एम-30 ग्रेड कंक्रीट हेतु सीमेंट की खपत के लिए मानक का सही उल्लेख नहीं था, मदें विवादित हो गयीं। विवाद को सुलझाने के लिए, एम-25 और एम-30 ग्रेड कंक्रीट के लिए भुगतान डीएसआर में दी गयी दरों पर करने का निर्णय लिया गया। अग्रेतर, बताया गया कि बीओक्यू में उल्लिखित एम-25 और

¹⁴ यूपीपीडब्ल्यूडी एसओआर 2014 के अनुसार ₹ 312 प्रति बैग की दर से परिकलित। वहां केवल एम-15 ग्रेड कंक्रीट दरें उपलब्ध थी।

¹⁵ एम-25 ग्रेड कंक्रीट के लिए, 5.80 बैग (290 किग्रा) प्रति घनमीटर की प्राक्कलित अतिरिक्त सीमेंट आवश्यकता के आधार पर एम-15 ग्रेड (1:2:4) कंक्रीट की दर के अतिरिक्त भुगतान की जाने वाली लागत ₹ 1,809.60 प्रति घनमीटर (5.80 बैग x ₹ 312) थी।

¹⁶ एम-30 ग्रेड कंक्रीट के लिए, 12.60 बैग (630 किग्रा) प्रति घनमीटर की प्राक्कलित अतिरिक्त सीमेंट आवश्यकता के आधार पर एम-15 ग्रेड (1:2:4) कंक्रीट की दर के अतिरिक्त भुगतान की जाने वाली लागत ₹ 3,931.20 प्रति घनमीटर (12.60 बैग x ₹ 312) थी।

¹⁷ 12.2 बैग

¹⁸ 19 बैग

¹⁹ 7.3 बैग

²⁰ 8.2 बैग

²¹ निविदा में रखी गयी बिल ऑफ क्वांटिटी/यूपीपीडब्ल्यूडी एसओआर में दिए गए एम-15 (1:2:4) ग्रेड कंक्रीट कार्य के लिए निर्धारित अधिकतम ₹ 8,050 प्रति घनमीटर की दर को ध्यान में रखते हुए।

एम-30 कंक्रीट की दरों का डीएसआर 2014 के दरों से तुलना करने के बाद, कुल मिलाकर ₹ 2.77 करोड़ की बचत पायी गयी।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि निर्माण एजेंसी के साथ किये गए अनुबंध के नियम और शर्तों में प्रावधानित था कि ग्रेड एम-20 और उससे ऊपर के कंक्रीट का कार्य डिजाइन मिक्स के अनुसार निष्पादित किया जाएगा और निर्माण एजेंसी को भुगतान उक्त डिजाइन मिक्स के आधार पर किया जाएगा। सीपीडब्ल्यूडी मानकों के अनुसार भी डिजाइन मिक्स के अनुसार अधिक या कम उपयोग किये गए सीमेंट ग्रेड एम-20 से ऊपर के कंक्रीट के लिए अलग से देय या वसूली योग्य है। पुनः, ₹ 2.77 करोड़ की बचत के सम्बंध में यूपीआरएनएन का तर्क सही नहीं है क्योंकि यूपीआरएनएन ने बचत की गणना 610 किलोग्राम प्रति घनमीटर (एम-25) और 950 किलोग्राम प्रति घनमीटर (एम-30) की प्राक्कलित सीमेंट आवश्यकता के आधार पर की है जबकि अनुबंध की शर्तों के अनुसार भुगतान स्वीकृत डिजाइन मिक्स में निर्धारित सीमेंट की आवश्यकता के अनुसार किया जाना था जो कि 365 किलोग्राम प्रति घनमीटर (एम-25) और 410 किलोग्राम प्रति घनमीटर (एम-30) था।

परियोजना प्रबंधन सलाहकार को किये गए भुगतान की कटौती न किये जाने के कारण निर्माण एजेंसी को अधिक भुगतान

2.1.5 निर्माण एजेंसी के साथ किये गए अनुबंध (अक्टूबर 2015) के अनुसार, यूपीआरएनएन द्वारा नियुक्त परियोजना प्रबंधन सलाहकार पर अनुबंध मूल्य का 0.5 प्रतिशत तक किया गया व्यय निर्माण एजेंसी द्वारा वहन किया जाएगा।

मुकेश एंड एसोसिएट्स (सलाहकार) को परियोजना लागत के 1.5 प्रतिशत (सेवा कर सहित) के शुल्क पर परियोजना के गुणवत्ता नियंत्रण के लिए तृतीय पक्ष सलाहकार के रूप में चयनित किया गया (नवम्बर 2014)। यूपीआरएनएन द्वारा सलाहकार के साथ किये गए अनुबंध (28 नवम्बर 2015) में सलाहकार के निर्धारित कार्य क्षेत्र और दायित्व के विश्लेषण से पता चला कि सलाहकार द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं केवल परियोजना के गुणवत्ता नियंत्रण तक ही सीमित नहीं थी बल्कि परियोजना प्रबंधन के लिए भी विस्तारित थी। सलाहकार के कर्तव्यों में निष्पादन का दिन-प्रतिदिन पर्यवेक्षण, चालू खाता बिलों की जाँच, तकनीकी लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की जाँच, वास्तुशिल्प और संरचनात्मक डिजाइन के सम्बंध में समन्वय करना आदि शामिल थे, जो परियोजना प्रबंधन सेवाओं की प्रकृति के थे (परिशिष्ट-2.6 में वर्णित)। परिणामतः परियोजना प्रबंधन सलाहकार पर यूपीआरएनएन द्वारा किये गए व्यय का परियोजना लागत के 0.5 प्रतिशत तक की वसूली निर्माण एजेंसी के बिलों से की जानी चाहिए थी।

लेखापरीक्षा ने देखा कि नवम्बर 2020 तक निर्माण एजेंसी द्वारा ₹ 649.05 करोड़²² की लागत का कार्य किया गया था। हालाँकि, यूपीआरएनएन ने परियोजना प्रबंधन सलाहकार पर किये गए व्यय के विरुद्ध निर्माण एजेंसी के बिलों से कोई धनराशि वसूल नहीं की थी। इस प्रकार, यूपीआरएनएन ने निर्माण एजेंसी को ₹ 3.25 करोड़²³ का अधिक भुगतान किया।

प्रबंधन/सरकार ने उत्तर में बताया (जुलाई/सितम्बर 2021) कि सलाहकार परियोजना प्रबंधन सलाहकार की कोई भी सेवा प्रदान नहीं कर रहा है। इन्होंने आगे बताया कि चूँकि निर्माण एजेंसी एक बहुत प्रसिद्ध फर्म है, जिसकी अपनी नियोजन बुनियादी ढांचा टीम, डिजाइन विंग, नवीनतम सॉफ्टवेयर और तकनीकी रूप से कुशल कर्मचारी, सुरक्षा विंग, गुणवत्ता नियंत्रण प्रकोष्ठ आदि हैं, यूपीआरएनएन ने किसी भी परियोजना प्रबंधन सलाहकार को शामिल करने की आवश्यकता महसूस नहीं की।

²² कैसर संस्थान इकाई, लखनऊ – ₹ 371.16 करोड़ एवं इकाई-18 (विद्युत), लखनऊ – ₹ 277.89 करोड़।

²³ ₹ 649.05 करोड़ x 0.5 / 100।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि सलाहकार को दिये गए कार्य के कार्यक्षेत्र से यह स्पष्ट है **(परिशिष्ट-2.6)** कि परियोजना पर सलाहकार द्वारा प्रदान की जा रही सेवाएं परियोजना प्रबंधन सलाहकार की प्रकृति की थी। अतः उपरोक्त सलाहकार पर किये गए व्यय के विरुद्ध अनुबंध मूल्य के 0.5 प्रतिशत तक की वसूली निर्माण एजेंसी के बिलों से की जानी थी।

सरकार द्वारा स्वीकृत नहीं की गयी अधिक मात्रा/अतिरिक्त मदों के लिए भुगतान

2.1.6 निर्माण एजेंसी के साथ किये गए अनुबंध के क्लॉज 12 में प्रावधानित है कि ग्राहक/सरकार (ईएफसी) द्वारा अधिकतम अंतिम पुनरीक्षित स्वीकृत मात्रा तक विचलन अनुमत्य है। वर्तमान बीओक्यू की मात्रा में ऐसा विचलन कार्य के कार्यक्षेत्र में परिवर्तन या किसी अन्य कारण से विचलन इस निविदा का हिस्सा होगा। इस विचलन का भुगतान किये गए कार्य और किये जाने वाले कार्य के आधार पर ठेकेदार को किया जाएगा।

लेखापरीक्षा ने देखा कि:

- जीओयूपी को प्रस्तुत (अगस्त 2019) पुनरीक्षित प्राक्कलन में ₹ 2.13 करोड़ की लागत के अतिरिक्त कार्य जैसे जल निकास, मीटर रूम और गार्ड रूम का निर्माण शामिल था। तथापि, उक्त अतिरिक्त कार्यों को जीओयूपी द्वारा स्वीकृत नहीं किया गया था। इस तथ्य के बावजूद कि उक्त अतिरिक्त कार्यों को जीओयूपी द्वारा स्वीकृत नहीं किया गया था, इन्हें निष्पादित किया गया और यूपीआरएनएन ने नवम्बर 2020 तक इन अस्वीकृत मदों के लिए निर्माण एजेंसी को ₹ 1.97 करोड़ का भुगतान किया।
- उपरोक्त के अलावा, यूपीआरएनएन ने निर्माण एजेंसी को पुनरीक्षित स्वीकृत मात्रा से अधिक निष्पादित मात्रा के लिए ₹ 5.10 करोड़ का भुगतान किया।

इस प्रकार, यूपीआरएनएन ने अनुबंध के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए निर्माण एजेंसी को ₹ 7.07 करोड़ का भुगतान किया।

प्रबंधन/सरकार ने उत्तर में बताया (जुलाई/सितम्बर 2021) कि धनराशि की प्रतिपूर्ति अन्य मदों की मात्रा में बचत से की जाएगी।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि अनुबंध के नियमों और शर्तों के अनुसार ग्राहक/सरकार (ईएफसी) द्वारा अधिकतम अंतिम पुनरीक्षित स्वीकृत मात्रा तक विचलन अनुमत्य था। चूंकि ग्राहक/सरकार (ईएफसी) द्वारा उपरोक्त मदों/विचलन को स्वीकृत नहीं किया गया था, उपरोक्त मदों के लिए किया गया भुगतान नियमानुसार नहीं था।

बॉट आउट मदों के लिए आर्किटेक्ट को अतिरिक्त भुगतान

2.1.7 परियोजना का आर्किटेक्चरल और स्ट्रक्चरल कंसल्टेंसी सेवाओं का कार्य परियोजना लागत के 1.5 प्रतिशत के शुल्क पर आर्कोहम कंसल्ट्स (आर्किटेक्ट) को प्रदान किया गया (फरवरी 2014)। यूपीआरएनएन द्वारा आर्किटेक्ट के साथ किये गए अनुबंध (मई 2014) के अनुसार, आर्किटेक्ट के शुल्क के भुगतान के लिए परियोजना लागत की गणना 'किसी भी अन्य मदें जिसके लिए आर्किटेक्चरल सेवाओं की आवश्यकता/अनुमोदित नहीं है' की लागत, परियोजना की स्वीकृत लागत से घटाने के बाद की जानी थी।

लेखापरीक्षा ने देखा कि ₹ 150.45 करोड़ **(परिशिष्ट-2.7)** मूल्य के बॉट आउट मदें थी, जिसमें कार्यस्थल पर केवल उपकरण की आपूर्ति और स्थापना शामिल थी, लेकिन 'किसी भी अन्य स्वीकृत मदों जिसके लिए आर्किटेक्ट सेवाओं की आवश्यकता/अनुमोदित नहीं है', के लिए परियोजना लागत से कोई कटौती नहीं की गयी थी। इन बॉट आउट मदों में लाइट फिक्सचर (₹ 46.14 करोड़), सौर ऊर्जा प्रणाली (₹ 3.14 करोड़), टेलीविजन सेट (₹ 9.60 करोड़), लिफ्ट (₹ 17.50 करोड़), रसोई के उपकरण (₹ 1.25 करोड़), लॉण्डी उपकरण (₹ 1.65 करोड़), चिकित्सा उपकरण (₹ 56.52 करोड़), आर्ट वर्क (₹ 3.41 करोड़), फिश टैंक (₹ 10.24 करोड़) एवं बिल्डिंग साइनेज (₹ एक करोड़) शामिल थे।

इस प्रकार, आर्किटेक्ट के शुल्क की गणना के उद्देश्य से सरकार द्वारा स्वीकृत परियोजना लागत में शामिल साइट पर केवल आपूर्ति और स्थापना किये जाने वाले बॉट आउट मदों की लागत को न घटाये जाने के परिणामस्वरूप नवम्बर 2020 तक आर्किटेक्ट को ₹ 1.49 करोड़ का अधिक भुगतान हुआ।

प्रबंधन/सरकार ने उत्तर में बताया (जुलाई/सितम्बर 2021) कि आर्ट वर्क और फिश टैंक की लागत को आर्किटेक्ट के शुल्क की गणना से पहले ही हटा दिया गया है। पुनः, शुल्क की गणना के समय टेलीविजन सेट, लिफ्ट, रसोई के उपकरण और लॉण्डी उपकरण की लागत को घटाया जाएगा। इनडोर और आउटडोर लाईट फिक्सचर, सौर ऊर्जा प्रणाली और चिकित्सा कार्यो/उपकरणों के सम्बंध में यह बताया गया कि इन मदों में विभिन्न अन्य सेवा लाइनों को शामिल करते हुए समग्र आरेख और सम्बंधित विक्रेताओं के साथ कई चर्चाओं की आवश्यकता होती है।

प्रबंधन ने आर्किटेक्ट शुल्क वाले मदों²⁴ के सम्बंध में ₹ 0.65 करोड़ आर्किटेक्ट शुल्क वसूल करना स्वीकार किया। शेष चार मदों अर्थात् लाईट फिक्सचर, सौर ऊर्जा प्रणाली, चिकित्सा उपकरण और बिल्डिंग साइनेज के सम्बंध में उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि ये मदें भी बॉट आउट मदें थी जिनका कार्यस्थल पर केवल उपकरण की आपूर्ति और स्थापना किया जाना था। इसलिए, आर्किटेक्ट के शुल्क के भुगतान के उद्देश्य से परियोजना की लागत निकालते समय इसे स्वीकृत लागत परियोजना से घटाया जाना चाहिए था।

सबमेन की आपूर्ति एवं वायरिंग के लिए उच्च दरो पर भुगतान के कारण अधिक भुगतान

2.1.8 बिल ऑफ क्वांटिटी में दिये गए विनिर्देश²⁵ के अनुसार ₹ 121 प्रति मीटर की दर से सबमेन की आपूर्ति और वायरिंग शामिल थी। उपरोक्त मद में कॉपर कंडक्टर केबल की विशिष्टता को 2.5 वर्ग मिमी एवं 1.5 वर्ग मिमी को क्रमशः 4 वर्ग मिमी एवं 2.5 वर्ग मिमी से प्रतिस्थापित किया गया था।

लेखापरीक्षा ने देखा कि निर्माण एजेंसी द्वारा प्रतिस्थापित मद के लिए दावा की गयी दर ₹ 153 प्रति मीटर थी जो यूपीपीडब्ल्यूडी एसओआर पर आधारित थी। तथापि, यूपीआरएनएन ने नवम्बर 2020 तक उक्त प्रतिस्थापित मद के लिए ₹ 253 प्रति मीटर की दर से भुगतान किया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 0.97 करोड़ का अधिक भुगतान हुआ।

इंगित किये जाने पर यूपीआरएनएन ने निर्माण एजेंसी को किये गए अतिरिक्त भुगतान ₹ 0.97 करोड़ को वसूल लिया (मई 2021)।

मोबिलाइजेशन अग्रिम पर ब्याज की कम वसूली

2.1.9 निर्माण एजेंसी के साथ किये गए अनुबंध के नियम और शर्तों में प्रावधानित है कि मोबिलाइजेशन अग्रिम पर 10 प्रतिशत प्रति वर्ष का साधारण ब्याज देय होगा और गणना भुगतान की तिथि से वसूली की तिथि तक जिसमें दोनों दिन शामिल हैं, से की जाएगी।

लेखापरीक्षा ने देखा कि यूपीआरएनएन ने निर्माण एजेंसी के बिलों से मोबिलाइजेशन अग्रिम पर ब्याज के रूप में वसूली योग्य धनराशि ₹ 13.69 करोड़ के सापेक्ष ₹ 13.04 करोड़ की वसूली की जिसके परिणामस्वरूप निर्माण एजेंसी से ₹ 0.65 करोड़ की कम वसूली हुयी।

²⁴ टेलीविजन सेट, लिफ्ट, रसोई के उपकरण, लॉण्डी उपकरण, आर्ट वर्क्स और फिश टैंक।

²⁵ दो नंबर 2.5 वर्ग मिमी के साथ सबमेन की आपूर्ति और वायरिंग। एफआर पीवीसी इन्सुलेटेड मल्टी स्ट्रैंड सिंगल कोर कॉपर कंडक्टर केबल को भारी गेज 25 मिमी बाहरी व्यास पीवीसी नाली पाइप में आंशिक रूप से दीवार में छुपाया जाता है और कंक्रिटिंग से पहले सुदृढीकरण के साथ स्लैब में आंशिक रूप से 1.5 वर्ग मिमी के साथ रखा जाता है। एफआर पीवीसी इन्सुलेटेड मल्टी स्ट्रैंड कॉपर कंडक्टर केबल को अर्थ वायर के रूप में नाली के अंदर खींचे गए सभी तरह से पूर्ण किया।

इंगित किये जाने पर यूपीआरएनएन ने निर्माण एजेंसी से उक्त धनराशि ₹ 0.65 करोड़ की वसूली (मई 2021) कर ली है।

समय अतिरेक

2.1.10 कैंसर रोगियों को चिकित्सा सेवा प्रदान करने के लिए उच्च स्तरीय कैंसर संस्थान, एक सिग्नेचर परियोजना थी। निर्माण एजेंसी के साथ किये गए अनुबंध के अनुसार कार्य 22 अक्टूबर 2017 तक पूर्ण किया जाना था।

लेखापरीक्षा ने देखा कि कार्य पूर्ण होने की निर्धारित तिथि से चार वर्ष से अधिक समय व्यतीत हो जाने के पश्चात भी कार्य अभी अपूर्ण²⁶ था (नवम्बर 2021)। परियोजना में समय अतिरेक लगने का मुख्य कारण पशुपालन विभाग की मौजूदा संरचनाओं को गिराने में विलम्ब, ऑन्कोलॉजी ब्लॉक के निर्माण के लिए परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड (ईआरबी) से अनुमोदन प्राप्त करने में विलम्ब और निर्माण एजेंसी द्वारा कार्य की धीमी प्रगति थी। परियोजना की समग्र अनुश्रवण और पर्यवेक्षण के लिए यूपीआरएनएन, विभिन्न प्राधिकरणों के साथ सम्पर्क करने और अनुमोदन के लिए आर्किटेक्ट, समयानुसार पूर्ण कार्य करने के लिए निर्माण एजेंसी और दिन-प्रतिदिन के पर्यवेक्षण के लिए सलाहकार जिम्मेदार था। इस प्रकार पूर्णता में देरी में परियोजना के निष्पादन में शामिल उपरोक्त सभी एजेंसियाँ शामिल थी।

परियोजना के पूर्ण होने में देरी के परिणामस्वरूप परियोजना के अभिष्ट लाभार्थियों जैसे कैंसर रोगियों एवं शोध छात्रों को लाभ से वंचित कर दिया।

अग्रेतर, अनुबंध के अनुसार, विलंब के प्रकरण में परिसमापन क्षति तीन माह तक की देरी के लिए निविदा लागत का प्रति माह एक प्रतिशत की दर से चार से छः माह के विलम्ब के लिए निविदा लागत का प्रति माह दो प्रतिशत से, निविदा लागत का अधिकतम 10 प्रतिशत तक निर्माण एजेंसी से वसूली योग्य था।

विलम्ब का कारण, निर्माण एजेंसी द्वारा कार्य की धीमी प्रगति होने के बावजूद, जो इस तथ्य से स्पष्ट था कि यूपीआरएनएन ने स्वयं विभिन्न अवसरों पर निर्माण एजेंसी को अधिक श्रमिकों को लगाकर काम की गति बढ़ाने का निर्देश दिया था, यूपीआरएनएन द्वारा परिसमापन क्षति (एलडी) लगाए बिना समय वृद्धि दिया गया था।

प्रबंधन/सरकार ने उत्तर में बताया (जुलाई/सितम्बर 2021) कि ₹ 854.51 करोड़ की स्वीकृत लागत के विरुद्ध, जीओयूपी ने कार्य पूर्णता की निर्धारित तिथि तक ₹ 466.11 करोड़ तथा मार्च 2021 तक ₹ 728.32 करोड़ की धनराशि अवमुक्त किया था। उक्त के आलोक में, कार्य की योजना चरणबद्ध तरीके से बनायी गयी थी। इसके अतिरिक्त, पशुपालन विभाग के मौजूदा ढांचों को गिराने में हुयी विलम्ब के कारण कई भवनों के लिए भूमि नौ माह के विलंब से प्राप्त की गयी। इसके अलावा, ऑन्कोलॉजी ब्लॉक के निर्माण में देरी हुयी क्योंकि परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड (ईआरबी) से अनुमोदन दिसम्बर 2017 में प्राप्त किया जा सका। उपरोक्त के अलावा, मार्च 2020 में कोविड-19 महामारी भी आयी।

तथ्य अभी भी यह है कि यूपीआरएनएन/निर्माण एजेंसी/आर्किटेक्ट के कारण हुयी देरी के वजह से परियोजना के पूर्ण होने में चार वर्ष से अधिक का विलम्ब हुआ है जिसके परिणामस्वरूप परियोजना के अभिष्ट लाभार्थियों जैसे कैंसर रोगियों एवं शोध छात्रों को लाभ से वंचित कर दिया गया है।

²⁶ ओपीडी ब्लॉक, सहायक ब्लॉक (एचवीएसी, मॉर्चरी और मेडिकल गैस पाइपलाइन सिस्टम), प्रवेश चौक, विद्युत सब-स्टेशन, रेडियोलॉजी ब्लॉक, रसोई और लॉण्ड्री, मीटर कक्ष, पंप कक्ष और एसटीपी/ईटीपी से सम्बंधित कार्यों को पूरा किया गया और उन्हें ग्राहक को मई 2020 में सौंप दिया गया। शेष ब्लॉकों से सम्बंधित कार्य जैसे आईपीडी ब्लॉक, ओटी ब्लॉक, प्रशासन ब्लॉक, विकिरण ऑन्कोलॉजी ब्लॉक, कार्यशाला और स्टोर, बेसमेंट प्लान (सर्विस कॉरिडोर), लैंडस्केप और बिल्डिंग साइनेज कार्य प्रगति पर थे।

अतिरिक्त क्षमता के सृजन पर परिहार्य व्यय

2.1.11 कैंसर संस्थान के निर्माण कार्य में अन्य बातों के साथ-साथ 14,000 किलो वोल्ट एम्पीयर (केवीए) क्षमता के सब-स्टेशन का निर्माण (7 परिवर्तक प्रत्येक 2,000 केवीए क्षमता के) पॉवर बैक-अप के प्रावधान के साथ 15,150 केवीए क्षमता (स्टैंडबाय के रूप में 1,010 केवीए के एक डीजी सेट सहित 15 डीजी सेट प्रत्येक 1,010 केवीए क्षमता के) डीजल जेनरेटिंग (डीजी) सेट एवं 14,000 केवीए क्षमता के स्टेबलाइजर्स (प्रत्येक 1,000 केवीए क्षमता के 14 वोल्टेज स्टेबलाइजर्स) शामिल थे।

लेखापरीक्षा ने देखा कि सब-स्टेशन के लिए परिवर्तक की आवश्यकता की गणना हेतु किलो वाट (केडब्ल्यू) से किलो वोल्ट एम्पीयर (केवीए) की मांग को परिवर्तित करने के लिए 0.8 के पॉवर फैक्टर को ध्यान में रखकर की गयी थी। हालाँकि उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा विद्युत वितरण कम्पनियों के लिए निर्गत विद्युत आपूर्ति कोड और दर अनुसूची, केडब्ल्यू से केवीए में मांग को परिवर्तित करने के लिए 0.9 पॉवर फैक्टर को निर्धारित करता है।

इस प्रकार, मांग का केडब्ल्यू से केवीए में परिवर्तन के लिए गलत पॉवर फैक्टर के प्रयोग के कारण, एक परिवर्तक, दो डीजी सेट और दो वोल्टेज स्टेबलाइजर्स का प्रावधान आवश्यकता से अधिक किया गया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 2.30 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ।

प्रबंधन/सरकार ने उत्तर में बताया (जुलाई/सितम्बर 2021) कि सीपीडब्ल्यूडी और पीडब्ल्यूडी भी परिवर्तक/डीजी सेट/स्टेबलाइजर्स/यूपीएस सिस्टम की क्षमता की गणना के लिए केडब्ल्यू को केवीए में परिवर्तित करने के लिए 0.8 के पॉवर फैक्टर का प्रयोग करते हैं।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज में भी केडब्ल्यू से केवीए में परिवर्तित करने के लिए 0.9 के पॉवर फैक्टर को ध्यान में रखा गया है।

सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के बिना संरचनात्मक परिवर्तन

2.1.12 रेडिएशन ऑन्कोलॉजी ब्लॉक के प्रकरण में सक्षम प्राधिकारी द्वारा दी गयी तकनीकी स्वीकृति में पाइल फाउंडेशन का कोई प्रावधान नहीं था।

लेखापरीक्षा ने देखा कि पाइल फाउंडेशन (800 मिमी व्यास पाइल्स) को बाद में प्रस्तावित एवं क्रियान्वित किया गया था। तथापि, सक्षम प्राधिकारी के आदेश, जिसने ऐसे भौतिक संरचनात्मक परिवर्तन की तकनीकी स्वीकृति प्रदान की थी, अभिलेखों में उपलब्ध नहीं थे।

प्रबंधन/सरकार ने उत्तर में बताया (जुलाई/सितम्बर 2021) कि कार्यस्थल की परिस्थितियों के अनुसार तकनीकी रूप से कुछ बदलाव आवश्यक हो जाते हैं जिन्हें किया जाना ही होता है। प्राक्कलन तैयार करते समय सभी प्रकरणों में यह सम्भव नहीं कि भूमिगत की सही परिस्थिति पता हो।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि ऐसे भौतिक संरचनात्मक परिवर्तनों का निष्पादन सक्षम प्राधिकारी के आदेश प्राप्त करने के पश्चात ही किया जाना चाहिए था।

सम्यक तत्परता के अभाव के कारण मात्रा और अतिरिक्त मदों में विचलन

2.1.13 जीओयूपी ने ₹ 854.51 करोड़ की लागत से कैंसर संस्थान के निर्माण हेतु प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की (फरवरी 2015)। यूपीआरएनएन द्वारा कैंसर संस्थान के निर्माण हेतु प्राक्कलन की तकनीकी स्वीकृति 10 जुलाई 2015 को ₹ 854.51 करोड़ के लिए प्रदान की गयी थी। परियोजना की स्वीकृत लागत को बाद में पुनरीक्षित कर (मई 2020) ₹ 805.28 करोड़ कर दिया गया।

परियोजना के लिए आर्किटेक्चरल और स्ट्रक्चरल कंसल्टेंसी सेवाओं का कार्य आर्कोहम कंसल्ट्स (आर्किटेक्ट) को परियोजना लागत के 1.5 प्रतिशत के शुल्क पर प्रदान किया गया (फरवरी 2014)। आर्किटेक्ट को दिये गए कार्य क्षेत्र में अन्य बातों के साथ-साथ ड्राइंग, डिजाइन और प्राक्कलन तैयार किया जाना शामिल था। इस प्रकार, कैंसर संस्थान के निर्माण के प्राक्कलन में परियोजना का विस्तृत प्राक्कलन आर्किटेक्ट द्वारा तैयार किया गया था और विस्तृत प्राक्कलन की तकनीकी स्वीकृति यूपीआरएनएन द्वारा प्रदान की गयी थी।

लेखापरीक्षा ने देखा कि जीओयूपी को प्रस्तुत पुनरीक्षित प्राक्कलन में 219 मदों के सम्बंध में 11.44 प्रतिशत से 2.14 लाख²⁷ प्रतिशत तक अधिक मात्रा एवं ₹ 52.93 करोड़ की धनराशि शामिल किये गए थे। अग्रेतर, 50 अतिरिक्त मदें अर्थात मदें जिन्हें मूल रूप से जीओयूपी द्वारा स्वीकृत नहीं किया गया था, उनको भी ₹ 18.07 करोड़ की लागत पर शामिल किया गया था। इसके अतिरिक्त, 285 मदों के सम्बंध में 10.78 प्रतिशत से 100 प्रतिशत तक की कम मात्रा और ₹ 125.74 करोड़ की धनराशि का प्रावधान किया गया।

मात्राओं और कार्यों की मदों में इतना बड़ा विचलन, इंगित करता है कि विस्तृत प्राक्कलन तैयार करने में आर्किटेक्ट द्वारा यथोचित पेशवर तत्परता नहीं बरती गयी थी। इसके अलावा, यह इस तथ्य का भी द्योतक है कि तकनीकी स्वीकृति प्रदान करते समय यूपीआरएनएन द्वारा सम्यक तत्परता नहीं बरती गयी थी।

अग्रेतर, चूँकि आर्किटेक्ट के साथ किये गए अनुबंध में मानक से कम कार्य के प्रकरण में आर्किटेक्ट को दण्डित करने के लिए कोई दण्डात्मक क्लॉज शामिल नहीं किया गया था, आर्किटेक्ट से कोई जुर्माना वसूल नहीं किया जा सका।

प्रबंधन/सरकार ने उत्तर में बताया (जुलाई/सितम्बर 2021) कि पुनरीक्षित प्राक्कलन में कार्य की लागत में वृद्धि नहीं हुयी है और निर्माण लागत को ₹ 805.44 करोड़ तक प्रतिबन्धित कर दिया गया है जो कि पूर्व में स्वीकृत लागत ₹ 854.51 करोड़ से कम है। आगे बताया गया कि आर्किटेक्ट के लिए मानक निविदा प्रपत्रों में दण्डात्मक क्लॉज जोड़ दिया गया है।

अर्जित ब्याज को कोषागार में जमा नहीं किया गया

2.1.14 शासनादेश (29 मई 2015) में प्रावधान है कि सरकार द्वारा निर्गत और बैंक खातों में रखी गयी निधि पर किसी भी सरकारी संस्थान/राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयू) द्वारा अर्जित ब्याज सरकार की आय होगी और इसे कोषागार में जमा किया जाएगा।

यूपीआरएनएन ने कैंसर संस्थान के निर्माण के लिए जीओयूपी (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण निदेशालय) से ₹ 728.33 करोड़ की निधि प्राप्त की (अगस्त 2014 से मार्च 2021)। इस प्राप्त निधि को यूपीआरएनएन के मुख्यालय के बैंक खातों में रखा गया और उसके पश्चात आवश्यकतानुसार परियोजना को निष्पादन करने वाली क्षेत्रीय इकाइयों को प्रेषित किया गया।

यूपीआरएनएन ने 2015-2021 की अवधि के दौरान सरकारी निधियों पर ₹ 36.68 करोड़ का ब्याज अर्जित किया लेकिन उसे कोषागार में जमा नहीं किया गया (सितम्बर 2021)।

प्रबंधन/सरकार ने उत्तर में बताया (जुलाई/सितम्बर 2021) कि उसने शासनादेश के प्रावधान के अनुसार ₹ 36.68 करोड़ का ब्याज सरकार के खाते में क्रेडिट कर दिया है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि जीओयूपी के शासनादेश में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि अर्जित ब्याज कोषागार में जमा करें न की बैंक खाते में।

²⁷ मद-निलंबित फर्श, छत, लैंडिंग और बीम के लिए सेंट्रिंग और शटरिंग में अतिरिक्त ऊंचाई के लिए अतिरिक्त।

मोबिलाइजेशन अग्रिम पर वसूल किया गया ब्याज सरकारी खाते में क्रेडिट नहीं किया गया

2.1.15 यूपीआरएनएन को प्राक्कलन तैयार करने, निविदाएं आमंत्रित करने, कार्यों के निरीक्षण, पर्यवेक्षण और गुणवत्ता नियंत्रण आदि से सम्बंधित कार्य करने के लिए एक निष्पादन एजेंसी के रूप में नामित किया गया था, जिसके लिए यह परियोजना लागत का एक प्रतिशत की दर से सेंटेज शुल्क के लिए पात्र है।

निर्माण एजेंसी के साथ किये गए अनुबंध के नियम और शर्तें प्रावधानित करती हैं कि मोबिलाइजेशन अग्रिम पर 10 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज देय होगा और अग्रिम की बकाया धनराशि की गणना भुगतान की तिथि से वसूली की तिथि तक जिसमें दोनों दिन शामिल हैं की जायेगी।

लेखापरीक्षा ने देखा कि यूपीआरएनएन ने मोबिलाइजेशन अग्रिम पर ब्याज के रूप में निर्माण एजेंसी के बिलों से ₹ 13.69 करोड़ की वसूली की थी। चूंकि यूपीआरएनएन केवल एक निष्पादन एजेंसी है, इसलिए इसे मोबिलाइजेशन अग्रिम पर वसूल की गयी ब्याज की धनराशि को सरकारी खाते में क्रेडिट करना चाहिए था। तथापि, यूपीआरएनएन ने उक्त धनराशि को सरकारी खाते में क्रेडिट नहीं किया था।

प्रबंधन/सरकार ने उत्तर में बताया (जुलाई/सितम्बर 2021) कि मोबिलाइजेशन अग्रिम एक उप-ठेकेदार को सुचारु और त्वरित कार्य के लिए कार्य स्थल पर श्रमिकों और सामग्री को जुटाने के लिए दिया जाता है। अनुबंध में मोबिलाइजेशन अग्रिम पर ब्याज सम्बंधी क्लॉज को इसके हितों की रक्षा के लिए शामिल किया गया है। उपरोक्त को देखते हुए मोबिलाइजेशन पर अर्जित ब्याज को अपनी आय के रूप में माना गया और इसलिए, सरकार को क्रेडिट नहीं किया गया।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि मोबिलाइजेशन अग्रिम निर्माण एजेंसी को यूपीआरएनएन द्वारा निष्पादन एजेंसी के रूप में सरकार से प्राप्त निधि में से दिया गया और न की स्वयं की निधि से। उपरोक्त के आलोक में, निर्माण एजेंसी से वसूल किये गए मोबिलाइजेशन अग्रिम पर ब्याज सरकारी खाते में क्रेडिट किया जाना चाहिए था।

जेम पोर्टल के माध्यम से सेवाओं की प्राप्ति नहीं की गयी

2.1.16 उत्तर प्रदेश सरकार ने निर्देशित (अगस्त 2017) किया कि सभी विभाग और उनके अधीनस्थ संस्थान गवर्नमेंट ई-मार्केट प्लेस (जेम) पर सूचीबद्ध सामग्री और सेवाओं का क्रय केवल जेम पोर्टल के माध्यम से करेंगे।

ओपीडी ब्लॉक, सहायक ब्लॉक (एचवीएसी, मॉर्चरी और मेडिकल गैस पाइपलाइन सिस्टम), प्रवेश चौक, विद्युत सब-स्टेशन, रेडियोलॉजी ब्लॉक, रसोई और लॉण्ड्री, मीटर कक्ष, पंप कक्ष और एसटीपी/ईटीपी से सम्बंधित कार्यों को पूर्ण किया गया और सरकार को उन्हें हस्तगत किया गया। यूपीआरएनएन ने हस्तगत किये गए भवनों के दैनिक संचालन और रखरखाव से सम्बंधित जनशक्ति की अभिप्राप्ति क्रय-समिति के प्रतिवेदन (पीसीआर)/कोटेशन के आधार पर की।

लेखापरीक्षा ने देखा कि यूपीआरएनएन ने कैसर संस्थान भवनों के दैनिक संचालन और रखरखाव के लिए जनशक्ति की अभिप्राप्ति जेम पोर्टल के माध्यम के बजाय ₹ 51.51 लाख मूल्य के सात कार्यादेश (छः कार्यादेश स्टर्लिंग और विल्सन को निर्गत एवं एक कार्यादेश ब्लू स्टार को निर्गत) क्रय-समिति के प्रतिवेदन (पीसीआर)/कोटेशन के आधार पर प्रदान किया (फरवरी 2020 से अक्टूबर 2020)। इस प्रकार, यूपीआरएनएन ने जेम पोर्टल के माध्यम से सामग्री और सेवाओं की अभिप्राप्ति के सम्बंध में जीओयूपी के निर्देशों का पालन नहीं किया और खुद को प्रतिस्पर्धी दरों से वंचित कर दिया।

प्रबंधन/सरकार ने उत्तर में बताया (जुलाई/सितम्बर 2021) कि इन उच्च विशिष्टियों वाली सेवाओं के संचालन और रखरखाव के लिए ग्राहक के पत्र (10 फरवरी 2020) को

देखते हुए तत्काल कार्यवाही की गयी और कार्यादेश समय-अंतराल व्यवस्था के रूप में दिये गए थे। आगे बताया गया कि यदि यह कार्य लम्बे समय तक किया जाता है तो जेम पोर्टल के माध्यम से सामग्री और सेवाओं की अभिप्राप्ति के लिए जीओयूपी के निर्देश का सख्ती से पालन किया जाएगा।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि प्रारंभिक कार्यादेश की अवधि समाप्त होने के बाद भी, यूपीआरएनएन ने जेम पोर्टल का उपयोग किये बिना अतिरिक्त अवधि के लिए कार्यादेश दिये (मई 2020 से अक्टूबर 2020)।

निष्कर्ष

परियोजना के कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण कमियां और विलम्ब थे। बढ़े हुए प्राक्कलन एवं औचित्य विवरण तैयार न किये जाने के परिणामस्वरूप परियोजना पर ₹ 64.60 करोड़ अधिक व्यय हुआ। चूंकि निर्माण एजेंसी का चयन समान कार्यों के निष्पादन में अनुभव और प्राक्कलित लागत के कारोबार के आधार पर किया गया था, एक बढ़े हुए प्राक्कलन ने निविदा में प्रतिस्पर्धा को भी कम कर दिया। यूपीआरएनएन ने निर्माण एजेंसी और आर्किटेक्ट को ₹ 19.75 करोड़ का अतिरिक्त भुगतान/अल्प-वसूली/परिहार्य व्यय किया।

वृहत संरचनात्मक परिवर्तनों के साथ आवश्यक मात्राओं और मदों में वृहद विचलन आर्किटेक्ट की क्षमता पर सवाल उठाते हैं। अग्रेतर, विलम्ब यूपीआरएनएन और परियोजना सलाहकार की ओर से अनुश्रवण की कमी को दर्शाता है। यूपीआरएनएन और निर्माण एजेंसी की ओर से विलम्ब के कारण कार्य पूर्ण होने की निर्धारित तिथि से चार वर्ष से अधिक समय व्यतीत हो जाने के पश्चात भी कैंसर संस्थान का निर्माण अधूरा (नवम्बर 2021) था, जिसके परिणामस्वरूप परियोजना के अभिष्ट लाभार्थियों यथा कैंसर रोगियों एवं शोध छात्रों को पूर्ण लाभ नहीं मिल पाया।

लेखापरीक्षा प्रस्तर

उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड

2.2 कार्यों की ई-निविदा सम्बंधी शासनादेशों का उल्लंघन

यूपीआरएनएन ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म के सृजन एवं रख रखाव का कार्य सौंपते समय ई-निविदा सम्बंधी उत्तर प्रदेश सरकार के आदेशों के साथ-साथ अपने स्वयं के आदेशों का भी उल्लंघन किया।

उत्तर प्रदेश सरकार (जीओयूपी) के 31 मार्च 2017 को निर्गत आदेशों (जीओ)²⁸ में प्रावधान था कि लोक निर्माण विभाग के सभी कार्यों के आवंटन के लिए ई-निविदा अपनायी जाए। प्रबंध निदेशक, यूपीआरएनएन ने भी सभी सामग्रियों और सेवाओं के क्रय में ई-निविदा²⁹ के सख्त कार्यान्वयन के लिए आदेश (09 अप्रैल 2017 एवं 17 अप्रैल 2017) जारी किये। यह भी कहा गया कि इन आदेशों के उल्लंघन को गंभीरता से लिया जाएगा और सम्बंधित अधिकारी के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जाएगी। इसके पश्चात, जीओयूपी ने निर्देश दिया (24 अप्रैल 2018 को निर्गत शासनादेश³⁰ द्वारा) कि ₹ 10 लाख से अधिक के क्रय सभी विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और अन्य सरकारी संस्थाओं द्वारा ई-निविदा प्रणाली के माध्यम से किया जाना है।

लेखापरीक्षा ने देखा (जनवरी 2020) कि यूपीआरएनएन के निदेशक मण्डल (बीओडी) ने अपनी 186वीं बैठक (जून 2018) में इसके समक्ष प्रस्तुत एजेंडा नोट के अनुसार व्यापक प्रचार के माध्यम से एक सोशल मीडिया प्रबंधन फर्म को नियुक्त करने की स्वीकृति प्रदान की। हालाँकि, यूनिट-इन-चार्ज (यूआईसी), अनुरक्षण इकाई, यूपीआरएनएन मुख्यालय द्वारा कोटेशन के आधार पर मैसर्स पार्थ एंटरप्राइजेज (फर्म) को कार्य देने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया (27 नवम्बर 2018), यह कहते हुये कि "ई-निविदा प्रक्रिया प्रारम्भ की जा चुकी है, जिसमें लगभग तीन माह लगेंगे, इसलिये शीघ्रातिशीघ्र कार्य करने के लिए सरकार के निर्देशों को ध्यान में रखते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म (एसएमपी) का कार्य विभागीय निर्माण इकाई (डीसीयू) पद्धति पर किया जा सकता है। तदनुसार, तीन कोटेशन मंगवाये गये थे और ई-निविदा के माध्यम से फर्म के चयन तक कार्य का निष्पादन एल-1 फर्म (मैसर्स पार्थ एंटरप्राइजेज) से करवाया जा सकता है।" प्रबंध निदेशक के अनुमोदन (27 नवम्बर 2018) के बाद, फर्म को ₹ 5.19 लाख (जीएसटी सहित) के मासिक व्यय पर एसएमपी³¹ के निर्माण और रखरखाव का कार्य सौंपा गया (27 नवम्बर 2018)। यूआईसी द्वारा पहला कार्यादेश फर्म को दो माह (दिसम्बर 2018 और जनवरी 2019) के लिए जारी (29 नवम्बर 2018) किया गया था। कार्यादेश में अन्य बातों के साथ-साथ, यूपीआरएनएन, यूपीपीडब्ल्यूडी एवं उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम लिमिटेड (यूपीएसबीसीएल) के लिए उक्त फर्म द्वारा एसएमपी का कार्य किये जाने का प्रावधान था।

उपरोक्त एसएमपी का कार्य प्रदान करने एवं निष्पादन में लेखापरीक्षा में देखी गयी कमियां निम्नानुसार हैं:

(i) प्रथम बार कार्य सौंपने के दो वर्षों से अधिक समय व्यतीत हो जाने के पश्चात भी एसएमपी के लिये कोई ई-निविदा नहीं की गयी थी और यूआईसी द्वारा फर्म को बार-बार द्विमासिक कार्यादेश निर्गत किये जाते रहे। 28 माह (दिसम्बर 2018 से 31 मार्च 2021) अवधि के लिए निर्गत किये गए ऐसे कार्यादेशों का कुल मूल्य

²⁸ संख्या 6/2017/350/23-7-176 (सामान्य)/06 टीसी।

²⁹ शासनादेश संख्या 1067/78-2-2017-42 आईटी/2017 दिनांक 12 मई 2017 के तहत सभी विभागों/पीएसयू/एबी आदि द्वारा 01 सितम्बर 2017 से अनिवार्य।

³⁰ संख्या 6/2018/256/78-2-2018-42 आईटी/टीसी।

³¹ फेसबुक एवं ट्विटर।

₹ 1.45 करोड़ रहा जो ई-निविदा के लिए शासनादेश द्वारा ₹ 10 लाख की सीमा से बहुत अधिक था।

(ii) व्यापक प्रचार के माध्यम से फर्म के चयन के सम्बंध में बीओडी के निर्णय का उल्लंघन किया गया था क्योंकि बीओडी के अनुमोदन से पाँच माह का पर्याप्त समय होने के बाद भी इसे खुली निविदा प्रक्रिया के बजाय कोटेशन प्रक्रिया के माध्यम से चयन किया गया था। इसके अलावा, यूआईसी ने तात्कालिकता का हवाला देते हुए कोटेशन आधारित फर्म के चयन को उचित ठहराया था और यह कहते हुए कि कार्य देने के लिए ई-निविदा प्रक्रिया आरम्भ कर दी गयी है, हालाँकि उक्त कार्य सम्बंधी ई-निविदा प्रक्रिया प्रारम्भ करने से सम्बंधित कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं थे। कार्य प्रदान करने में भी तात्कालिकता नहीं दिखी।

(iii) कोटेशन में कार्य की मात्रा और विनिर्देश से जुड़ी मदवार दरें शामिल नहीं थीं। पुनः, ईसी ने दरों के औचित्य का पता लगाने के लिए कोई तर्कसंगत मानदण्ड लागू नहीं किया।

(iv) एल-1 फर्म और अन्य दो फर्मों के कोटेशन में उल्लिखित कार्य के क्षेत्र और लागत को उल्लेख करने के पैटर्न में एकरूपता का अभाव था। यह इंगित करता है कि कोटेशन मांगने वाले कार्य की विशिष्ट आवश्यकता तैयार नहीं की गयी थी और दरों की तुलना भिन्न आधारों पर की गयी थी।

(v) जीएसटी पोर्टल के अनुसार, जनशक्ति सेवाओं से सम्बंधित जीएसटी के लिए फर्म के पंजीकरण की प्रभावी तिथि 30 नवम्बर 2018 थी। एसएमपी के कार्य के लिए फर्म द्वारा 26 नवम्बर 2018 को जीएसटी संख्या का उल्लेख करते हुए कोटेशन प्रस्तुत किया गया था। इस फर्म का मूल्यांकन (27 नवम्बर 2018) एल-1 के रूप में किया गया था जिसे पहला कार्यादेश 29 नवम्बर 2018 को निर्गत किया गया था। इस प्रकार, कार्य प्रदान करते समय फर्म के पास प्रभावी जीएसटीएन नहीं था।

(vi) माप पुस्तिका (एमपीबी) में कार्य को अभिलेखित करने के लिए उसके गुणात्मक और मात्रात्मक माप के लिए न तो कोटेशन और न ही कार्यादेश में कोई मानदण्ड थे। ऐसे किसी मानदण्ड के अभाव में फर्म को किये गए भुगतान किये गए कार्य की मात्रा पर आधारित नहीं थे।

(vii) जैसा कि कार्यादेशों में कहा गया है, एसएमपी का कार्य उक्त फर्म द्वारा यूपीआरएनएन, यूपीपीडब्ल्यूडी एवं उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम लिमिटेड (यूपीएसबीसीएल) के लिए किया जाना था। यूपीपीडब्ल्यूडी और यूपीएसबीसीएल दोनों ने विशेष रूप से, फर्म द्वारा किये गए उपरोक्त एसएमपी के कार्य के साथ किसी भी सम्बंध होने से पहले इन्कार किया (सितम्बर 2020) लेकिन बाद में यूपीपीडब्ल्यूडी और यूपीएसबीसीएल ने पुष्टि की (क्रमशः नवम्बर 2020 एवं जून 2021) कि यूपीआरएनएन द्वारा स्थापित सोशल मीडिया सेल ने उन्हें इनपुट प्रदान किया।

ये कमियाँ एक पारदर्शी और प्रतिस्पर्धी निविदा/ई-निविदा प्रक्रिया सुनिश्चित करने के सम्बंध में पूर्वोक्त शासनादेशों के साथ-साथ यूपीआरएनएन के आदेशों के स्पष्ट उल्लंघन का संकेत देती हैं। अग्रेतर, जीओयूपी शासनादेशों के उल्लंघन में कोटेशन प्रक्रिया के माध्यम से कार्य प्रदान करना तथा कार्यादेश में उल्लिखित कार्य क्षेत्र की नकल के रूप में एमबी में किये गए वास्तविक कार्य के रूप में दर्ज करना ₹ 1.45 करोड़ के व्यय को प्रथम दृष्टया अनियमित बनाते हैं। प्रकरण को संसाधित करने और जीएसटी संख्या प्राप्त करने की जल्दबाजी का तरीका फर्म की वास्तविकता और कार्य प्रदान करने पर संदेह पैदा करता है।

सरकार/प्रबंधन ने अपने उत्तर में बताया (सितम्बर 2021/जून 2021) कि चूँकि उक्त कार्य जल्द से जल्द किया जाना था और ई-निविदा प्रक्रिया के लिये तीन माह से अधिक समय की आवश्यकता थी, अतः फर्म की नियुक्ति विभागीय निर्माण इकाई पद्धति

कार्यों के लिए निगम की कार्य नियमावली में निर्धारित प्रावधान के अनुसार प्राप्त तीन कोटेशनों में एल-1 के आधार पर की गयी थी। हालाँकि, कार्य के लिए ई-निविदा प्रारम्भ कर दी गयी है और जून 2021 में वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएगी। इसमें आगे कहा गया कि कार्य का कार्यक्षेत्र सभी फर्मों को स्पष्ट रूप से समझाया गया था, लेकिन एल-1 फर्म को छोड़कर अन्य निविदादाताओं ने एकमुश्त मूल्य उद्धृत किया था। जीएसटी पंजीकरण के सम्बंध में यह कहा गया कि फर्म को अपनी निविदा जमा करने से पहले जीएसटी पंजीकरण संख्या मिल गयी थी जिसे विभाग द्वारा 30 नवम्बर 2018 तक जीएसटी पोर्टल पर अपलोड किया जा सका था। इसके अलावा, फर्म से फोटो/सामग्री और दैनिक गतिविधि रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद माप एमबी में दर्ज की गयी थी।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि यूपीआरएनएन कोटेशन के आधार पर कार्य प्रदान करने में सरकार और अपने स्वयं के आदेशों का पालन करने में विफल रहा। इसके अलावा, ई-निविदा अभी तक नहीं की गयी है (फरवरी 2022)। कोटेशन में कार्य की विशिष्ट आवश्यकता की मांग करने के लिए कोई दस्तावेज प्रमाण प्रदान नहीं किया गया और न ही कोई तात्कालिकता दिखी। इसके अलावा, पोर्टल पर जीएसटी पंजीकरण की प्रभावी तिथि का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया था जो कि कार्य प्रदान करने की तिथि के बाद की थी। अवधि के दौरान प्राप्त फोटोग्राफ/सामग्रियों या दैनिक गतिविधियों के मात्रात्मक विवरण एमबी में दर्ज करने के बजाय, एमबी में केवल कार्य के क्षेत्र का उल्लेख किया गया था।

उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम लिमिटेड

2.3 परिहार्य हानि

निविदा मूल्य में जीएसटी को शामिल किये बिना ही निविदा प्रक्रिया में भाग लिया जिसके कारण एनएचएआई द्वारा जीएसटी दावे की प्रतिपूर्ति से मना किया गया और परिणामस्वरूप यूपीएसबीसीएल को ₹ 41.99 करोड़ की हानि हुयी।

राष्ट्रीय राजमार्ग 58 और 72³² के हरिद्वार-देहरादून खण्ड में 4-लेन के शेष कार्य के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) द्वारा आमंत्रित (जून 2018) निविदा में उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम लिमिटेड (यूपीएसबीसीएल) ने एनएचएआई की अनुमानित लागत ₹ 292.26 करोड़³³ की तुलना में ₹ 349.90 करोड़ का मूल्य उद्धृत करके प्रतिभाग (अगस्त 2018) किया। उक्त सड़कों के निर्माण कार्य हेतु एनएचएआई ने ₹ 349.90 करोड़ के एल-1 मूल्य पर यूपीएसबीसीएल के साथ एक अनुबंध निष्पादित (जनवरी 2019) किया।

निविदादाताओं को निर्देश का क्लॉज 14.3 प्रावधानित करता है कि निविदा जमा करने की समय सीमा से 28 दिन पहले की तिथि तक अनुबंध के तहत या किसी अन्य कारण से, ठेकेदार द्वारा देय सभी शुल्क, कर एवं अन्य शुल्क की दरें और कीमतें एवं निविदादाता द्वारा प्रस्तुत कुल निविदा मूल्य में शामिल होंगे; और निविदाओं का मूल्यांकन और तुलना नियोक्ता द्वारा तदनुसार की जाएगी।

लेखापरीक्षा ने देखा (जुलाई 2020) कि निविदा की पूर्वोक्त शर्त के अनुसार यूपीएसबीसीएल को जीएसटी सहित सभी करों और शुल्कों के साथ निविदा मूल्य उद्धृत करना था। हालाँकि, इसने बिना जीएसटी के ₹ 349.90 करोड़ के निविदा मूल्य को उद्धृत किया। इस सम्बंध में, यूपीएसबीसीएल की निविदा समिति (टीसी) के समक्ष प्रस्तुत तथ्यों (25 अगस्त 2018) से पता चला कि निविदा मूल्य ज्ञात करने के लिए मुख्य परियोजना प्रबंधक, गाज़ियाबाद द्वारा चार अलग-अलग मानदण्डों यथा

³² एनएच-58: 211.000 किमी से 218.200 किमी तक एवं एनएच-72: 165.000 किमी से 196.825 किमी तक।

³³ अगस्त 2018 में पुनरीक्षित कर ₹ 311.96 करोड़ किया गया।

₹ 357.11 करोड़³⁴, ₹ 373.63 करोड़³⁵, ₹ 393.55 करोड़³⁶ एवं ₹ 394.16 करोड़³⁷, प्रत्येक निर्धारण जीएसटी सहित पर कार्य की लागत का निर्धारण किया गया था। इनके विरुद्ध, महाप्रबंधक (जीएम-वाणिज्यिक), जो टीसी के सदस्य भी थे, ने अंततः टीसी को इस तथ्य का खुलासा किये बिना कि इस लागत में जीएसटी शामिल नहीं थी, ₹ 349.90 करोड़ की लागत की संस्तुति की। उपरोक्त निविदा में भाग लेने के लिए जीएम-वाणिज्यिक और प्रबंध निदेशक (एमडी) की सदस्यता वाली टीसी द्वारा इस अनुशंसित लागत को अनुमोदित (25 अगस्त 2018) किया गया था।

इसके बाद, अनुबंध के निष्पादन के प्रारम्भ होने के नौ माह व्यतीत हो जाने के पश्चात, यूपीएसबीसीएल द्वारा ₹ 349.90 करोड़ के उद्धृत मूल्य के अतिरिक्त, जीएसटी की प्रतिपूर्ति के लिए एक अनुरोध किया गया (अक्टूबर 2019)। एनएचएआई द्वारा अपने कानूनी प्रभाग की सलाह के आधार पर इसे मान्य नहीं पाया गया (मई 2020)। तदनुसार, यूपीएसबीसीएल द्वारा अगस्त 2020 तक ₹ 258.93 करोड़ के किये गए कार्य के मूल्य पर सरकार को पहले ही भुगतान किये गए ₹ 31.07 करोड़ की जीएसटी के दावों की प्रतिपूर्ति एनएचएआई द्वारा नहीं की गयी।

इस प्रकार, यूपीएसबीसीएल ने निविदा की विशिष्ट शर्त के उल्लंघन में, जीएम/वाणिज्यिक की दोषपूर्ण संस्तुति के आधार पर, जीएसटी को शामिल किये बिना निविदा मूल्य उद्धृत करके निविदा में भाग लिया। इसके कारण एनएचएआई द्वारा यूपीएसबीसीएल के ₹ 31.07 करोड़ के जीएसटी दावे की प्रतिपूर्ति से इन्कार किया गया। परिणामस्वरूप, यूपीएसबीसीएल को ₹ 31.07 करोड़ की परिहार्य हानि हुयी, जो ₹ 349.90 करोड़ के कुल अनुबंध मूल्य पर बढ़कर ₹ 41.99 करोड़ तक हो जाएगी।

सरकार ने बताया (अगस्त 2021) कि अनुबंध के भाग 'ब' की विशेष शर्तों के सब-क्लॉज 21.2- निविदा दस्तावेजों के विशिष्ट प्रावधान बताते हैं कि निविदा मूल्य में सभी प्रकार के कर यथा सभी सीमा शुल्क, आयात शुल्क, व्यापार कर एवं आय और अन्य कर स्थानीय/राज्य सरकार, चुंगी, रॉयल्टी, आदि शामिल होंगे, जो उस तिथि को लागू होने वाले कानून और विनियमों के अनुसार लगाये जा सकते हैं। सब-क्लॉज 21.2 में शामिल और विभिन्न श्रेणियों के करों के विशिष्ट उल्लेख की दृष्टि से, भारत सरकार का कर होने के कारण जीएसटी को निविदा में शामिल नहीं किया गया था। यूपीएसबीसीएल ने आगे बताया कि प्रकरण में स्वतंत्र विशेषज्ञों की एक समाधान समिति (सीसीआईआई) का गठन किया गया है और इसकी पहली बैठक जुलाई 2021 को हुयी थी जिसमें प्रकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता पर लिया गया था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि निविदा दस्तावेज के क्लॉज 14.3 में विशिष्ट उल्लेख है कि सभी करों को शामिल करने की आवश्यकता थी। क्लॉज 21.2 भी सभी करों को शामिल करने का प्रावधान करता है और उदाहरण के तौर पर कुछ करों का उल्लेख करता है। इसका अर्थ जीएसटी को शामिल न करने के रूप में नहीं माना जा सकता है। जीएसटी को शामिल करने/न करने की शंका को दिनांक 25 जुलाई 2018 को सम्पन्न 'पूर्व निविदा बैठक' में भी नहीं उठाया गया। इस प्रकार, निविदा में भाग लेने के लिए बिना जीएसटी के निविदा मूल्य उद्धृत करना, निविदा की विशिष्ट शर्त का उल्लंघन करते हुये, टीसी को की गयी दोषपूर्ण संस्तुति पर आधारित था। चूंकि यह निविदा की शर्त के विरुद्ध था; सीसीआईआई के तहत राहत मिलने की संभावना नगण्य है।

सरकार को यूपीएसबीसीएल के सम्बंधित अधिकारी (अधिकारियों) पर जिम्मेदारी तय करनी चाहिये, जिनकी वजह से कम्पनी को परिहार्य हानि हुई।

³⁴ वर्ष 2017-18 के लिए उत्तराखण्ड की दरों की अनुसूची (एसओआर) के अनुसार।

³⁵ वर्ष 2018-19 के लिये उत्तराखण्ड की एसओआर के अनुसार।

³⁶ विभागीय निर्माण इकाई पैटर्न के अनुसार।

³⁷ सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के विनिर्देशों के आधार पर दरें।

परिवहन विभाग

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम

2.4 कैशबैक की परिहार्य हानि

नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन प्रोग्राम का समय पर कार्यान्वयन में विफलता ने यूपीएसआरटीसी को टोल टैक्स के भुगतान पर ₹ 14.18 करोड़ के कैशबैक से वंचित कर दिया और इसी सीमा तक परिहार्य हानि हुयी।

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (एमओआरटीएच), भारत सरकार, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) और भारतीय राजमार्ग प्रबंधन कम्पनी लिमिटेड (आईएचएमसीएल)³⁸ ने भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) के साथ नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन (एनईटीसी) कार्यक्रम को पुनः प्रारम्भ किया (03 दिसम्बर 2016)। एनईटीसी कार्यक्रम, राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच) पर एक रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन (आरएफआईडी) आधारित इंटरऑपरेबल³⁹ टैग जिसे फास्टैग के रूप में जाना जाता है, के माध्यम से टोल टैक्स के इलेक्ट्रॉनिक भुगतान की अनुमति देता है। यह टोल टैक्स के मैनुअल संग्रह में रिसाव को कम करने के लिए था। एनईटीसी कार्यक्रम को एनएचएआई द्वारा अधिकृत बैंकों के माध्यम से कार्यान्वित किया जाना था। एनईटीसी कार्यक्रम को लागू करने के लिए एक प्रोत्साहन उपाय के रूप में, एनएचएआई ने 2016-17 से 2019-20 की अवधि के दौरान किये गए एनईटीसी संव्यवहारों के लिए कैशबैक भुगतान के रूप में छूट⁴⁰ प्रदान की, बशर्ते कि कुछ नियम और शर्तें पूरी हों।

एनएचएआई ने उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (यूपीएसआरटीसी) को टोल टैक्स के इलेक्ट्रॉनिक भुगतान पर छूट का लाभ प्राप्त करने हेतु एनईटीसी कार्यक्रम में प्रतिभाग करने के लिए आमंत्रित किया (16 जनवरी 2017)। एनईटीसी कार्यक्रम को लागू करने के लिए, यूपीएसआरटीसी ने तीन⁴¹ बैंकों से प्रस्ताव आमंत्रित किये (10 फरवरी 2017) और भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) एवं एक्सिस बैंक को भागीदार बैंकों के रूप में चुना और उनके साथ पाँच वर्ष की अवधि के लिए अनुबंध किया (10 अप्रैल 2017)। अनुबंध के नियम और शर्तों में निम्नलिखित प्रावधान थे:

- यूपीएसआरटीसी अन्य बातों के साथ-साथ फास्टैग गतिविधि के लिए डेबिट मैनेजेंट⁴² के साथ बैंक में एक चालू खाता खोलेगा और इसे बनाए रखेगा।
- यूपीएसआरटीसी यह सुनिश्चित करेगा कि टैग लगाने की प्रक्रिया के लिए बसों एक पूर्वनिर्धारित स्थान पर एकत्र हों और इनकी समय-सारणी पार्टनर बैंक/उसके सेवा प्रदाता के साथ चार कार्य दिवसों पूर्व साझा की जाएगी।
- बसों में फास्टैग निर्गत करने और लगाने के लिए बैंक को कोई शुल्क देय नहीं होगा।
- एसबीआई और एक्सिस बैंक द्वारा क्रमशः 11 और नौ क्षेत्रों में एनईटीसी कार्यक्रम को चार चरणों में 01 जून 2017 से 20 जून 2017 तक लागू किया जाएगा।
- बैंक माह के अंत में एनएच के सभी टोल प्लाजा पर सभी टोल लेन देनों के लिए यूपीएसआरटीसी के चालू खाते में लागू दर पर कैशबैक की धनराशि जमा करेगा।

³⁸ एनएचएआई की सहायक कम्पनी।

³⁹ एनएच के सभी टोल प्लाजा पर एक ही टैग का इस्तेमाल किया जा सकता है।

⁴⁰ 2016-17, 2017-18, 2018-19 एवं 2019-20 में क्रमशः 10 प्रतिशत, 7.5 प्रतिशत, 5 प्रतिशत एवं 2.5 प्रतिशत।

⁴¹ भारतीय स्टेट बैंक, आईसीआईसीआई बैंक एवं एक्सिस बैंक।

⁴² यह यूपीएसआरटीसी के खाते से टोल की धनराशि की कटौती करने और उसे सम्बंधित बैंक/एनएचएआई के खाते में हस्तान्तरण करने का अधिकार देता है।

अग्रेतर, निर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर एनईटीसी कार्यक्रम को लागू करने के लिए, यूपीएसआरटीसी ने अपने मुख्यालय और क्षेत्रों के नामित अधिकारियों को जिम्मेदारियों सौंपी और 21 जून 2017 से सभी क्षेत्रों में फास्टैग के माध्यम से टोल टैक्स का भुगतान सुनिश्चित करने के लिये सात अधिकारियों⁴³ की एक निगरानी समिति (एमओसी) का गठन किया (30 मई 2017)।

लेखापरीक्षा ने देखा (मार्च 2021) कि सभी आवश्यक व्यवस्था करने के बावजूद, यथा भागीदार बैंकों का चयन और अनुबंध का निष्पादन, समय-सीमा का निर्धारण, नामित अधिकारियों की जिम्मेदारियों का आवंटन और एमओसी का गठन, यूपीएसआरटीसी अपने स्वयं के 21 जून 2017 से एनईटीसी कार्यक्रम को पूरी तरह से लागू करने के लक्ष्यों को प्राप्त करने में विफल रहा। यूपीएसआरटीसी द्वारा जून 2017 के बाद (अर्थात् जुलाई 2017 से मार्च 2020 के दौरान) से टोल टैक्स के भुगतान से सम्बंधित आंकड़ों के विश्लेषण से पता चला कि ₹ 624.33 करोड़ के कुल टोल टैक्स में से केवल ₹ 283.85 करोड़ (46.46 प्रतिशत) का भुगतान फास्टैग के माध्यम से किया गया था, जिस पर केवल ₹ 13.41 करोड़ का कैशबैक प्राप्त हुआ था (परिशिष्ट-2.8)।

अग्रेतर, जुलाई 2017 से मार्च 2020 (परिशिष्ट-2.9) की अवधि से सम्बंधित सभी 20 क्षेत्रों के डेटा का विश्लेषण से पता चला कि जुलाई 2017 तक, 12,155 बसों के बेड़े के सापेक्ष, इन क्षेत्रों द्वारा केवल 6,827 बसों (56.17 प्रतिशत) ही एनईटीसी कार्यक्रम लागू किया गया था। यह स्थिति मार्च 2018 (56.35 प्रतिशत) एवं मार्च 2019 (56.22 प्रतिशत) तक लगभग स्थिर रही और मार्च 2020 तक बढ़कर 79.24 प्रतिशत हो गयी। जुलाई 2017 के अंत तक यूपीएसआरटीसी के 20 क्षेत्रों में कार्य की प्रगति कुल बसों का 14 प्रतिशत (मेरठ क्षेत्र) और 97 प्रतिशत (झांसी क्षेत्र) के मध्य रही। अग्रेतर, उपरोक्त 20 क्षेत्रों में एनईटीसी का कार्यान्वयन मार्च 2020 तक अर्थात् कैशबैक छूट के अंतिम चरण के बंद होने पर कुल बसों के 43 प्रतिशत (देवीपाटन क्षेत्र) और 96 प्रतिशत (नोएडा क्षेत्र) के मध्य था। लेखापरीक्षा ने देखा कि जुलाई 2017 से मार्च 2020 की अवधि के दौरान छः क्षेत्रों अर्थात् देवीपाटन, सहारनपुर, मेरठ, लखनऊ, अलीगढ़ एवं बरेली ने बहुत खराब⁴⁴ प्रदर्शन किया।

इस प्रकार, एनईटीसी कार्यक्रम को समयबद्ध तरीके से लागू करने में विफलता के कारण यूपीएसआरटीसी जुलाई 2017 से मार्च 2020 के दौरान फास्टैग मोड के बिना किये गए ₹ 340.48 करोड़ के टोल टैक्स के भुगतान पर ₹ 14.18 करोड़ (परिशिष्ट-2.8) की कैशबैक छूट का लाभ नहीं उठा सका जिसके कारण उसी सीमा तक परिहार्य हानि हुयी।

यूपीएसआरटीसी कुछ क्षेत्रों के खराब प्रदर्शन के कारणों की समीक्षा कर सकता है एवं आवश्यक कार्यवाही कर सकता है।

प्रबंधन ने अपने उत्तर में इस तथ्य को स्वीकार किया (सितम्बर 2021) कि जुलाई 2017 से मार्च 2019 के दौरान फास्टैग का प्रतिशत कम था। इसने आगे बताया कि यह सेवा प्रदाता बैंकों की अक्षमता के कारण था क्योंकि वे फास्टैग की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने एवं फास्टैग से सम्बंधित प्रकरणों का समयबद्ध तरीके से समाधान करने में विफल रहे।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि बैंकों से सम्बंधित प्रकरणों, यदि कोई हों, को अनुबंध की शर्तों के अनुसार समयबद्ध तरीके से हल किया जाना चाहिए था। इसके अतिरिक्त, लेखापरीक्षा द्वारा मांगे जाने के बावजूद प्रबंधन ने अपने उत्तर के समर्थन में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया (अक्टूबर 2021)।

⁴³ मुख्य महाप्रबंधक (संचालन), महाप्रबंधक (वाणिज्यिक), महाप्रबंधक (एमआईएस), सहायक प्रबंधक (बजट), सहायक प्रबंधक (लेखापरीक्षा), सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक (वित्त), गाजियाबाद एवं सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक (वित्त), लखनऊ।

⁴⁴ जुलाई 2017 और मार्च 2020 में क्रमशः 14.11 प्रतिशत से 48.30 प्रतिशत एवं 43.48 प्रतिशत से 74.44 प्रतिशत।

प्रकरण सरकार को प्रतिवेदित किया गया (मई 2021)। उत्तर अभी भी प्रतीक्षित है (नवम्बर 2021)।

2.5 आईटीएमएस परियोजना के लिए अनियमित भुगतान

यूपीएसआरटीसी ने आईटीएमएस की एक परियोजना के कार्यान्वयन में अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन करते हुए एक निजी फर्म को ₹ 69.84 करोड़ का गैर-अनुमन्य और अधिक भुगतान किया।

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (यूपीएसआरटीसी) ने पाँच वर्षों की अवधि के लिए यूपीएसआरटीसी में एक इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम (आईटीएमएस) की आपूर्ति, स्थापना एवं संचालन के लिए मैसर्स ट्राइमैक्स आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज लिमिटेड, मुंबई (ट्राइमैक्स)⁴⁵ के साथ एक अनुबंध निष्पादित किया (02 फरवरी 2013)। आईटीएमएस का उद्देश्य एक एकीकृत टिकट प्रणाली, वाहन ट्रेकिंग प्रणाली और यात्रियों की सूचना प्रणाली प्रदान करना था। आईटीएमएस की पाँच वर्षों की संचालन अवधि एवं बिल्ड-ओन-ऑपरेट एंड ट्रांसफर (बीओओटी) मॉडल पर यूपीएसआरटीसी के सभी 20 क्षेत्रों में पूर्ण 'गो-लाइव' सिस्टम की स्वीकृति के बाद प्रारम्भ होनी थी। विभिन्न क्षेत्रों में अप्रैल 2014 से नवम्बर 2015 के दौरान आईटीएमएस 'गो-लाइव' हो गया।

अनुबंध के अनुच्छेद 2.1 (ए) और (बी) के साथ पठित परिशिष्ट 8 (1) (ए) और (2) के अनुसार, यूपीएसआरटीसी द्वारा ट्राइमैक्स को अग्रिम निवेश के मुआवजे के रूप में निर्दिष्ट लक्ष्य हासिल करने पर ₹ 19.13 करोड़ की धनराशि देय थी। अग्रेतर, क्षेत्रों में प्रणाली की स्वीकृति और 'गो-लाइव' के पश्चात अनुबंध के अन्तर्गत अपने दायित्वों के निष्पादन के लिए सभी करों को सम्मिलित करते हुए ₹ 0.44 प्रति टिकट (प्रति वर्ष⁴⁶ 40-70 करोड़ टिकट तक) और ₹ 0.22 प्रति टिकट प्रति वर्ष 70 करोड़ से अधिक टिकट पर ट्राइमैक्स को देय थे। यूपीएसआरटीसी ने जून 2013 से मार्च 2015 के दौरान ट्राइमैक्स को अग्रिम निवेश के लिए ₹ 17.39 करोड़ की धनराशि का भुगतान किया था।

ट्राइमैक्स को किये गए भुगतान से सम्बंधित अभिलेखों की जाँच के दौरान, लेखापरीक्षा ने विभिन्न कमियाँ देखीं (मार्च 2021) जोकि अनुबंध के नियमों और शर्तों का पालन नहीं किये जाने एवं सम्यक सतर्कता की कमी की ओर इंगित करती हैं। इन कमियों के परिणामस्वरूप आईटीएमएस परियोजना के कार्यान्वयन के दौरान ट्राइमैक्स को गैर-अनुमन्य एवं अतिरिक्त भुगतान निम्नानुसार है:

(i) पूर्व 'गो-लाइव' अवधि के लिए भुगतान: अनुबंध के परिशिष्ट 8 का क्लॉज 2 यह उल्लेखित करता है कि 'गो-लाइव' और सिस्टम की स्वीकृति पर, यूपीएसआरटीसी से सम्बंधित क्षेत्रों में आईटीएमएस के माध्यम से बुक किये गए टिकटों के विरुद्ध ट्राइमैक्स को उसके द्वारा प्रस्तुत मासिक बीजक के अनुसार भुगतान किया जाएगा। लेखापरीक्षा ने देखा कि यद्यपि विभिन्न क्षेत्रों में आईटीएमएस के 'गो-लाइव' को अप्रैल 2014 से नवम्बर 2015 में पूर्ण कर लिया गया था, फिर भी ट्राइमैक्स ने यूपीएसआरटीसी को सम्बंधित क्षेत्रों में 'गो-लाइव' (फरवरी 2013 से अक्टूबर 2015) के पूर्ण होने से पहले की अवधि का ₹ 26.62 करोड़ (निवेश के लिये प्राप्त ₹ 17.39 करोड़ की अग्रिम धनराशि के अतिरिक्त) के दावे प्रस्तुत किये जो अनुबंध की शर्तों का स्पष्ट उल्लंघन (परिशिष्ट-2.10) था। लेखापरीक्षा ने आगे देखा कि कई प्रकरणों में, यूपीएसआरटीसी मुख्यालय ने बताया था कि क्षेत्रीय प्रबंधकों द्वारा प्रस्तुत बिल बिना बीजक⁴⁷ और 'गो-लाइव' प्रमाण पत्र⁴⁸ के थे। इसके बावजूद, भुगतान प्रस्तावित और किये गए थे।

⁴⁵ सिस्टम इंटीग्रेटर के रूप में जाना जाता है।

⁴⁶ 'गो-लाइव' और सभी क्षेत्रों में प्रणाली की स्वीकृति के बाद प्रति वर्ष गारंटीकृत टिकटों की न्यूनतम संख्या संयुक्त रूप से 40 करोड़ थी।

⁴⁷ लखनऊ एवं गाजियाबाद क्षेत्र के सम्बंध में।

⁴⁸ इलाहाबाद, मेरठ, आगरा एवं कानपुर क्षेत्रों के सम्बंध में।

यह इंगित करता है कि यूपीएसआरटीसी के सम्बंधित अधिकारियों ने न केवल जाँच करने की अपनी बुनियादी जिम्मेदारी का परित्याग किया बल्कि उपरोक्त दावों की अनुमन्यता के सम्बंध में उठाये गयी वैध चिंताओं को भी नजरअंदाज कर दिया और अनुबंध के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन करते हुये ट्राइमैक्स को ₹ 26.62 करोड़⁴⁹ का भुगतान किया।

(ii) वीटीएस एवं ईटीएम की आपूर्ति के लिए भुगतान: क्लॉज 13 एवं नोट-1 (कार्य क्षेत्र) के साथ पठित अनुबंध के क्लॉज 5 के अनुसार, ट्राइमैक्स द्वारा उद्धृत प्रति टिकट मूल्य सभी आवश्यकताओं (वर्तमान एवं भविष्य) के लिए लागू था जैसा कि सामग्री के सांकेतिक बिल में निर्दिष्ट था। तदनुसार, यूपीएसआरटीसी के बेड़े में शामिल सभी बसों के लिए बिना किसी अतिरिक्त लागत के व्हीकल ट्रेकिंग सिस्टम (वीटीएस) और इलेक्ट्रॉनिक टिकटिंग मशीन (ईटीएम) प्रदान करने के लिए ट्राइमैक्स उत्तरदायी था।

लेखापरीक्षा ने देखा कि यूपीएसआरटीसी ने 9,500 बसों से अधिक के अपने बेड़े में नयी बसों के लिए अतिरिक्त लागत पर वीटीएस और ईटीएम का क्रय अधिकृत (जनवरी 2016) किया जो अनुबंध के प्रावधानों के उल्लंघन था। तदनुसार, यूपीएसआरटीसी ने उक्त अवधि (फरवरी 2016 से मई 2017) के दौरान बेड़े में शामिल की गयी नयी बसों के लिए 3,921 वीटीएस उपकरणों और 8,478 ईटीएम की आपूर्ति के लिये ट्राइमैक्स को ₹ 10.92 करोड़ (परिशिष्ट-2.11) का भुगतान किया, जिससे ट्राइमैक्स को उत्तर अनुबंध गैर-अनुमन्य लाभ मिला।

(iii) एसएलए शास्तियों की कटौती नहीं करना: अनुबंध के क्लॉज 12.3 के अनुसार, यूपीएसआरटीसी को 14 दिनों के अन्दर, बीजक धनराशि का 75 प्रतिशत या पिछले तीन माह के औसत भुगतान का 75 प्रतिशत, जो भी कम हो, का भुगतान करना आवश्यक था। ट्राइमैक्स द्वारा वैध बीजक जमा करने के 60 दिनों के अन्दर निर्धारित सेवा स्तरों को प्राप्त नहीं करने के लिए काटी जाने वाली सर्विस लेवल एग्रीमेंट (एसएलए) शास्तियों⁵⁰ की गणना के बाद ट्राइमैक्स को शेष धनराशि का भुगतान किया जाना था। इसलिए, यूपीएसआरटीसी को नियमित आधार पर निष्पादन के अभाव में काटी जाने वाली एसएलए शास्तियों की स्थिति की निगरानी करनी थी एवं फिर ट्राइमैक्स को भुगतान करना था।

लेखापरीक्षा ने देखा कि ट्राइमैक्स के बिलों के प्रति कटौती योग्य एसएलए शास्तियों⁵¹ के बारे में जानकारी होने (अक्टूबर 2018) के बावजूद यूपीएसआरटीसी के आईटी सेल ने जनवरी 2017 से नवम्बर 2020 की अवधि के लिए देरी से (25 माह के पश्चात) एसएलए शास्ति ₹ 30.09 करोड़⁵² को अंतिम रूप दिया (नवम्बर 2020), जो ट्राइमैक्स द्वारा स्वीकार किया गया था। तथापि, एसएलए के उपरोक्त प्रावधानों के उल्लंघन में एसएलए शास्तियों की वसूली के लिए समय पर कार्यवाही आरम्भ नहीं करने के कारण, ये वसूल नहीं हो पायी।

(iv) वीटीएस एवं ईटीएम की मरम्मत और रख-रखाव के लिए भुगतान: अनुबंध के क्लॉज 8.2.1.5 के अनुसार, ट्राइमैक्स को सभी क्षेत्रों में आईटीएमएस के 'गो-लाइव' की तिथि से पाँच वर्षों की सम्पूर्ण अवधि के लिए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के लिये बिना किसी मूल्य के यूपीएसआरटीसी को सहायता एवं रख-रखाव सेवायें प्रदान करना आवश्यक था। लेखापरीक्षा ने देखा कि यूपीएसआरटीसी ने अनुबंध के उपरोक्त प्रावधानों के उल्लंघन में, ईटीएम एवं वीटीएस की मरम्मत और रख-रखाव के लिए ट्राइमैक्स को ₹ 91.34 लाख की धनराशि का भुगतान किया (सितम्बर 2016 से नवम्बर 2019)।

⁴⁹ 17 क्षेत्रों द्वारा: ₹ 16.63 करोड़ एवं यूपीएसआरटीसी मुख्यालय: ₹ 9.99 करोड़।

⁵⁰ निर्धारित 31 निष्पादन संकेतक के विरुद्ध मासिक शुल्क के 0.05 प्रतिशत से लेकर 5 प्रतिशत तक।

⁵¹ जनवरी 2017 से जुलाई 2018 की अवधि के लिये।

⁵² जनवरी 2017 से नवम्बर 2019 की अवधि के लिए ₹ 26.12 करोड़, दिसम्बर 2019 से अगस्त 2020 की अवधि के लिए ₹ 3.35 करोड़ एवं सितम्बर 2020 से नवम्बर 2020 की अवधि के लिए ₹ 0.62 करोड़।

(v) **ट्राइमैक्स से कम वसूली:** उपरोक्त कमियों के अलावा, तीन ऐसे दृष्टान्त जैसे गेटवे शुल्क (₹ 0.78 करोड़), किराये के ईटीएम पर व्यय (₹ 0.28 करोड़) और 'गो-लाइव' शास्ति (₹ 0.24 करोड़) के मद में ट्राइमैक्स से ₹ 1.30 करोड़ की कम वसूली हुयी जैसा कि **परिशिष्ट-2.12** में दिया गया है।

लेखापरीक्षा ने देखा कि नेशनल कम्पनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) ने ट्राइमैक्स के विरुद्ध कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (सीआईआरपी) प्रारम्भ किया (21 फरवरी 2019)। परिणामस्वरूप, यूपीएसआरटीसी ने ट्राइमैक्स को भुगतान करना बंद कर (मार्च 2019) दिया हालाँकि इसने नवम्बर 2020 तक कार्य जारी रखा। मार्च 2019 से नवम्बर 2020 तक की अवधि के लिये बकाया बिल ₹ 43.89 करोड़⁵³ के थे। यूपीएसआरटीसी ने नए सिस्टम इंटीग्रेटर का चयन प्रारम्भ कर दिया। हालाँकि, यह संदेहास्पद है कि विद्यमान सिस्टम (सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों) का उपयोग नए सिस्टम इंटीग्रेटर द्वारा किया जा सकता है।

लेखापरीक्षा ने अग्रेतर देखा कि नवम्बर 2020 तक ट्राइमैक्स से कुल वसूली⁵⁴ योग्य धनराशि ₹ 69.84 करोड़ थी, जैसा कि पूर्ववर्ती उप-प्रस्तर i से v (**परिशिष्ट-2.13**) में वर्णित है। लेखापरीक्षा द्वारा प्रकरण इंगित किये जाने (09 फरवरी 2021) के बाद ही, यूपीएसआरटीसी ने ₹ 10 करोड़ की बैंक गारंटी को भुनाया (04 मार्च 2021)। बकाये बिलों को घटाने के बाद शेष ₹ 15.95 करोड़ की धनराशि ट्राइमैक्स⁵⁵ से वसूली योग्य रही।

इस प्रकार, यूपीएसआरटीसी ने आईटीएमएस की परियोजना के कार्यान्वयन में अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन करते हुए, एक निजी फर्म को गैर-अनुमन्य और अधिक भुगतान किया। गैर-अनुमन्य और अधिक भुगतान पर ₹ 15.66 करोड़⁵⁶ के ब्याज की हानि भी हुयी।

प्रबंधन ने लेखापरीक्षा आपत्तियों को स्वीकार किया (नवम्बर 2021) और बताया कि प्रकरण में गठित तीन सदस्यीय समिति ने फर्म के विरुद्ध अनुबंध के नियमों और शर्तों के उल्लंघन में ₹ 70.13 करोड़ की बकाया देनदारियों को पाया। इसमें से ₹ 55.73 करोड़ फर्म के बिल/पीबीजी से वसूल कर लिया गया है और यूपीएसआरटीसी के अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही आरम्भ कर दी गयी है। इसने आगे बताया कि फर्म (ट्राइमैक्स) का स्वामित्व मैसर्स ईबीआईएक्स कैश प्राइवेट लिमिटेड को हस्तारित कर दिया गया है जिसके विरुद्ध यूपीएसआरटीसी ने शेष ₹ 14.40 करोड़ धनराशि की मांग उठायी है। इसी बीच, मैसर्स ईबीआईएक्स कैश ने प्रकरण में मध्यस्थ नियुक्त करने के लिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय⁵⁷ में अपील की है।

प्रकरण सरकार को प्रतिवेदित किया गया (जून 2021)। उत्तर अभी भी प्रतिक्रित है (नवम्बर 2021)।

⁵³ ₹ 4.92 करोड़ के अग्रिम भुगतान को समायोजित करने के बाद।

⁵⁴ पूर्वगामी उप-प्रस्तर में उल्लिखित एसएलए शास्तियों, अस्वीकार्य और अधिक भुगतान और अन्य वसूली योग्य धनराशियों सहित।

⁵⁵ ₹ 69.84 करोड़ (कुल वसूली योग्य) - ₹ 43.89 करोड़ (ट्राइमैक्स के बकाया देयों के विरुद्ध उपलब्ध) - ₹ 10.00 करोड़ (बैंक गारंटी)

⁵⁶ यूपीएसआरटीसी द्वारा लिये गये ऋणों पर 9.34 प्रतिशत से 11.50 प्रतिशत की दरों पर विचार करते हुये 9 प्रतिशत की दर से गणना की गयी है।

⁵⁷ लखनऊ पीठ।

ऊर्जा विभाग**2.6 'डिस्कॉम्स द्वारा परिवर्तकों के क्रय एवं प्रबंधन' की लेखापरीक्षा****प्रस्तावना**

2.6.1 उत्तर प्रदेश (राज्य) में विद्युत वितरण नेटवर्क का प्रबंधन उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो कि धारक कम्पनी है, के अधीन पाँच वितरण कम्पनियों (डिस्कॉम्स) यथा मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (एमवीवीएनएल), लखनऊ; पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (पूवीवीएनएल), वाराणसी; पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (पीवीवीएनएल), मेरठ; दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (डीवीवीएनएल), आगरा एवं कानपुर विद्युत आपूर्ति कम्पनी (केस्को) द्वारा किया जाता है।

राज्य के लोगों को विद्युत की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए डिस्कॉम्स द्वारा एक सुदृढ़ वितरण नेटवर्क बनाए रखना आवश्यक होता है। परिवर्तक, एक स्थैतिक उपकरण के रूप में विद्युत के उत्पादन, पारेषण और वितरण में वोल्टेज को बढ़ाने या घटाने के लिए विद्युत क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा उपयोग किया जाने वाला एक महत्वपूर्ण उपकरण है। विद्युत वितरण प्रणाली में उपयोग किये जाने वाले परिवर्तकों को वितरण परिवर्तक (डीटी) कहा जाता है जो कुशल विद्युत वितरण नेटवर्क को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वितरण नेटवर्क में, दो प्रकार के परिवर्तकों का उपयोग किया जा रहा है (i) वोल्टेज को 33 केवी से 11 केवी तक घटाने के लिए परिवर्तक एवं (ii) वोल्टेज को 11 केवी से 0.4 केवी तक घटाने के लिए परिवर्तक।

वितरण परिवर्तकों का क्रय मुख्य अभियंता (एमएम) की अध्यक्षता में डिस्कॉम्स के सामग्री प्रबंधन (एमएम) विंग द्वारा किया जाता है। अधीक्षण अभियंता, विद्युत भण्डार मण्डल (ईएससी) के अन्तर्गत अधिशाषी अभियंताओं की अध्यक्षता में विद्युत भण्डार खण्डों (ईएसडी) द्वारा वितरण परिवर्तकों के स्टॉक का रखरखाव किया जाता है। डीटी की मरम्मत अधीक्षण अभियंता, विद्युत कार्यशाला मण्डल (ईडब्ल्यूसी) के अन्तर्गत अधिशाषी अभियंता की अध्यक्षता में विद्युत कार्यशाला खण्डों (ईडब्ल्यूडी) पर वाह्य एजेंसी द्वारा की जाती है। ये सभी गतिविधियाँ सम्बंधित डिस्कॉम्स के निदेशक (तकनीकी) के समग्र नियंत्रण के अन्तर्गत होती हैं।

वर्तमान लेखापरीक्षा चार डिस्कॉम्स⁵⁸ के सम्बंध में सम्पादित की (जून 2019 से अगस्त 2019, अक्टूबर 2019 एवं जनवरी 2020) गयी थी जिससे मूल्यांकन किया जा सके कि क्या:

- डीटी का क्रय मितव्ययी, कुशल एवं प्रभावी था;
- क्रय किये गए परिवर्तकों की गुणवत्ता सुनिश्चित की गयी; और
- क्षतिग्रस्त परिवर्तकों से सामग्री की वापसी उचित थी।

लेखापरीक्षा प्रेक्षकों को प्रबंधन एवं राज्य सरकार को अप्रैल 2021 में निर्गत किया गया था। प्रबंधन का उत्तर प्राप्त (अगस्त 2021) हुआ एवं सम्बंधित प्रस्तरों में उपयुक्त रूप से सम्मिलित किया गया। हालाँकि, सरकार का उत्तर अभी भी प्रतीक्षित है (नवम्बर 2021)।

लेखापरीक्षा ने चार डिस्कॉम्स में 2016-17 से 2018-19 की अवधि के दौरान डीटी के क्रय, गुणवत्ता आश्वासन प्रणाली और मरम्मत का आंकलन किया। इस अवधि के दौरान, इन डिस्कॉम्स ने ₹ 2,489.71 करोड़ मूल्य के 3,01,336 डीटी की क्रय के लिए 146 निविदाओं को और ₹ 290.23 करोड़ मूल्य के डीटी के मरम्मत के लिए 20 निविदाओं को अंतिम रूप दिया जिसके सापेक्ष लेखापरीक्षा ने ₹ 1,317.29 करोड़ मूल्य के

⁵⁸ केस्को को वर्तमान लेखापरीक्षा के लिये चयनित नहीं किया गया था क्योंकि इसका एक सीमित क्षेत्राधिकार है जो केवल कानपुर जिले के शहरी क्षेत्र को आच्छादित करता है।

1,67,379 डीटी के क्रय के 33 प्रतिशत निविदाओं और ₹ 147.73 करोड़ मूल्य के डीटी के मरम्मत के 45 प्रतिशत निविदाओं की समीक्षा की जैसा कि परिशिष्ट-2.14 में वर्णित है।

लेखापरीक्षा परिणाम

2.6.2 लेखापरीक्षा परिणामों में मुख्य रूप से अनुबंध करने, डीटी के गुणवत्ता आश्वासन एवं डीटी के मरम्मत से सम्बंधित प्रकरण सम्मिलित हैं। लेखापरीक्षा परिणाम नमूना प्रकरणों पर आधारित हैं जिनका अनुगामी प्रस्तरों में चर्चा की गयी है:

परिवर्तक का क्रय

2.6.3 उपभोक्ताओं को विद्युत की निरंतर एवं गुणवत्तापूर्ण आपूर्ति बनाए रखने में परिवर्तक महत्वपूर्ण उपकरण है। अंगीकृत कार्य प्रणाली के अनुसार, डिस्कॉम्स विगत वर्ष की आवश्यकताओं में एक निश्चित प्रतिशत (एमवीवीएनएल में 10 प्रतिशत और पूवीवीएनएल एवं पीवीवीएनएल में 20 प्रतिशत) को जोड़कर वर्तमान वर्ष की आवश्यकताओं की मात्रा का आंकलन करते हैं। डीवीवीएनएल के प्रकरण में, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ में, जोन कार्यालयों से एक सूची प्राप्त की जाती है एवं डिस्कॉम्स के मुख्यालय स्तर पर संकलित की जाती है, जिसके पश्चात इसे क्रय करने के लिए सामग्री प्रबंधन विंग को भेज दिया जाता है। इस प्रकार, डिस्कॉम्स के परिवर्तकों की आवश्यकताओं का निर्धारण उनके स्टॉक के किसी भी तर्कसंगत अध्ययन पर आधारित नहीं था।

परिवर्तक के क्रय के लिए, डिस्कॉम्स दो निविदा प्रणाली यथा तकनीकी निविदा (भाग-I) एवं वित्तीय निविदा (भाग-II) के अन्तर्गत पात्र निर्माताओं/आपूर्तिकर्ताओं से ई-निविदा प्रणाली⁵⁹ के माध्यम से निविदाएं आमंत्रित करती हैं। केवल तकनीकी रूप से योग्य निविदादाताओं की वित्तीय निविदा खोली जाती है एवं आपूर्ति के लिए अनुबंध एल-1 निविदादाताओं के साथ तथा अन्य निविदादाताओं के साथ एल-1 मूल्य पर प्रति प्रस्ताव देकर निष्पादित किये जाते हैं।

निविदा मूल्यांकन समिति⁶⁰ द्वारा तकनीकी एवं वित्तीय निविदाओं के मूल्यांकन के पश्चात, प्राधिकृत समितियों⁶¹ को वित्तीय शक्तियों⁶² के प्रत्यायोजन के अनुसार क्रय का प्रस्ताव प्रेषित की जाती है।

अनुबंध करने से सम्बंधित निम्नलिखित अनियमितताएं देखी गयीं:

पूर्व-अर्हता शर्तों को पूर्ण नहीं करने वाली फर्मों से अनुबंध करना

2.6.3.1 निविदादाताओं के लिए पूर्व-अर्हता शर्तों/मानदण्डों में प्रावधान है कि निविदादाताओं को तकनीकी रूप से योग्य माना जाएगा यदि वे वांछित टर्नओवर, प्रस्तावित उपकरणों के टाइप टेस्ट रिपोर्ट⁶³ प्रस्तुत करने, आवश्यक परिचालन अनुभव, भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) से प्रमाणीकरण आदि के सम्बंध में निर्दिष्ट आवश्यकताओं को पूर्ण करते हैं। निविदा के भाग-II (वित्तीय) को खोलने के लिए, निविदादाताओं को प्रस्तावित उपकरणों का टाइप टेस्ट रिपोर्ट एवं बीआईएस प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य था। टाइप टेस्ट का परीक्षण इसलिए किया जाता है कि

⁵⁹ ई-निविदा प्रणाली यूपीपीसीएल एवं सभी डिस्कॉम्स में दिनांक 07 जून 2017 से लागू थी।

⁶⁰ प्रत्येक निविदा के लिए अलग से गठित।

⁶¹ वरिष्ठतम निदेशक की अध्यक्षता में निदेशक स्टोर क्रय समिति (डीएसपीसी), सम्बंधित डिस्कॉम्स के प्रबंध निदेशक की अध्यक्षता में प्रबंध निदेशक स्टोर क्रय समिति (एमडीएसपीसी) एवं अध्यक्ष, यूपीपीसीएल की अध्यक्षता में कॉर्पोरेट स्टोर क्रय समिति (सीएसपीसी)।

⁶² वित्तीय शक्ति के प्रत्यायोजन के अनुसार, डीएसपीसी, एमडीएसपीसी एवं सीएसपीसी क्रमशः ₹ 5 करोड़ तक, ₹ 5 करोड़ से अधिक ₹ 25 करोड़ तक एवं ₹ 25 करोड़ से अधिक मूल्य की क्रय को स्वीकृति दे सकते हैं।

⁶³ टाइप टेस्ट यह देखने के लिए किया जाता है कि प्रोटोटाइप परिभाषित मानकों को पूर्ण करता है या नहीं। इसमें ताप वृद्धि परीक्षण, आवेग वोल्टेज परीक्षण, शॉर्ट सर्किट प्रतिरोध परीक्षण, वायु दाब परीक्षण, चुम्बकीय संतुलन परीक्षण, ध्वनि स्तर माप आदि सम्मिलित हैं।

परिवर्तक विशिष्ट विनिर्देशों एवं डिजाइन को पूर्ण करता है या नहीं। यह एक प्रोटोटाइप परिवर्तक पर किया जाता है।

लेखापरीक्षा ने देखा कि 2016–17 से 2018–19 के दौरान, 48 चयनित निविदाओं में से छः में, डिस्कॉम्स ने न केवल उन फर्मों की वित्तीय निविदा खोली, जो अनिवार्य पूर्व-अर्हता मानदण्डों को पूर्ण नहीं करती थीं बल्कि इन फर्मों से ₹ 44.65 करोड़ मूल्य के परिवर्तकों की आपूर्ति के लिए अनुबंध भी किया जैसा कि तालिका 2.2 में दर्शाया गया है।

तालिका 2.2: तकनीकी रूप से अयोग्य फर्मों को प्रदान की गयी निविदाओं का विवरण

डिस्कॉम के नाम	निविदा संख्या	भाग-I में सम्मिलित होने वाले निविदादाताओं की कुल संख्या	प्रबंधन द्वारा भाग-I में तकनीकी रूप से पाये गए योग्य निविदादाता	तकनीकी रूप से अयोग्य निविदादाता जिन्हें अनुबंध प्रदान किया गया था			अयोग्य निविदादाता को दिये गए अनुबंध का मूल्य (₹ करोड़ में)
				फर्मों की कुल संख्या	टाइप टेस्ट रिपोर्ट/टेस्ट सर्टिफिकेट न होना	कोई वैध बीआईएस प्रमाण पत्र संलग्न नहीं	
पूवीवीएनएल	54/17-18	16	10	3	3	-	7.29
	56/17-18	16	12	2	2	-	3.15
डीवीवीएनएल	2092-2017	28	24	2	2	-	18.20
एमवीवीएनएल	1878/2016	22	11	1	-	1	2.46
पीवीवीएनएल	एमटी/1/16-17	11	10	1	-	1	4.59
	एमटी/3 (एस)/16-17	23	18	7	-	7	8.96
योग	6			16			44.65

स्रोत: डिस्कॉम्स द्वारा उपलब्ध कराए गए सूचना के अनुसार

टाइप टेस्ट रिपोर्ट न कराने वाली फर्मों को अनुबंध प्रदान करना

सभी डिस्कॉम के निविदा विशिष्टीकरण के 'निविदादाताओं को निर्देश' के क्लॉज 1.2.4 (ए) के अनुसार, विगत पाँच वर्षों के दौरान निविदा खुलने की तिथि से गणना करते हुए सम्बंधित भारतीय मानकों (आईएस) और/या अन्य निर्दिष्ट अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार प्रस्तावित उपकरण का पूर्ण रूप से टाइप टेस्ट किया गया होना चाहिए। ऐसी टाइप टेस्ट रिपोर्टों की प्रति निविदा दस्तावेजों के साथ जमा की जानी चाहिए।

लेखापरीक्षा ने देखा कि निम्नलिखित प्रकरणों में, निविदादाताओं को बिना वैध टाइप टेस्ट रिपोर्ट के तकनीकी योग्य के रूप में संस्तुति किया गया था:

2.6.3.1 (i) पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

(अ) 5,000 परिवर्तकों (25 केवीए) की आपूर्ति के लिए निविदा संख्या ईएवी-54/17-18

पूवीवीएनएल ने 25 केवीए के 5,000 परिवर्तक (बीआईएस लेवल-II)⁶⁴ की क्रय हेतु निविदा आमंत्रित की (जून 2017)। 16 फर्मों द्वारा प्रस्तुत निविदाओं का भाग-I खोला गया (24 जून 2017)। एक समिति⁶⁵ द्वारा भाग-I निविदाओं के मूल्यांकन के पश्चात, 16 फर्मों में से 10 को तकनीकी रूप से योग्य पाया गया और इसलिए समिति ने उनकी निविदाओं के भाग-II को खोलने की संस्तुति की (13 जुलाई 2017)। भाग-II खोलने (17 जुलाई 2017) के पश्चात, मुख्य अभियंता (एमएम) की अध्यक्षता वाली समिति ने एक निविदादाता (यूपी ट्रांसफॉर्मर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड) द्वारा न्यूनतम प्रस्तावित दर के स्वीकृति एवं न्यूनतम स्वीकृत दर पर शेष नौ फर्मों को प्रति प्रस्ताव की स्वीकृति हेतु प्रबंध निदेशक स्टोर क्रय समिति (एमडीएसपीसी) को संस्तुति भेजीं। एमडीएसपीसी ने कर के अतिरिक्त ₹ 44,200 (भाड़ा एवं बीमा सहित एक्स-वर्क्स मूल्य) की दर पर स्वीकृति दी (24 जुलाई 2017)।

⁶⁴ बीआईएस भारतीय मानक निर्गत करता है जो परिवर्तक को उनके सापेक्ष ऊर्जा दक्षता या हानि मानकों के आधार पर माप करता है एवं उन्हें तीन श्रेणी लेवल-I, II एवं III के रूप में वर्गीकृत करता है।

⁶⁵ निदेशक (तकनीकी) की अध्यक्षता में मुख्य अभियंता (एमएम), अधीक्षण अभियंता (एमएम) एवं अधिशासी अभियंता (एमएम) शामिल हैं।

लेखापरीक्षा ने देखा कि तकनीकी रूप से योग्य पाये गए दस फर्मों में से तीन⁶⁶ ने अपने निविदा दस्तावेजों के साथ टाइप टेस्ट रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं किया था एवं इसलिए, तकनीकी रूप से अयोग्य थे। हालाँकि, निदेशक (तकनीकी) की अध्यक्षता वाली समिति ने उनकी निविदाओं के भाग-II को इस आधार पर खोलने की स्वीकृति दी कि उन्हें क्रयादेश के प्रकरण में आपूर्ति से पूर्व टाइप टेस्ट रिपोर्ट प्रस्तुत करना चाहिये। इन तीन तकनीकी रूप से अयोग्य फर्मों⁶⁷ को ₹ 7.29 करोड़ मूल्य के 25 केवीए के 1,650 परिवर्तकों (बीआईएस लेवल-II) की आपूर्ति का अनुबंध प्रदान किया (अगस्त/सितम्बर 2017)।

अग्रेतर, विशिष्टीकरण के सामान्य आवश्यकताओं के क्लॉज 1.20 में प्रावधान है कि यदि भण्डार पर प्राप्त होने के पश्चात परीक्षण किये गए नमूने का कोई भी मापदण्ड, मानदण्डों के अनुसार नहीं था, तो शेष मात्रा का आदेश निरस्त कर दिया जायेगा। हालाँकि, यह देखा गया कि एक अयोग्य फर्म (डीईई पॉवर ट्रांसफॉर्मर्स) द्वारा आपूर्ति किये गए परिवर्तकों में से परीक्षण के लिए भेजा गया नमूना केंद्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान, नोएडा की प्रयोगशाला में किये गए परीक्षण (27 जून 2019) में विफल रहा। हालाँकि, ₹ 1.77 करोड़ मूल्य के 25 केवीए के सभी 400 परिवर्तकों की आपूर्ति फर्म द्वारा 03 मई 2019 तक प्राप्त कर ली गयी थी। अन्य दो फर्मों के नमूनों का परीक्षण नहीं किया गया था।

(ब) 300 परिवर्तकों (100 केवीए) की आपूर्ति के लिए निविदा संख्या ईएवी-56/17-18

इसी प्रकार, 100 केवीए के 300 परिवर्तकों के आमंत्रित किये गए निविदा में, 12 फर्मों में से दो⁶⁸ जो तकनीकी रूप से योग्य पायी गयी थी, ने अपने निविदा दस्तावेजों के साथ टाइप टेस्ट रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं किया था एवं इसलिए, तकनीकी रूप से अयोग्य थे। हालाँकि, निदेशक (तकनीकी) की अध्यक्षता वाली समिति ने उनके निविदा दस्तावेजों के भाग-II को इस आधार पर खोलने की स्वीकृति दी (13 जुलाई 2017) कि वे क्रयादेश के प्रकरण में आपूर्ति से पूर्व टाइप टेस्ट रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। एमडीएसपीसी ने इन अयोग्य फर्मों (टेक्नोक्रेट ट्रांसफॉर्मर्स: 200 परिवर्तक और डीईई पॉवर ट्रांसफॉर्मर्स: 100 परिवर्तक) को ₹ 3.15 करोड़ मूल्य के 100 केवीए (बीआईएस लेवल-II) के 300 परिवर्तकों की आपूर्ति का अनुबंध दिया (24 जुलाई 2017)।

प्रबंधन ने उत्तर में बताया (अगस्त 2021) कि फर्मों द्वारा दिये गए परिवचन के आधार पर टाइप टेस्ट रिपोर्ट जमा करने की शर्त में छूट दी गयी थी और किसी विशिष्ट निविदादाताओं के लिए शर्त में छूट नहीं दी गयी थी। इसलिए निदेशक (तकनीकी) का निर्णय स्वेच्छाचारित नहीं है। अग्रेतर, बताया कि दोनों निविदाएं पहली बार बीआईएस लेवल-II परिवर्तक की आपूर्ति करने के लिए थीं और इसलिए निर्माता टाइप टेस्ट करवाने एवं बीआईएस प्रमाण पत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया में थे।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि निविदा विशिष्टीकरण में निर्धारित पूर्व-अर्हता शर्तों को शिथिल करने का कोई प्रावधान नहीं था। अग्रेतर, 2016-17 से डिस्कॉम में बीआईएस लेवल-II परिवर्तक पूर्व से ही क्रय किये जा रहे थे। इसके अलावा, यूपीपीसीएल आदेश (मार्च 2010) टाइप टेस्ट रिपोर्ट के लिए शर्त में किसी भी शिथिलता को स्पष्ट रूप से प्रतिबंधित करता है।

⁶⁶ यू पी ट्रांसफॉर्मर्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड, डीईई पॉवर ट्रांसफॉर्मर्स एवं टेक्नोक्रेट ट्रांसफॉर्मर्स।

⁶⁷ यू पी ट्रांसफॉर्मर्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड: 800 परिवर्तक, डीईई पॉवर ट्रांसफॉर्मर्स: 400 परिवर्तक एवं टेक्नोक्रेट ट्रांसफॉर्मर्स: 450 परिवर्तक।

⁶⁸ टेक्नोक्रेट ट्रांसफॉर्मर्स एवं डीईई पॉवर ट्रांसफॉर्मर्स।

2.6.3.1 (ii) दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड**10,000 परिवर्तकों (25 केवीए) की आपूर्ति के लिए निविदा संख्या डीवीवीएनएल/एमएम/2092-2017**

डीवीवीएनएल ने 25 केवीए के 10,000 परिवर्तकों (बीआईएस लेवल-II) की क्रय हेतु निविदा आमंत्रित किया (30 मई 2017)। 28 फरमाँ द्वारा प्रस्तुत किये गए निविदा का भाग-I 15 जून 2017 को खोला गया था। अधीक्षण अभियंता (एमएम) एवं अधिशाषी अभियंता (एमएम) के साथ मुख्य अभियंता (एमएम) की एक समिति द्वारा भाग-I निविदाओं के मूल्यांकन के पश्चात, 28 फरमाँ में से 24 की भाग-II निविदाओं को खोलने के लिए प्रबंध निदेशक की स्वीकृति यह कहते हुए मांगी गयी थी (11 जुलाई 2017) कि केवल 24 फरमाँ को तकनीकी रूप से योग्य पाया गया (अर्थात्, 25 केवीए परिवर्तक का टाइप टेस्ट होने की अनिवार्य शर्त)। प्रबंध निदेशक ने निविदा के भाग-II को खोलने के प्रस्ताव की स्वीकृति प्रदान की। निविदा का भाग-II 12 जुलाई 2017 को खोला गया था एवं स्वास्तिक कॉपर प्राइवेट लिमिटेड, जयपुर को ₹ 45,500 (भाड़ा एवं बीमा सहित एक्स-वर्क्स मूल्य), जीएसटी अतिरिक्त के साथ सबसे निम्न निविदा लगाने वाला पाया गया था। डीवीवीएनएल ने सबसे निम्न निविदा लगाने वाले के द्वारा उद्धृत मूल्य पर पाँच फरमाँ⁶⁹ (2000 प्रत्येक) से 25 केवीए के 10,000 परिवर्तक (बीआईएस लेवल-II) की क्रय हेतु सीएसपीसी को संस्तुति भेजी (29 जुलाई 2017)। सीएसपीसी ने प्रस्ताव को स्वीकृत किया (16 अगस्त 2017)।

लेखापरीक्षा ने देखा कि 24 योग्य फरमाँ में से पाँच फरमाँ⁷⁰ ने 25 केवीए परिवर्तक (बीआईएस लेवल-II) के लिए टाइप टेस्ट रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं किया और मुख्य अभियंता (एमएम) की अध्यक्षता वाली समिति ने एक मिथ्याकथन अभिलेखित करते हुये कि इन फरमाँ ने अपने 25 केवीए परिवर्तक (बीआईएस लेवल-II) की टाइप टेस्ट रिपोर्ट संलग्न की थी, निविदा के भाग-II को खोलने के लिए प्रबंध निदेशक की स्वीकृति प्राप्त की थी, जिससे निविदा प्रक्रिया की सत्यनिष्ठा का उल्लंघन हुआ था। इन पाँच फरमाँ में से, दो फरमाँ में (स्वास्तिक कॉपर प्राइवेट लिमिटेड, जयपुर और टेक्नोक्रेट ट्रांसफॉर्मर, आगरा) प्रत्येक को 25 केवीए के 2,000 परिवर्तकों (बीआईएस लेवल-II) की आपूर्ति हेतु ₹ 9.10 करोड़, कुल ₹ 18.20 करोड़ का अनुबंध प्रदान किया था।

लेखापरीक्षा ने अग्रेतर पाया कि टेक्नोक्रेट ट्रांसफॉर्मर द्वारा आपूर्ति किये गए परिवर्तक से लिया गया नमूना, जो कि एक अयोग्य फर्म है, केंद्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान की प्रयोगशाला में किये गए परीक्षण में विफल हो गया (05 जून 2018)। हालाँकि, ₹ 5.69 करोड़ मूल्य के 25 केवीए के 1,250 परिवर्तकों की आपूर्ति फर्म से प्राप्त हो गयी थी। इसके अलावा, अन्य दो फरमाँ के किसी भी नमूने का परीक्षण नहीं किया गया।

प्रबंधन ने उत्तर में बताया (अगस्त 2021) कि 25 केवीए के 10,000 परिवर्तकों की क्रय हेतु निविदा में, प्रस्तावित क्षमता की अपेक्षा अधिक क्षमता के परिवर्तक की टाइप टेस्ट रिपोर्ट को भी निविदा दस्तावेज में स्वीकार किया गया था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि पूर्व-अर्हता निविदा शर्तों (उच्च क्षमता वाले परिवर्तक की टाइप टेस्ट रिपोर्ट की अनुमति) को परिवर्तक के लिए भारतीय मानक के प्रावधानों के उल्लंघन में शिथिलीकरण किया गया था, जिसमें यह प्रावधानित है कि एक यूनिट (सम्बंधित श्रेणी के) का टाइप टेस्ट किया जाना है। अग्रेतर, तथ्य यह है कि निविदा के

⁶⁹ (i) स्वास्तिक कॉपर प्राइवेट लिमिटेड, जयपुर (ii) टेक्नोक्रेट ट्रांसफॉर्मर, आगरा (iii) सुमन इलेक्ट्रिकल्स, मेरठ (iv) लक्ष्मी ट्रांसफॉर्मर एंड इलेक्ट्रिकल्स, आगरा (v) सेमटेक इंडस्ट्रीज, उन्नाव।

⁷⁰ (i) स्वास्तिक कॉपर प्राइवेट लिमिटेड, जयपुर (टाइप टेस्ट रिपोर्ट नहीं है) (ii) टेक्नोक्रेट ट्रांसफॉर्मर, आगरा (25 केवीए परिवर्तक बीआईएस लेवल-I का टाइप टेस्ट है) (iii) श्री श्याम जी इलेक्ट्रोटेक, बरेली (टाइप टेस्ट रिपोर्ट नहीं है) (iv) सर्वोच्च (इंडिया) कॉर्पोरेशन, बुलन्दशहर (25 केवीए परिवर्तक बीआईएस लेवल-I का टाइप टेस्ट है) (v) इंटरनेशनल ट्रांसफॉर्मर प्राइवेट लिमिटेड, लखनऊ (100 केवीए परिवर्तक बीआईएस लेवल-II का टाइप टेस्ट है)।

भाग-II को खोलने के लिए प्रबंध निदेशक की स्वीकृति प्राप्त करते समय टाइप टेस्ट रिपोर्ट के सम्बंध में गलत जानकारी प्रदान की गयी थी।

भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा जारी प्रमाण पत्र न रखने वाली फर्मों को अनुबंध प्रदान करना

निविदा की विशेष शर्तों के क्लॉज 28 (3) के अनुसार, निविदादाताओं को अपने परिवर्तक का वैध बीआईएस प्रमाण पत्र (आईएस: 1180: 2014 के अनुसार)⁷¹ प्रस्तुत करना आवश्यक था।

जिन प्रकरणों में बीआईएस द्वारा जारी प्रमाण पत्र न रखने वाली फर्मों को अनुबंध दिये गए थे, जिसकी चर्चा नीचे की गयी है:

2.6.3.1 (iii) मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

4,900 परिवर्तकों (25 केवीए) की आपूर्ति के लिए निविदा संख्या मेडको/1878/2016

एमवीवीएनएल ने 25 केवीए के 4,900 परिवर्तक (बीआईएस लेवल-I) क्रय हेतु एक निविदा आमंत्रित (अगस्त 2016) की। 22 फर्मों द्वारा प्रस्तुत निविदाओं का भाग-I 12 अगस्त 2016 को खोला गया था। मुख्य अभियंता (एमएम), अधीक्षण अभियंता (एमएम) एवं अधिशाषी अभियंता (एमएम) की एक समिति द्वारा मूल्यांकन के पश्चात, 22 फर्मों में से 11 के निविदाओं का भाग-II खोलने की स्वीकृति निदेशक (तकनीकी) और प्रबंध निदेशक से यह कहते हुए मांग (16 अगस्त 2016) की गयी थी कि केवल 11 फर्म तकनीकी रूप से योग्य पाये गए थे (अर्थात्, अनिवार्य शर्त होने के कारण बीआईएस प्रमाणपत्र उपलब्ध है)। प्रबंध निदेशक ने निविदाओं के भाग-II को खोलने के प्रस्ताव की स्वीकृति दी (19 अगस्त 2016) जिसे 23 अगस्त 2016 को खोला गया। मुख्य अभियंता (एमएम) की अध्यक्षता वाली समिति ने एल-1 निविदादाता (टेक्निकल एसोसिएट्स लिमिटेड, लखनऊ) के साथ मोल-तोल के पश्चात न्यूनतम दर की संस्तुति की (30 अगस्त 2016)। तत्पश्चात् एमडीएसपीसी ने एल-1 निविदादाता से 25 केवीए के 1,100 परिवर्तकों हेतु करों को छोड़कर ₹ 41,025 (भाड़ा, बीमा और इंटरनल सर्किट ब्रेकर सहित एक्स-वर्क्स मूल्य) की दर और शेष मात्रा के शेष 10 निविदादाताओं से तय न्यूनतम मूल्य पर प्रति प्रस्ताव के द्वारा क्रय की स्वीकृति दी (7 अक्टूबर 2016)। सभी 11 निविदादाताओं ने परिवर्तकों की आपूर्ति के लिये प्रस्ताव/प्रति प्रस्ताव को स्वीकार किया।

लेखापरीक्षा ने देखा कि 11 योग्य फर्मों में से, आनंद ट्रांसफॉर्मर्स प्राइवेट लिमिटेड के पास निविदा जमा करने की अंतिम तिथि (11 अगस्त 2016) पर बीआईएस प्रमाणपत्र⁷² नहीं था। हालाँकि, मुख्य अभियंता की अध्यक्षता वाली समिति ने एक मिथ्याकथन अभिलेखित करके कि उक्त फर्म के पास अपेक्षित बीआईएस प्रमाणपत्र था, निदेशक (तकनीकी) और प्रबंध निदेशक की स्वीकृति प्राप्त किया। इस प्रकार, एमवीवीएनएल ने निविदा प्रक्रिया की सत्यनिष्ठा का उल्लंघन किया और अपने अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत गलत सूचना के आधार पर एक अपात्र फर्म को ₹ 2.46 करोड़ मूल्य के 600 परिवर्तकों की आपूर्ति हेतु अनुबंध प्रदान की।

प्रबंधन ने उत्तर में बताया (अगस्त 2021) कि आनंद ट्रांसफॉर्मर्स प्राइवेट लिमिटेड एक स्थापित फर्म है। फर्म ने निविदा प्रस्तुत करते समय बीआईएस, लखनऊ के कार्यालय में बीआईएस लाइसेंस की प्राप्ति हेतु आवेदन की पावती (29 फरवरी 2016) प्रस्तुत की थी और उसके आधार पर निविदा के भाग-I को खोलने के लिए विचार किया गया था। तत्पश्चात्, फर्म ने बीआईएस प्रमाण पत्र 12 अगस्त 2016 को प्रस्तुत किया एवं भाग-II को खोलने की स्वीकृति 16 अगस्त 2016 को मांगी गयी थी।

⁷¹ भारत सरकार के राजपत्र अधिसूचना दिनांक 7 मई 2015 के अनुसार, भारतीय मानक ब्यूरो से निर्गत वैध प्रमाण पत्र सभी परिवर्तक निर्माताओं और आपूर्तिकर्ताओं के लिए अनिवार्य है।

⁷² बीआईएस प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिये आवेदन की पावती निविदा दस्तावेज में संलग्न थी।

यह स्पष्ट है कि विचाराधीन फर्म अर्थात् आनंद ट्रांसफॉर्मर्स प्राइवेट लिमिटेड ने जैसा कि निविदा दस्तावेज में निर्धारित 11 अगस्त 2016 (5:00 अपराह्न) तक एमवीवीएनएल को वांछित बीआईएस प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया। अग्रेतर, फर्म के बीआईएस प्रमाण पत्र के तथ्य को निविदा के भाग-II को खोलने के लिए स्वीकृति प्राप्त करते समय मिथ्याकथन प्रस्तुत किया गया था, जिसके लिए कम्पनी जिम्मेदारी तय करने एवं सम्बंधित कर्मियों के विरुद्ध कार्यवाही करने पर विचार कर सकती है।

2.6.3.1 (iv) पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

(अ) 350 परिवर्तकों (250 केवीए) की आपूर्ति के लिए निविदा संख्या एमटी/1/2016-17

पीवीवीएनएल ने 250 केवीए के 350 परिवर्तकों (बीआईएस लेवल-I) की क्रय हेतु निविदा आमंत्रित की (09 अप्रैल 2016)। 11 फर्मों द्वारा प्रस्तुत निविदाओं का भाग-I 11 मई 2016 को खोला गया। निदेशक तकनीकी की अध्यक्षता में एक समिति द्वारा मूल्यांकन के पश्चात, 11 फर्मों में से 10 से प्राप्त निविदाओं के भाग-II को खोला (22 जून 2016) गया था। निदेशक (तकनीकी) ने ₹ 2,62,567 प्रति परिवर्तक (भाड़ा एवं बीमा सहित) की दर से करों को छोड़कर न्यूनतम निविदादाता (रक्षण ट्रांसफॉर्मर (प्रा.) लिमिटेड, सोनीपत) एवं शेष नौ फर्मों को प्रति प्रस्ताव के अनुमोदन हेतु एमडीएसपीसी को संस्तुति भेजी (22 जून 2016)। नौ फर्मों में से, केवल एक फर्म अर्थात् मॉडर्न ट्रांसफॉर्मर, गाजियाबाद जिनके पास बीआईएस प्रमाणपत्र था, ने प्रति प्रस्ताव को स्वीकार किया। एमडीएसपीसी के स्वीकृति पर (28 जून 2016), रक्षण ट्रांसफॉर्मर (प्रा.) लिमिटेड, सोनीपत और मॉडर्न ट्रांसफॉर्मर, गाजियाबाद प्रत्येक को ₹ 4.59 करोड़ मूल्य के 175 परिवर्तकों की आपूर्ति के लिए अनुबंध दिया गया था।

लेखापरीक्षा ने देखा कि 10 फर्मों में से जिनकी निविदाओं का भाग-II खोला गया था, केवल एक फर्म (मैसर्स मॉडर्न ट्रांसफॉर्मर, गाजियाबाद) ने बीआईएस प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया था और इसलिए उन्हें तकनीकी रूप से योग्य माना जा सकता है। शेष नौ फर्मों ने बीआईएस प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया था और इसलिए तकनीकी निविदा खोलने की तिथि पर अयोग्य थे। इस प्रकार, ₹ 4.59 करोड़ मूल्य के 175 परिवर्तकों की आपूर्ति के लिए निविदा अयोग्य निविदादाताओं में से एक (मैसर्स रक्षण ट्रांसफॉर्मर्स (प्राइवेट) लिमिटेड, सोनीपत) को प्रदान किया गया।

प्रबंधन ने उत्तर में बताया (अगस्त 2021) कि कुछ फर्मों ने बीआईएस से पंजीकरण के लिये आवेदन किया था, निविदा प्रक्रिया में विचार किया गया था और ऐसी फर्मों को उनके बीआईएस आवेदन के आधार पर प्रति प्रस्ताव निर्गत किये गए थे।

प्रबंधन का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि बीआईएस से फर्मों के पंजीकरण की आवश्यकता का उल्लंघन किया गया था और बीआईएस प्रमाण पत्र नहीं रखने वाली फर्मों को परिवर्तक की आपूर्ति के लिए अनुबंध दिया गया था।

(ब) 5,000 परिवर्तकों (25 केवीए) की आपूर्ति के लिए निविदा संख्या एमटी/3(एस)/2016-17

इसी प्रकार, पीवीवीएनएल ने 25 केवीए के 5,000 परिवर्तकों (बीआईएस लेवल-I) की क्रय हेतु निविदा आमंत्रित की (26 अप्रैल 2016)। 23 फर्मों द्वारा प्रस्तुत निविदाओं का भाग-I 18 मई 2016 को खोला गया था। मुख्य अभियंता (एमएम), अधिशाषी अभियंता (एमएम) की एक समिति द्वारा मूल्यांकन के पश्चात, समिति ने 23 निविदादाताओं में से 18 निविदाओं का भाग-II (वित्तीय) को खोलने के लिये निदेशक (तकनीकी) की स्वीकृति मांगी (24 मई 2016) एवं पाँच⁷³ फर्मों जिन्होंने बीआईएस प्रमाण पत्र प्रस्तुत

⁷³ (i) आर.के. इलेक्ट्रिकल्स, बीएसआर (ii) श्री श्याम जी इलेक्ट्रोटेक, बरेली (iii) महेंद्रा इंजीनियरिंग लिमिटेड, लखनऊ (iv) सर्वोच्च (इंडिया) कॉर्पोरेशन, बीएसआर (v) सुमन इलेक्ट्रिकल्स, मेरठ।

नहीं किया था और टर्नओवर एवं परिचालन अनुभव की आवश्यकता को पूर्ण नहीं किया, निविदाओं के भाग-II को नहीं खोलने का प्रस्ताव भी किया। निदेशक (तकनीकी) ने 18 फर्माँ और उपरोक्त पाँच फर्माँ को ट्रायल बिडर⁷⁴ के रूप में निविदाओं का भाग-II खोलने के प्रस्ताव की स्वीकृति दी (24 मई 2016)। निविदाओं का भाग-II 24 मई 2016 को खोला गया था।

अधिशायी अभियंता (एमएम) के साथ मुख्य अभियंता (एमएम) ने ₹ 40,722 (भाड़ा एवं बीमा सहित एक्स-वर्क्स) कर के अतिरिक्त की दर पर निविदादाता (बंसल ट्रांसफॉर्मर्स (पी) लिमिटेड) के न्यूनतम मूल्य एवं शेष 22 फर्माँ को प्रति प्रस्ताव करने की संस्तुति एमडीएसपीसी को दिया। एमडीएसपीसी ने न्यूनतम निविदादाता एवं 12 अन्य फर्माँ (चार ट्रायल फर्माँ सहित) से 25 केवीए के 5,000 परिवर्तकों की क्रय की स्वीकृति दी (01 जून 2016)।

लेखापरीक्षा ने देखा कि जिन 13 फर्माँ को अनुबंध दिया गया था, में से सात फर्माँ (चार ट्रायल फर्माँ सहित) के पास तकनीकी निविदा खोलने की तिथि पर बीआईएस प्रमाणपत्र नहीं था और इसलिए वे तकनीकी रूप से अयोग्य थीं। इस प्रकार, पीवीवीएनएल ने ₹ 8.96 करोड़ मूल्य के 2200 परिवर्तकों की आपूर्ति का आदेश उन सात फर्माँ को दिया, जिन्होंने बीआईएस प्रमाण पत्र रखने की अनिवार्य शर्त का पालन नहीं किया था।

प्रबंधन ने उत्तर में बताया (अगस्त 2021) कि कुछ फर्माँ ने जिन्होंने बीआईएस पंजीकरण के लिए आवेदन किया था, निविदा प्रक्रिया में सम्मिलित किया गया था और प्रतिस्पर्धी दरों को प्राप्त करने के लिए ऐसी फर्माँ को उनके बीआईएस आवेदन के आधार पर प्रति प्रस्ताव निर्गत किये गये थे।

प्रबंधन का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) से फर्माँ के पंजीकरण की आवश्यकता का उल्लंघन किया गया था एवं बीआईएस से नहीं पंजीकृत फर्माँ को बीआईएस को आवेदन की पावती के आधार पर परिवर्तक की आपूर्ति हेतु अनुबंध दिया गया था एवं एक धारणा है कि ये फर्म बीआईएस प्रमाणपत्र प्राप्त कर सकती हैं और भविष्य में पात्र बन सकती हैं।

प्राइस फॉल बैक क्लॉज को लागू करने में विफलता के कारण हानि

2.6.3.2 एनआईटी के नियमों और शर्तों के अनुसार, यदि आदेशित उपकरणों की कुछ मात्रा आगामी/अनुगामी निविदा को अंतिम रूप देने तक आपूर्ति नहीं की जाती है, तो इस निविदा और अनुगामी निविदा की मूल्यों में कमी शेष आपूर्ति न की गयी सामग्री के लिए देय होगी। यदि निविदादाता शेष मात्रा को कम दरों पर आपूर्ति करने के लिए सहमत नहीं होते हैं, तो आपूर्ति न की गयी निविदित मात्रा बिना किसी पूर्वाग्रह के निरस्त कर दी जायेगी।

2016-17 से 2018-19 के दौरान, डिस्कॉम्स ने परिवर्तक की क्रय हेतु विभिन्न निविदाएं आमंत्रित की। लेखापरीक्षा ने देखा कि पिछली निविदाओं के कार्यरत रहने के दौरान, अनुगामी निविदाओं में अंतिम रूप दी गयी दरें पूर्व की निविदाओं की दरों से कम पायी गयी। मूल्य में गिरावट का लाभ प्राप्त करने के लिए, डिस्कॉम्स को पूर्व निविदा की शेष मात्रा को अनुगामी निविदाओं में पायी गयी दरों पर आपूर्ति करने हेतु अनुबंध के उपर्युक्त क्लॉज को दृढ़ता से कार्यान्वित कराना चाहिये। हालाँकि, डिस्कॉम्स ऐसा करने में विफल रहा जिसके कारण ₹ 1.37 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ जैसा कि नीचे तालिका 2.3 में सारांशित किया गया है।

⁷⁴ क्रेता अपने विवेक से उन निविदादाताओं को कम मात्रा का ट्रायल आदेश देने पर विचार कर सकता है जिनके पास प्रमाणित डिजाइन है और बीआईएस प्रमाण पत्र, ट्रायल सुविधायें, टर्नओवर एवं परिचालन अनुभव आदि की आवश्यकता को पूर्ण करते हैं।

तालिका 2.3: अनुगामी निविदा के स्थान पर पूर्वगामी निविदा की दर पर क्रय किये गए परिवर्तकों का विवरण

डिस्कॉम का नाम	पूर्वगामी निविदा संख्या	परिवर्तक की क्षमता	एक्स-वर्क्स दर (प्रति परिवर्तक) (₹ में)	अनुगामी निविदा खोलने के पश्चात पूर्वगामी निविदा के सापेक्ष क्रय किये गए शेष मात्रा	अनुगामी निविदा संख्या	प्रति परिवर्तक की दर (₹ में)	अन्तर (₹ में)	अतिरिक्त व्यय (₹ करोड़ में)
एमवीवीएनएल	2298/2018	25 केवीए	44,712	6,290	2327/2018	43,000	1,712	1.08
पीवीवीएनएल	278(एस)/15-16	10 एमवीए	41,88,000	27	8(एस) 16/17	40,79,000	1,09,000	0.29
योग				6,317				1.37

स्रोत: डिस्कॉम्स द्वारा उपलब्ध कराए गए सूचना के आधार पर

एमवीवीएनएल ने उत्तर में बताया (अगस्त 2021) कि निविदा⁷⁵ के सापेक्ष पिछली आपूर्ति प्रक्रिया में थी और नयी निविदा⁷⁶ के अनुसार दरें कम थीं लेकिन फर्म नयी निविदा के अनुसार दर कम करने को तैयार नहीं थी। इसके अतिरिक्त, कॉरपोरेट स्टोर क्रय समिति (सीएसपीसी) ने मूल्य में अल्प अंतर एवं 31 दिसम्बर 2018 तक सौभाग्य योजना के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, प्राइस फॉल बैक के प्रावधान को शिथिल करने का निर्णय लिया (05 अक्टूबर 2018)।

एमवीवीएनएल का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि यदि पूर्ववर्ती फर्म किये गए आपूर्ति से बचे शेष मात्रा की आपूर्ति कम दरों पर करने से असहमत होती है, तब नयी निविदा के फर्मों से किये गए आपूर्ति से शेष मात्रा को क्रय करने का विकल्प था। अग्रेतर, प्रबंधन ने 4,046 परिवर्तकों के प्रेषण निर्देश 31 दिसम्बर 2018 के पश्चात निर्गत किये।

पीवीवीएनएल ने आगे बताया (अगस्त 2021) कि 15 परिवर्तकों के लिए ₹ 37.89 लाख की वसूली के आदेश निर्गत किये गये हैं, जिसके सापेक्ष ₹ 32.83 लाख की वसूली की जा चुकी है।

प्रतिस्पर्धी मूल्य सुनिश्चित किये बिना अनुबंध प्रदान करना

2.6.3.3 उत्तर प्रदेश प्रोक्योरमेंट मैनुअल⁷⁷ (मैनुअल), 2016 का नियम 14.15 (4) निविदाओं के दो भागों के तकनीकी निविदाओं के मूल्यांकन की प्रक्रिया से सम्बंधित है एवं यह निर्धारित करता है कि तकनीकी मूल्यांकन में योग्य निविदादाताओं की संख्या आमतौर पर तीन से कम नहीं होनी चाहिए। यदि संख्या तीन से कम है एवं क्रय करने वाली संस्था द्वारा निविदा प्रक्रिया को जारी रखना आवश्यक समझा जाता है, तो कारणों को लिखित रूप में अभिलेखित किया जाएगा और क्रय कार्यवाही के अभिलेख में शामिल किया जाएगा। इस प्रकार, प्रस्तावित दर की प्रतिस्पर्धात्मकता सुनिश्चित करने के लिए, निविदा को तभी अंतिम रूप दिया जाना चाहिए जब कम से कम तीन तकनीकी रूप से योग्य निविदादाता हों।

लेखापरीक्षा ने देखा कि 48 चयनित निविदाओं में से दो में, डिस्कॉम्स ने इस तथ्य के बावजूद कि योग्य निविदादाता तीन से कम थे, इसके कारणों को अभिलेखित किये बिना अन्तिमीकृत एवं अनुबंध प्रदान किया। इसके परिणामस्वरूप, दरों में उचित प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित किये बिना ₹ 10.68 करोड़ मूल्य का कार्य प्रदान किया जैसा तालिका 2.4 में सारांशित किया गया है:

⁷⁵ मेडको/2298/2018।

⁷⁶ मेडको/2327/2018।

⁷⁷ यूपीपीसीएल ने अपने वेबसाइट पर "सूचना का अधिकार" के शीर्षक के अन्तर्गत बताया कि यूपीईआरसी, सीईआरसी, सीईए एवं राज्य सरकार के नियमों और विनियमों/दिशानिर्देशों का उपयोग कम्पनी द्वारा कार्यों के निर्वहन में किया जाता है।

तालिका 2.4: उचित प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित किये बिना प्रदान की गयी निविदा को दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	डिस्कॉम का नाम	निविदा संख्या	वित्तीय निविदा को खोलने के लिये योग्य फर्मों की संख्या	फर्म का नाम जिसे अनुबंध प्रदान किया गया	अनुबंध का मूल्य (₹ करोड़ में)
1	पूवीवीएनएल	ईएवी 39/18-19	1	पी. पी. इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड	4.14
2	डीवीवीएनएल	2203/2018	2	पी. पी. इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड	3.49
				मार्डन ट्रांसफॉर्मर प्राइवेट लिमिटेड	3.05
योग					10.68

स्रोत: डिस्कॉम्स द्वारा उपलब्ध कराए गए सूचना के आधार पर

2.6.3.3 (i) पूवीवीएनएल के अन्तर्गत अधीक्षण अभियंता, विद्युत भण्डार मण्डल, वाराणसी ने बिजनेस प्लान के अन्तर्गत 630 केवीए के 50 परिवर्तक की क्रय हेतु मांग की (जुलाई 2018)। आवश्यकता के आधार पर, पूवीवीएनएल ने 630 केवीए के 50 परिवर्तक की क्रय हेतु खुली निविदा आमंत्रित किया (अगस्त 2018)। निविदा जमा करने की अंतिम तिथि 06 अगस्त 2018 थी, जिसे 17 अगस्त 2018 तक विस्तारित किया गया। निविदा में दो फर्मों ने भाग लिया। दो फर्मों में से एक अर्थात साई इलेक्ट्रिकल्स को पीवीवीएनएल द्वारा रैंडम सैंपलिंग के पश्चात किये गए परीक्षण में इसके परिवर्तकों की विफलता के कारण एक वर्ष के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया था। इस प्रकार, केवल एक फर्म अर्थात पी. पी. इंडस्ट्रीज वित्तीय निविदा खोलने के लिए योग्य थी।

लेखापरीक्षा ने देखा कि कम्पनी ने एकल फर्म द्वारा प्रस्तावित दर के आधार पर निविदा को अंतिम रूप दिया और ₹ 4.14 करोड़ मूल्य के आपूर्ति का कार्य दिया (अक्टूबर 2018)। उल्लेखनीय है कि वर्ष की वार्षिक आवश्यकता में 630 केवीए परिवर्तक की आवश्यकता का उल्लेख तक नहीं किया गया था।

प्रबंधन ने उत्तर में बताया (अगस्त 2021) कि डिस्कॉम ने इस क्षमता के परिवर्तक (630 केवीए परिवर्तक) की महत्वपूर्ण प्रकृति के कारण निविदा देने पर विचार किया, जो जनता को नियमित आपूर्ति बनाये रखने के लिए अनिवार्य रूप से आवश्यक था। इसने अग्रेतर बताया कि सामग्री को उचित दरों पर क्रय करने हेतु सभी प्रयास किये गए थे। प्रबंधन ने यह भी बताया कि 15 परिवर्तक भी प्राप्त हो चुके हैं और कार्यस्थल की आवश्यकता के अनुसार उपयोग किये जा रहे हैं।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि 630 केवीए के 50 परिवर्तक के क्रय के माध्यम से जनता को नियमित आपूर्ति बनाये रखने का उद्देश्य विफल हो गया क्योंकि प्रबंधन द्वारा क्षेत्र से प्राप्त किये मांग की तिथि से दो वर्ष से अधिक व्यतीत हो जाने के पश्चात केवल 15 परिवर्तक प्राप्त/स्थापित किये गए थे।

2.6.3.3 (ii) डीवीवीएनएल ने 10 एमवीए परिवर्तकों की क्रय हेतु निविदा आमंत्रित की (7 मार्च 2018), जिसे 11 अप्रैल 2018 को खोला जाना था। सात निविदादाताओं ने निविदा प्रक्रिया में भाग लिया और उनकी तकनीकी निविदा (भाग-I) निर्धारित तिथि को खोली गयी। सात निविदाओं में से केवल दो निविदाएं तकनीकी रूप से योग्य पायी गयी और उनकी वित्तीय निविदा (भाग-II) खोली गयी (17 नवम्बर 2018)। एमडीएसपीसी द्वारा पी.पी. इंडस्ट्रीज, भटिंडा को न्यूनतम पाया गया (05 दिसम्बर 2018) एवं उसे ₹ 3.49 करोड़ मूल्य के आठ परिवर्तकों की आपूर्ति का अनुबंध दिया गया। न्यूनतम निविदा की दरों के आधार पर अन्य निविदादाता अर्थात मॉडर्न ट्रांसफॉर्मर प्रा. लिमिटेड, हरिद्वार को ₹ 3.05 करोड़ मूल्य के सात परिवर्तकों की आपूर्ति का अनुबंध भी प्रदान किया गया।

लेखापरीक्षा ने देखा कि एमडीएसपीसी ने केवल दो योग्य निविदादाताओं के आधार पर ₹ 6.54 करोड़ की आपूर्ति प्रदान करने का कोई कारण अभिलेखित नहीं किया।

प्रबंधन ने उत्तर में बताया (अगस्त 2021) कि निदेशक (तकनीकी), डीवीवीएनएल को एक स्वीकृति नोट प्रस्तुत किया गया था जिसमें दो योग्य निविदादाताओं के भाग-II को खोलने के प्रस्ताव के साथ सभी सात फर्मों की अर्हता का उल्लेख किया गया था। तदनुसार, निदेशक (तकनीकी) डीवीवीएनएल की स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात दो योग्य निविदादाताओं की वित्तीय निविदा खोली गयी।

प्रबंधन के उत्तर ने इस प्रकरण को संबोधित नहीं किया कि उत्तर प्रदेश प्रोक्योरमेंट मैनुअल, 2016 के प्रावधानों के उल्लंघन में तकनीकी रूप से न्यूनतम तीन योग्य निविदादाताओं की आवश्यकता का पालन न करने के कारणों को अभिलेखित किये बिना निविदा को अंतिम रूप दिया गया था।

परिवर्तकों का गुणवत्ता गारंटी

गुणवत्ता सुनिश्चित किये बिना परिवर्तकों की क्रय

2.6.4.1 परिवर्तकों की क्रय हेतु निविदा के तकनीकी विशिष्टीकरण में निहित क्लॉज 28.13.3 के अनुसार, क्रेता को अपने स्टोर पर किये गए आपूर्ति या निर्माता के कार्यस्थल से नमूनों को चयनित करने का अधिकार है, जब इसे आपूर्ति हेतु एक लॉट में प्रस्ताव दी जाती है एवं उसे गुणवत्ता परीक्षण के लिये भेजते हैं। यदि सामग्री वांछित विशिष्टीकरण के अनुरूप नहीं पायी जाती, आपूर्तिकर्ताओं के विरुद्ध निम्नलिखित दण्डात्मक कार्यवाही की जानी थी:

(i) उक्त अनुबंध के सापेक्ष शेष आपूर्ति, यदि कोई हो, का आदेश निरस्त कर दिया जायेगा, एवं

(ii) आपूर्तिकर्ता को अनुगामी तीन निविदाओं में भाग लेने से वंचित कर दिया जाएगा।

अग्रेतर, ऊर्जा दक्षता से सम्बंधित ऊर्जा मंत्रालय (एमओपी) के अधिसूचना (12 जनवरी 2009) के प्रस्तर 4 एवं दिनांक 16 दिसम्बर 2016 द्वारा संशोधित अधिसूचना वर्णित करता है कि उपक्रमों पर आपूर्ति होने के पश्चात सत्यापन हेतु नमूनाकरण किया जायेगा, जो वापसी योग्य के आधार पर परिवर्तक के परीक्षण हेतु यादृच्छिक चयन के आधार पर बीईई को परिवर्तक प्रदान करेगा।

यूपीपीसीएल ने आपूर्ति की गयी सामग्रियों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु क्रय दिशानिर्देश भी जारी किये (03 अप्रैल 2018) जो यह कहता है कि क्रेता, अपने विवेक पर, एनएबीएल से मान्यता प्राप्त प्रतिष्ठित प्रयोगशाला में तकनीकी विशिष्टीकरण/आईएसएस के अनुसार, किसी भी/सभी सामान्य/स्वीकृति/टाइप टेस्ट हेतु प्रत्येक लॉट या कुल आपूर्ति की गयी सामग्री से यादृच्छिक रूप से चयनित नमूना भेजेगा।

लेखापरीक्षा ने देखा कि डिस्कॉम्स ने 2016-17 से 2018-19 के दौरान 427 निष्पादित अनुबंधों के सापेक्ष परिवर्तकों की आपूर्ति प्राप्त की। इस प्रकार प्राप्त परिवर्तकों की गुणवत्ता की परीक्षण हेतु कम से कम 427 नमूने परीक्षण हेतु भेजे जाने चाहिए थे। हालाँकि, अनुबंधों का क्लॉज एवं भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के बावजूद, डिस्कॉम्स ने परीक्षण हेतु 2016-17 से 2018-19 के दौरान पर्याप्त संख्या में नमूने नहीं भेजे जैसा तालिका 2.5 में सारांशित किया गया है।

तालिका 2.5: गुणवत्ता सुनिश्चित किये बिना परिवर्तकों (टी/एफएस) की क्रय का विवरण

डिस्कॉम्स	निविदाओं की संख्या (1000 केवीए तक)	अनुबंधों की संख्या जिनके सापेक्ष आपूर्ति हुयी	परीक्षण के लिए भेजे गए नमूने	विफल नमूने	नमूना विफल होने के पश्चात अनुबंध के सापेक्ष ली गयी आपूर्ति का मूल्य (₹ करोड़ में)	अनुबंध की संख्या जिसके नमूने का परीक्षण नहीं किया गया	टी/एफएस की संख्या	धनराशि (₹ करोड़ में)
एमवीवीएनएल	27	69	11	3	0	58	26,947	148.39
पूवीवीएनएल	31	75	13	5	11.29	62	20,383	153.29
डीवीवीएनएल	37	144	46 ⁷⁸	9	0	98	53,387	305.04
पीवीवीएनएल	20	139	60 ⁷⁹	6	0	79	25,488	196.20
योग	115	427	130	23	11.29	297	1,26,205	802.92

स्रोत: डिस्कॉम्स द्वारा उपलब्ध कराए गए सूचना के अनुसार

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि डिस्कॉम्स ने 297 अनुबंधों के सापेक्ष स्टोर में परिवर्तक प्राप्त होने के पश्चात नमूने परीक्षण हेतु नहीं भेजे। इस प्रकार, डिस्कॉम्स ने विद्युत वितरण प्रणाली में उपयोग में लाने से पूर्व ₹ 802.92 करोड़ मूल्य के 1,26,205 परिवर्तकों पर आवश्यक गुणवत्ता परीक्षण सुनिश्चित नहीं की।

एमवीवीएनएल ने उत्तर में बताया (अगस्त 2021) कि कुल आपूर्ति किये गए परिवर्तकों के प्रत्येक लॉट से एनएबीएल मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला में यादृच्छिक रूप से चयनित नमूनों का परीक्षण किया जाता है।

पूवीवीएनएल ने बताया (अगस्त 2021) कि एक प्रतिष्ठित स्वतंत्र तृतीय पक्ष एजेंसी द्वारा 100 प्रतिशत प्रेषण पूर्व निरीक्षण के माध्यम से परिवर्तकों की गुणवत्ता सुनिश्चित की जाती है। इसने यह भी बताया कि नमूने गुणवत्ता परीक्षण हेतु सीपीआरआई को भेजे जाते हैं।

डीवीवीएनएल ने अपने उत्तर (अगस्त 2021) में, यूपीपीसीएल द्वारा अप्रैल 2018 में दिशानिर्देश निर्गत करने से पूर्व एवं पश्चात में निविदा के शर्त का हवाला दिया। हालाँकि, क्रय किये गए परिवर्तक के वास्तविक परीक्षण में कमियों पर मौन था।

पीवीवीएनएल ने बताया (अगस्त 2021) कि 2016-17 और 2017-18 के दौरान, क्रेता, अपने विवेक पर, किसी भी/सभी परीक्षण के लिए आपूर्ति लॉट से यादृच्छिक रूप से चयनित नमूना भेज सकता है और 2018-19 के दौरान यूपीपीसीएल के आदेश के अनुसार, क्रेता अपने विवेक पर, अपने प्रत्येक लॉट या कुल आपूर्ति की गयी सामग्री से कोई भी यादृच्छिक रूप से चयनित नमूना भेजेगा।

यूपीपीसीएल ने बताया (अगस्त 2021) कि पारदर्शी बोली प्रक्रिया के माध्यम से क्रय किये गए परिवर्तक की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए डिस्कॉम्स को निर्देश निर्गत किये गए हैं।

डिस्कॉम्स के उत्तर स्वीकार्य नहीं हैं क्योंकि अनुबंधों, यूपीपीसीएल के क्रय दिशानिर्देशों और भारत सरकार के दिशा-निर्देशों में शर्तों के बावजूद, डिस्कॉम्स ने 2016-17 से 2018-19 के दौरान परीक्षण हेतु पर्याप्त संख्या में नमूने नहीं भेजे। यह भी ध्यान दिया जा सकता है कि डीटी की विफलता की दर दो प्रतिशत के मानदण्ड से बहुत अधिक थी जैसा कि प्रस्तर 2.6.5.1 में चर्चा की गयी है।

अग्रेतर, यह देखा गया कि पूवीवीएनएल ने नमूना गुणवत्ता परीक्षण में विफल होने के पश्चात एक अनुबंध के सापेक्ष ₹ 11.29 करोड़ मूल्य के 2,429 परिवर्तकों की आपूर्ति स्वीकार की थी जैसा कि अनुवर्ती प्रस्तर में वर्णित है।

⁷⁸ कुल भेजे गए नमूने 74 थे, जिनमें से 28 नमूने उसी अनुबंधों में पुनरावृत्त थे।

⁷⁹ कुल भेजे गए नमूने 65 थे, जिनमें से 5 नमूने उसी अनुबंधों में पुनरावृत्त थे।

गुणवत्ता परीक्षण में नमूना विफल होने के पश्चात भी परिवर्तकों के क्रय के कारण एक फर्म को अनुचित लाभ

2.6.4.2 पूवीवीएनएल ने 25 केवीए के 5,000 परिवर्तकों की आपूर्ति हेतु करमवीर इलेक्ट्रॉनिक्स, मेरठ को अवार्ड पत्र जारी किया (28 सितम्बर 2016) और अग्रेतर 25 केवीए के 5,000 परिवर्तकों की अतिरिक्त आपूर्ति हेतु अनुबंध किया (14 मार्च 2017)। इस प्रकार, पूवीवीएनएल ने करमवीर इलेक्ट्रॉनिक्स, मेरठ को 25 केवीए के 10,000 परिवर्तकों की आपूर्ति हेतु अनुबंध किया।

तकनीकी विशिष्टीकरण के क्लॉज 32.13.3 के सपटित विशिष्टीकरण की सामान्य आवश्यकता के क्लॉज 1.20 में प्रावधान है कि परिवर्तक प्राप्त होने के पश्चात, क्रेता नमूने का चयन करेगा और उसका परीक्षण करायेगा। यदि स्टोर पर प्राप्त होने के पश्चात परीक्षण किये गए नमूना का कोई भी मापदण्ड के अनुसार नहीं था, तो शेष मात्रा का आदेश निरस्त कर दिया जाएगा।

लेखापरीक्षा ने देखा कि फर्म ने जनवरी 2017 से आपूर्ति प्रारम्भ कर दी थी। परिवर्तकों की प्राप्ति के पश्चात, एक नमूना परिवर्तक परीक्षण हेतु एक अधिकृत एजेंसी केंद्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान (सीपीआरआई) नोएडा को भेजा (नवम्बर 2017) गया। नमूनाकृत परिवर्तक परीक्षण मापदण्डों यथा 'अर्थ एचवी वाइंडिंग से अर्थ के मध्य पृथक वोल्टेज प्रतिरोधक परीक्षण' में विफल (22 नवम्बर 2017) हो गया। दण्डात्मक कार्यवाही के रूप में, प्रबंध निदेशक ने फर्म को पूवीवीएनएल की निविदाओं में (25 केवीए परिवर्तकों के लिए) प्रतिनिधित्व करने से छः माह के लिए वांचित कर दिया (03 फरवरी 2018) लेकिन आपूर्ति होने वाले शेष 6,300 परिवर्तकों की आपूर्ति आदेश को निरस्त नहीं किया। फर्म को प्रतिबंधित करने पश्चात, पूवीवीएनएल ने जुलाई 2019 तक फर्म से ₹ 11.19 करोड़ मूल्य के 25 केवीए के 2,429 परिवर्तकों की आपूर्ति प्राप्त की। इस प्रकार, पूवीवीएनएल ने नमूना की विफलता के बावजूद आपूर्ति की जाने वाली शेष मात्रा के लिए आपूर्ति आदेश को निरस्त न करके, फर्म को अनुचित लाभ दिया।

प्रबंधन ने उत्तर में बताया (अगस्त 2021) कि नमूना परीक्षण प्रावधान नए परिवर्तकों के लिये है न कि मरम्मत किये गये परिवर्तकों के लिए। इसने आगे बताया कि नमूनाकृत परिवर्तक एक बार गारंटी अवधि के अन्तर्गत मरम्मत की गयी थी और इसे उच्च वोल्टेज परीक्षण के अधीन नहीं किया जाना चाहिए था। यह भी बताया गया कि प्रतिबन्धित करने, काली सूची में डालने जैसी दण्डात्मक कार्यवाही का कोई प्रावधान नहीं था और फर्म द्वारा आपूर्ति किये गए 63 केवीए के एक अन्य परिवर्तक ने सभी परीक्षणों को सफलतापूर्वक उत्तीर्ण कर लिया था।

उत्तर तथ्यात्मक रूप से गलत है क्योंकि सीपीआरआई रिपोर्ट में परिवर्तक को नया दिखाया गया था और सीपीआरआई प्रासंगिक मानकों के अनुसार परीक्षण करता है।

परिवर्तकों की मरम्मत

2.6.5 पूर्ववर्ती उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड ने परिवर्तकों की विफलता के लिए अनुमन्य सीमा स्थापित परिवर्तक के दो प्रतिशत निर्धारित की (मई 1982)। तब से यह सीमा अपरिवर्तित रही।

वितरण परिवर्तकों की उच्च विफलता दर

2.6.5.1 31 मार्च 2019 को समाप्त तीन वर्षों के दौरान विफल वितरण परिवर्तकों की स्थिति नीचे तालिका 2.6 (परिशिष्ट-2.15 में विवरण) में दर्शायी गयी है।

तालिका 2.6: विफल हुए वितरण परिवर्तकों को दिखाने वाला विवरण

डिस्कॉम्स	2 प्रतिशत निर्धारित मानक से अधिक विफल हुए वितरण परिवर्तकों की वर्षवार अधिक संख्या		
	2016-17 (प्रतिशत में)	2017-18 (प्रतिशत में)	2018-19 (प्रतिशत में)
एमवीवीएनएल	50,279 (22.93)	53,297 (19.59)	67,474 (20.27)
पूवीवीएनएल	65,503 (17.82)	61,746 (16.52)	72,684 (16.14)

डिस्कॉम्स	2 प्रतिशत निर्धारित मानक से अधिक विफल हुए वितरण परिवर्तकों की वर्षवार अधिक संख्या		
	2016-17 (प्रतिशत में)	2017-18 (प्रतिशत में)	2018-19 (प्रतिशत में)
डीवीवीएनएल	35,305 (17.00)	42,964 (18.03)	44,074 (13.92)
पीवीवीएनएल	39,830 (16.72)	47,510 (17.74)	48,483 (13.28)
योग	1,90,917 (18.49)	2,05,517 (17.84)	2,32,715 (15.89)

स्रोत: डिस्कॉम्स द्वारा उपलब्ध कराए गए सूचना के अनुसार

उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि डिस्कॉम्स द्वारा स्थापित वितरण परिवर्तकों की वास्तविक विफलता दर मानक से दो प्रतिशत से अत्यधिक थी। लेखापरीक्षा ने देखा कि एचवी और एलवी साइड में पर्याप्त सुरक्षा प्रणाली स्थापित नहीं करना, निवारक अनुरक्षण कार्यक्रम का पालन नहीं करना/तैयार नहीं करना और वितरण परिवर्तकों पर अतिभार परिवर्तकों की अत्यधिक विफलता के मुख्य कारण थे।

यह ध्यान देने योग्य है कि 31 मार्च 2007 को समाप्त हुए वर्ष के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) में सीएजी ने इंगित किया था (प्रस्तर संख्या 2.3.16) कि 2002-03 से 2006-07 की अवधि के दौरान, डीटी की विफलता का प्रतिशत 2 प्रतिशत के मानक से बहुत अधिक एवं 17.20 प्रतिशत से 21.27 प्रतिशत के मध्य था।

प्रबंधन (डिस्कॉम) ने उत्तर में बताया (अगस्त 2021) कि दो प्रतिशत का परिवर्तक विफलता मानक स्वेच्छाचारित एवं प्राप्त करना बहुत कठिन प्रतीत होता है। इन वर्षों में, विफलता प्रतिशत को कम करने हेतु विभिन्न उपचारात्मक उपाय जैसे कि उचित माप के एचटी/एलटी फ्यूज लगाने, नियमित अनुरक्षण कार्य, उचित भार संतुलन, परिवर्तकों की क्षमता में वृद्धि करके/अतिरिक्त परिवर्तक स्थापित करना परिवर्तकों पर लोड को कम करके और चोरी/अवैध संयोजन को रोकना आदि, निरन्तर किये जा रहे हैं। इसने अग्रेतर बताया कि उपरोक्त उपायों ने वर्ष प्रति वर्ष विफलता प्रतिशत को कम करने में सहायक है।

प्रबंधन का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि मानक उनकी मूल कम्पनी (तत्कालीन यूपीएसईबी) द्वारा निर्धारित किये गए हैं। विफलता प्रतिशत बहुत अधिक रहा और प्रबंधन द्वारा लिए गए उपाय निर्धारित मानक के अन्तर्गत विफलता प्रतिशत को कम करने में विफल रहे हैं।

एचवी/एलवी कॉयल की कम प्राप्ति

2.6.5.2 यूपीपीसीएल ने एचवी/एलवी कॉयल⁸⁰ की कम प्राप्ति के लिए निर्देश निर्गत किये (6 मार्च 2002)। निर्देश अन्य बातों के साथ-साथ प्रदान करते हैं कि कॉयल की प्राप्ति आपूर्ति किये गए मेक के अनुसार वजन से कम नहीं होनी चाहिए। यदि कॉयल का वजन आपूर्ति किये गए मेक से कम पाये जाने पर सम्बंधित अधिशाषी अभियंता अनुमोदन से पूर्व इसकी जाँच करेंगे।

चार डिस्कॉम के सभी 20 विद्युत कार्यशाला खण्डों (ईडब्ल्यूडी) के अभिलेखों की जाँच के दौरान, लेखापरीक्षा ने देखा कि 19 ईडब्ल्यूडी में, अप्रैल 2016 से मार्च 2019 के दौरान क्षतिग्रस्त हुये विभिन्न क्षमताओं के 4,92,246 क्षतिग्रस्त परिवर्तकों से एचवी/एलवी कॉयल की कम प्राप्ति हुयी थी। मानक के अनुसार, इन क्षतिग्रस्त परिवर्तकों से 35,85,467 किलोग्राम कॉपर और 1,58,85,070 किलोग्राम एल्यूमीनियम की प्राप्ति होनी चाहिए थी। हालाँकि, डिस्कॉम्स केवल 35,13,237 किलोग्राम कॉपर (97.99 प्रतिशत) और 1,52,65,573 किलोग्राम एल्यूमीनियम (96.10 प्रतिशत) की प्राप्ति कर सकी। इस प्रकार, 72,230 किग्रा कॉपर (2.01 प्रतिशत) और 6,19,497 किग्रा एल्यूमीनियम (3.90 प्रतिशत) की मामूली कम प्राप्ति हुयी जैसा कि तालिका 2.7 में सारांशित है।

⁸⁰ परिवर्तकों में, कोर के दो तरफ अर्थात हाई वोल्टेज/लो वोल्टेज (एचवी/एलवी) की ओर वाइडिंग होती है।

तालिका 2.7: एचवी/एलवी कॉयल की कम प्राप्ति को दर्शाने वाला विवरण

डिस्कॉम्स	ईडब्ल्यूडी की संख्या	क्षतिग्रस्त परिवर्तकों की कुल संख्या	प्राप्त होने वाली मात्रा		प्राप्त की गयी मात्रा		कम प्राप्ति		डिस्कॉम्स को हानि (₹ करोड़ में)
			कॉपर	एल्यूमीनियम	कॉपर	एल्यूमीनियम	कॉपर (प्रतिशत)	एल्यूमीनियम (प्रतिशत)	
एमएमवीवीएनएल	05	1,61,797	14,66,310	51,83,101	14,61,917	50,91,951	4,393 (0.30)	91,150 (1.76)	0.96
पूवीवीएनएल	06	2,16,680	15,59,540	67,38,525	15,02,123	62,87,722	57,417 (3.68)	4,50,803 (6.69)	6.17
डीवीवीएनएल	05	86,360	4,96,572	28,53,608	4,87,866	27,81,827	8,706 (1.75)	71,781 (2.52)	0.97
पीवीवीएनएल	03	27,409	63,045	11,09,836	61,331	11,04,073	1,714 (2.72)	5,763 (0.52)	0.12
योग	19	4,92,246	35,85,467	1,58,85,070	35,13,237	1,52,65,573	72,221.55 (2.01)	6,19,497 (3.90)	8.22

स्रोत: डिस्कॉम्स द्वारा उपलब्ध कराए गए सूचना के अनुसार

क्षतिग्रस्त परिवर्तकों से एल्यूमीनियम और तांबे की कम प्राप्ति के परिणामस्वरूप डिस्कॉम्स को ₹ 8.22 करोड़⁸¹ की हानि हुयी। विनष्टीकरण की प्रक्रिया के दौरान एल्यूमीनियम और तांबे के कम होने से इंकार नहीं किया जा सकता है।

एमवीवीएनएल ने उत्तर में बताया (अगस्त 2021) कि शॉर्ट सर्किट दोष/उच्च अतिभार के दौरान, कुछ परिवर्तक बुरी तरह से क्षतिग्रस्त और कुछ परिवर्तकों में आग लग जाती है। इन दोषों के कारण, एचवी/एलवी कॉयल धातु पिघल जाती, छोटी बूंदों/टुकड़ों में टूट जाती है और परिवर्तक के तेल में तैरने लगती है। एल्युमिनियम का गलनांक (660.3° सी) कॉपर (1085° सी) से कम होने के कारण, गंभीर खराबी के दौरान कॉपर की तुलना में एल्युमिनियम की अधिक मात्रा नष्ट हो जाती है। यह धातु की हानि है और पूर्ण रूप से समाप्त नहीं किया जा सकता है। आगे यह भी बताया गया कि वर्ष 2016-17 और 2017-18 के लिए ईडब्ल्यूडी-लखनऊ के प्रकरण में लेखापरीक्षा को दिया गया डाटा पूर्ण और सही नहीं था क्योंकि एचवी/एलवी कॉयल्स का वजन जो बिना रि-कंडीशनिंग के, मरम्मत में सीधे उपभोग किया गया था, जो प्राप्ति की मात्रा में शामिल नहीं था एवं वर्ष 2018-19 के लिए मरम्मत किये गए परिवर्तक के सापेक्ष एल्यूमीनियम की वापसी का भी लेखापरीक्षा द्वारा उल्लेख नहीं किया गया था। आगे यह भी बताया गया कि उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए प्राप्ति के लेखांकन को संशोधित किया गया है।

पूवीवीएनएल और डीवीवीएनएल ने बताया (अगस्त 2021) कि क्षतिग्रस्त परिवर्तक के एचवी और एलवी कॉयल की रिकंडीशनिंग जिसमें एल्यूमीनियम या तांबे की पट्टी/तार अच्छी स्थिति में पाए जाते हैं, एल्यूमीनियम और कॉपर की प्राप्ति की गणना के लिए नहीं लिया गया है।

पीवीवीएनएल ने बताया (अगस्त 2021) कि क्षतिग्रस्त परिवर्तक की मामूली मरम्मत के प्रकरण में, एचवी/एलवी कॉयल को नहीं बदला गया था। कुल क्षतिग्रस्त परिवर्तक से मामूली रूप से मरम्मत किये गए परिवर्तकों के समायोजन के पश्चात, एचवी/एलवी कॉयल की वसूली मानक से अधिक थी।

प्रबंधन के उत्तर को इस तथ्य के आलोक में देखा जा सकता है कि एचवी/एलवी कॉइल की वापसी उनकी मूल कम्पनी अर्थात् यूपीपीसीएल द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार नहीं की गयी थी।

जले/क्षतिग्रस्त परिवर्तक से तेल की कम प्राप्ति

2.6.5.3 यूपीपीसीएल ने विद्युत कार्यशाला खण्डों द्वारा प्राप्त क्षतिग्रस्त परिवर्तकों से जले हुए तेल की प्राप्ति के लिए मानक (टैंक क्षमता का 60 प्रतिशत) निर्धारित (जून 2006) किया।

⁸¹ 72,230 किग्रा कॉपर x ₹ 400/किग्रा एवं 6,19,497 किग्रा एल्युमिनियम x ₹ 86/किग्रा।

31 मार्च 2007 को समाप्त वर्ष के लिए सीएजी की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) में, यह बताया गया था (प्रस्तर संख्या 2.3.24) कि फरवरी 2002 से मार्च 2007 के दौरान, पाँच विद्युत कार्यशाला खण्डों (ईडब्ल्यूडी) में जले हुए तेल की वापसी का प्रतिशत मानकों से कम था परिणामस्वरूप ₹ 10.78 करोड़ मूल्य के 5,631.084 केएल परिवर्तक तेल की कम प्राप्ति हुयी।

वर्तमान लेखापरीक्षा के दौरान चार डिस्कॉम्स के सभी 20 ईडब्ल्यूडी के अभिलेखों की जाँच के दौरान, यह देखा गया कि अप्रैल 2016 से मार्च 2019 के दौरान 15 ईडब्ल्यूडी में विभिन्न क्षमता के 4,94,119 क्षतिग्रस्त परिवर्तकों से जले हुए परिवर्तक के तेल की कम प्राप्ति हुयी थी, जैसा कि तालिका 2.8 में वर्णित है।

तालिका 2.8: परिवर्तक तेल की कम प्राप्ति को दर्शाने वाला विवरण

डिस्कॉम्स	ईडब्ल्यूडी की संख्या	कुल परिवर्तक	टैंक की क्षमता (लीटर में)	क्षमता का 60 प्रतिशत (लीटर में)	वापस प्राप्त तेल (लीटर में)	कम प्राप्ति (लीटर में)	औसत दर ⁸² (₹ प्रति लीटर)	परिवर्तक तेल का मूल्य कम प्राप्त हुआ (₹ करोड़ में)
एमवीवीएनएल	04	1,60,439	1,57,05,755	94,23,453	81,32,280	12,91,173	30	3.87
पूवीवीएनएल	05	1,80,616	1,67,58,185	1,00,54,911	94,94,499	5,60,412	30	1.68
डीवीवीएनएल	02	32,875	31,01,995	18,61,197	9,00,620	9,60,577	30	2.88
पीवीवीएनएल	04	1,20,189	1,57,08,920	94,25,352	87,63,625	6,61,727	30	1.99
योग	15	4,94,119	5,12,74,855	3,07,64,913	2,72,91,024	34,73,889		10.42

स्रोत: डिस्कॉम्स द्वारा प्राप्त सूचना के अनुसार

यह देखा जा सकता है कि 11 प्रतिशत तेल की कम प्राप्ति हुयी थी। जले हुए परिवर्तक तेल की कम प्राप्ति के परिणामस्वरूप डिस्कॉम्स को ₹ 10.42 करोड़ की हानि हुयी।

प्रबंधन (डिस्कॉम्स) ने उत्तर में बताया (अगस्त 2021) कि कालिक क्षय, क्षरण एवं तूफान में पोल से परिवर्तक गिरने, तेल की चोरी, स्थापित परिवर्तकों की अतिभारित एवं अति ताप आदि के कारण रेडिएटर से रिसाव तेल की कम प्राप्ति के लिए कारण है। अग्रेतर, एमवीवीएनएल ने यह भी बताया कि लेखापरीक्षा ने 2016-17 से 2018-19 के लिए ईडब्ल्यूडी-लेसा का डाटा और 2018-19 के लिए ईडब्ल्यूडी-बरेली का डाटा नहीं लिया है। एमवीवीएनएल और पूवीवीएनएल ने यह भी बताया कि कार्यशाला में शून्य तेल के साथ परिवर्तक प्राप्त करने के प्रकरण थे।

प्रबंधन का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि उनकी होल्डिंग कम्पनी द्वारा मानक सभी घटकों पर विचार करने के पश्चात निर्धारित किये गए होंगे, इसलिए, डिस्कॉम्स द्वारा न्यूनतम 60 प्रतिशत वापसी प्राप्त की जानी चाहिए थी। अग्रेतर, एमवीवीएनएल के अन्तर्गत 2016-17 से 2018-19 के लिए ईडब्ल्यूडी-लेसा और 2018-19 के लिए ईडब्ल्यूडी-बरेली के प्रकरण में वास्तविक तेल की प्राप्ति मानकों से अधिक थी। इसे शामिल नहीं किया गया था क्योंकि लेखापरीक्षा ने केवल मानकों के सापेक्ष कम प्राप्ति के प्रकरणों को इंगित किया है।

निष्कर्ष

डिस्कॉम्स द्वारा परिवर्तकों की क्रय में लेखापरीक्षा द्वारा कई कमियां देखी गयी। उत्तर प्रदेश सरकार के क्रय नियमावली एवं निविदा विशिष्टीकरण में निहित प्रावधानों का उल्लंघन किया गया, जिसके परिणामस्वरूप प्रतिस्पर्धी कीमतों को सुनिश्चित किये बिना अयोग्य फर्मों को अनुबंध प्रदान किया। परीक्षण के लिये नमूने भेजने में विफलता के कारण गुणवत्ता आश्वासन से समझौता किया गया था। विफल परिवर्तकों की संख्या मानक से काफी अधिक थी और जले हुये परिवर्तक तेल एवं एल्युमिनियम/कॉपर की वापसी निर्धारित मानकों से कम थी।

⁸² डिस्कॉम्स के दर के अनुसार।

लेखापरीक्षा प्रस्तर**दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड****2.7 डिस्ट्रीब्यूशन फ्रेंचाइजी को अनुचित लाभ**

डीवीवीएनएल ने डिस्ट्रीब्यूशन फ्रेंचाइजी (टोरेंट पॉवर लिमिटेड) से रेगुलेटरी सरचार्ज ₹ 79.90 करोड़ की कम वसूली की एवं कम वसूल की गयी धनराशि पर ₹ 29.97 करोड़ के ब्याज की हानि भी वहन की।

आगरा के शहरी क्षेत्रों में विद्युत की आपूर्ति एवं वितरण के लिए, दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (डीवीवीएनएल) ने मैसर्स टोरेंट पॉवर लिमिटेड (टीपीएल)⁸³ के साथ एक डिस्ट्रीब्यूशन फ्रेंचाइजी अनुबंध (डीएफए) (18 मई 2009) निष्पादित किया, तत्पश्चात एक पूरक डीएफए (17 मार्च 2010) निष्पादित किया।

डीएफए के अनुच्छेद-7 (बिलिंग एवं भुगतान) के अनुसार, टीपीएल से आगत ऊर्जा के लिए वसूली योग्य मासिक राजस्व, आगत ऊर्जा⁸⁴, वार्षिक आगत दर⁸⁵ एवं टैरिफ सूचकांक अनुपात (टीआईआर) को गुणा करके निकाला जाना था। टीआईआर, सम्बंधित बिलिंग अवधि के लिए औसत टैरिफ दर (एटीआर)⁸⁶ तथा आधार वर्ष 2008-09 के लिए एटीआर का अनुपात था। पूरक डीएफए के परिशिष्ट-अ के अनुसार, जैसा कि पत्रावली में और कहीं उल्लेख है के अतिरिक्त, एटीआर की गणना के लिए केवल नियत और विद्युत प्रभार को शामिल करना था एवं किसी भी अन्य प्रभार, वर्तमान एवं भविष्य दोनों, को शामिल नहीं किया जाना था।

उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (यूपीईआरसी) ने अपने द्वारा समय-समय पर निर्धारित दरों पर उपभोक्ताओं से विद्युत बिलों के माध्यम से वसूल की जाने वाली रेगुलेटरी सरचार्ज (आरएससी) लागू किया (मई 2013)। आरएससी (दो भागों में यथा आरएससी-1 एवं आरएससी-2)⁸⁷ 10 जून 2013 से 11 सितम्बर 2019 तक लागू था। आरएससी की वसूली का उद्देश्य पिछले वर्षों (2000-2001 से 2007-2008 एवं 2008-2009 से 2011-2012) में विद्युत वितरण कम्पनियों (डिस्कॉम्स) के राजस्व अंतर को पूर्ण करना था। यूपीईआरसी ने अनुज्ञप्तिधारियों⁸⁸ को उपभोक्ताओं के विद्युत बिलों में आरएससी को स्पष्ट रूप से दर्शाने और आरएससी के रूप में एकत्र की गयी धनराशि की जानकारी के लिए अपने वित्तीय और वाणिज्यिक दोनों विवरणों में पृथक लेखांकन फील्ड तैयार करने का निर्देश दिया। यह अनुज्ञप्तिधारी को आरएससी के रूप में एकत्र की गयी धनराशि को सही प्रतिवेदित करने में सक्षम करेगा।

लेखापरीक्षा ने देखा (जून 2020) कि यूपीईआरसी द्वारा आरएससी के लागू करने के परिणामस्वरूप, जैसा यूपीईआरसी द्वारा उद्देशित था, डीएफए में आरएससी की वसूली तंत्र के लिए कोई संशोधन नहीं किया गया था। यूपीईआरसी के विशिष्ट निर्देशों के बावजूद, डीवीवीएनएल ने टीपीएल से आरएससी की वसूली के लिए दो विरोधाभासी

⁸³ विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों के अन्तर्गत चयनित डिस्ट्रीब्यूशन फ्रेंचाइजी।

⁸⁴ आगत ऊर्जा का अर्थ उन सभी आगत बिन्दु के माध्यम से आपूर्ति की गयी ऊर्जा का कुल योग है जो फ्रेंचाइज़ क्षेत्र को ऊर्जा प्रदान कर सकता है।

⁸⁵ आगत दर का अर्थ डीएफए के परिशिष्ट-4 में बोलीदाता के वित्तीय प्रस्ताव में उद्धृत डीवीवीएनएल द्वारा आगत बिन्दुओं पर आपूर्ति प्रति यूनिट रुपये।

⁸⁶ प्रत्येक उपभोक्ता श्रेणी के अनुमोदित टैरिफ एवं उनके कुल बिल किये गए यूनिटों के गुणांक को सभी श्रेणी के उपभोक्ताओं को किये गये बिल यूनिटों द्वारा विभाजित करके एटीआर की गणना की जाती है।

⁸⁷ आरएससी-1, 10 जून 2013 से 18 अप्रैल 2016 तक एवं आरएससी-2, 12 अक्टूबर 2014 से 11 सितम्बर 2019 तक।

⁸⁸ डीवीवीएनएल, एमवीवीएनएल, पीवीवीएनएल एवं पूवीवीएनएल।

प्रणाली यथा तदर्थ आधार⁸⁹ से एवं टीआईआर प्रक्रिया को अपनाय। डीवीवीएनएल ने जून 2013 से अप्रैल 2015 की अवधि के दौरान बिना टीआईआर प्रक्रिया के माध्यम से प्रत्यक्ष रूप से आरएससी-1 की वसूली की, जबकि मई 2015 से मई 2016 और अक्टूबर 2014 से सितम्बर 2019 की अवधि के लिए क्रमशः आरएससी-1 एवं आरएससी-2 की वसूली टीआईआर प्रक्रिया के माध्यम से की। लेखापरीक्षा ने देखा कि टीपीएल द्वारा अपने उपभोक्ताओं से वसूल की गयी आरएससी के सापेक्ष डीवीवीएनएल ने टीपीएल से ₹ 79.90 करोड़ की कम वसूली की थी, जैसा कि **परिशिष्ट-2.16** एवं **परिशिष्ट-2.17** में वर्णित है एवं **तालिका 2.10** में सारांशित किया गया है।

तालिका 2.10: जून 2013 से सितम्बर 2019 की अवधि के लिए आरएससी की वसूली

विवरण	(धनराशि ₹ करोड़ में)			
	टीपीएल द्वारा बिल की गयी आरएससी	टीपीएल द्वारा अर्जित आरएससी	डीवीवीएनएल द्वारा आरएससी की वसूली	संग्रह के सापेक्ष आरएससी की कम वसूली
प्रत्यक्ष रूप से (टीआईआर प्रक्रिया के बिना)	43.21	39.93	34.76	5.17 (13 प्रतिशत)
टीआईआर प्रक्रिया के माध्यम से	251.64	245.35	170.62	74.73 (30 प्रतिशत)
योग	294.85	285.28	205.38	79.90 (28 प्रतिशत)

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि टीपीएल द्वारा एकत्रित आरएससी के सापेक्ष टीपीएल से प्रत्यक्ष रूप से आरएससी की वसूली 87 प्रतिशत थी एवं टीआईआर प्रक्रिया के माध्यम से यह घटकर 70 प्रतिशत हो गयी (कुल मिलाकर 72 प्रतिशत)। इस सम्बंध में, यह उल्लेख करना भी प्रासंगिक है कि डीवीवीएनएल के परियोजना अनुश्रवण परामर्शदाता (पीएमसी)⁹⁰ ने भी बार-बार प्रतिवेदित किया कि आरएससी को डीवीवीएनएल की ओर से बिल और संग्रहित किया गया था, इसलिए, टीपीएल द्वारा आरएससी के सापेक्ष संग्रहित की गयी सम्पूर्ण धनराशि को डीवीवीएनएल को अग्रेतर लेखांकन करने एवं यूपीईआरसी के अनुपालन में प्रतिवेदित करने के लिए स्थानांतरित करने की आवश्यकता थी।

अग्रेतर, डीवीवीएनएल (कम्पनी के प्रबंध निदेशक सहित) एवं टीपीएल के मध्य आयोजित एक बैठक (21 जून 2017) में यह निर्णय लिया गया था कि एटीआर/टीआईआर में आरएससी (1 एवं 2) के समावेश/बहिष्करण की जाँच सक्षम प्राधिकारी द्वारा की जाएगी एवं सक्षम प्राधिकारी के निर्णय को सम्बंधित पक्षों को सूचित किया जाएगा। हालाँकि, पीएमसी द्वारा स्पष्ट सलाह और यूपीईआरसी के निर्देशों के बावजूद, डीवीवीएनएल के वित्तीय हितों को सुरक्षित करने के लिए कोई निर्णय नहीं लिया गया था। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि डीवीवीएनएल ने टीपीएल को अनुचित लाभ विस्तारित किया और इस तरह आरएससी की कम वसूली की, जो डीवीवीएनएल के वित्तीय हित के लिए हानिकारक था क्योंकि वह नकदी की कमी का सामना कर रहा था और ऋण के माध्यम से अपनी कार्यशील पूँजी की आवश्यकताओं को पूर्ण कर रहा था।

परिणामस्वरूप, डीवीवीएनएल ने जून 2013 से सितम्बर 2019 अवधि के लिए आरएससी की ₹ 79.90 करोड़ की कम वसूली की एवं कम वसूल की गयी धनराशि पर ₹ 29.97 करोड़⁹¹ के ब्याज की हानि भी वहन की (**परिशिष्ट-2.16**)।

प्रबंधन ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार करते हुए बताया (मार्च 2021) कि टीपीएल को आरएससी की बकाया मूल धनराशि (₹ 80.29 करोड़) का भुगतान 15 दिनों के अन्दर करने के लिए पहले ही (29 जनवरी 2021) बिल सह नोटिस जारी किया जा

⁸⁹ टीआईआर प्रक्रिया में रेगुलेटरी सरचार्ज को शामिल किये बिना इसकी वसूली।

⁹⁰ क्रिसिल रिस्क एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सॉल्यूशंस लिमिटेड और फीडबैक इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड।

⁹¹ टीपीएल से आरएससी की वसूली न की गयी धनराशि पर जून 2013 से दिसम्बर 2020 की अवधि के लिए 10.75 प्रतिशत प्रति वर्ष (डीवीवीएनएल द्वारा लिए गए कार्यशील पूँजी ऋण पर लागू दर) की दर से आगणित।

चुका है। अग्रेतर प्रबंधन ने बताया कि, जैसा कि लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किया गया था, फरवरी 2021 तक मूल धनराशि पर ₹ 31.55 करोड़ का ब्याज भी संशोधित बीजक में शामिल किया गया है और इसे टीपीएल को निर्गत किया (01 मार्च 2021) गया।

ब्याज सहित आरएससी की बकाया धनराशि की वसूली प्रतीक्षित है (मार्च 2021)। अग्रेतर, यूपीईआरसी के निर्देशों के उल्लंघन में टीपीएल द्वारा बिल एवं एकत्र किये गए आरएससी को टीआईआर प्रक्रिया के माध्यम से वसूली करना डीवीएनएल के सम्बंधित अधिकारी (अधिकारियों) की ओर से एक गम्भीर चूक थी। अतः आरएससी की शेष धनराशि टीपीएल से ब्याज सहित वसूली के अतिरिक्त, डीवीवीएनएल के चूककर्ता अधिकारी (अधिकारियों) पर भी जिम्मेदारी तय की जा सकती है।

प्रकरण सरकार को प्रतिवेदित किया गया (फरवरी 2021)। उत्तर अभी भी प्रतीक्षित है (नवम्बर 2021)।

2.8 मूल्य विचलन के गलत निर्धारण के कारण अधिक भुगतान

डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर्स के विस्तारित आपूर्ति अवधि के लिए सही मूल्य विचलन का निर्धारण करने में कम्पनी की विफलता के कारण आपूर्तिकर्ताओं को ₹ 2.03 करोड़ का अधिक भुगतान हुआ।

दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, आगरा (कम्पनी) ने सात निविदाओं⁹² के सापेक्ष, 16 केवीए से 10 एमवीए के विभिन्न क्षमताओं के 23,280⁹³ डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर्स (डीटी) की आपूर्ति के लिए 18 क्रयादेश (पीओ) निर्गत (अगस्त 2016 से सितम्बर 2018) किये।

आपूर्तिकर्ताओं को जारी किये गए पीओ के क्लॉज 21 के साथ पठित फॉर्म बी (सामान्य शर्तों) का क्लॉज 26 प्रावधानित करता है कि आपूर्ति में हड़ताल, तालाबंदी, आग, दुर्घटना, दोषपूर्ण सामग्री, ड्राइंग के अनुमोदन में देरी या आपूर्तिकर्ता के यथोचित नियंत्रण से परे किसी भी कारण से आपूर्ति में देरी पर समय का एक उचित विस्तार दिया जायेगा।

उपर्युक्त पीओ के क्लॉज 2.0 में प्रावधान है कि अनुबंध की वैधता अवधि के दौरान इंडियन इलेक्ट्रिकल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन (आईईईएमए) के मूल्य विचलन (पीवी) फॉर्मूला के अनुसार एक्स-वर्क्स मूल्य⁹⁴ परिवर्तनशील होंगे। मूल्य विचलन (पीवी) की गणना सम्बंधित पीओ में उल्लिखित आधार तिथि के एक्स-वर्क्स मूल्य के संदर्भ में की जाएगी। इसके अतिरिक्त, कम्पनी द्वारा पीवी की गणना के लिए आपूर्तिकर्ताओं को सूचित करने वाले निर्गत पत्रों के अनुसार, संशोधित आपूर्ति अवधि के प्रकरण में, पीवी को निम्नलिखित तीन तिथियों पर निर्धारित किये गए अद्यतन एक्स-वर्क्स मूल्यों में से न्यूनतम पर सुनिश्चित किया जाना था:

(अ) सामग्री का निरीक्षण करने के लिए आपूर्तिकर्ता द्वारा दिये गए प्रस्ताव की तिथि।

(ब) मूल्य विचलन के उद्देश्य के लिए संविदात्मक आपूर्ति अवधि।

(स) संशोधित आपूर्ति अवधि।

आपूर्तिकर्ताओं को बताया गया था कि वे पत्र में उल्लिखित पीवी के अनुसार कम्पनी को अपने बिलों के भुगतान के लिए प्रस्तुत करें।

⁹² निविदा विशिष्टीकरण 1945/2016, 1946/2016, 1947/2016, 1948/2016, 1949/2016, 2092/2017 एवं 2197/2018।

⁹³ 16 केवीए के 149 डीटी, 25 केवीए के 19,820 डीटी, 63 केवीए के 1,010 डीटी, 100 केवीए के 2,216 डीटी एवं 10 एमवीए के 85 डीटी।

⁹⁴ एक्स-वर्क्स मूल्य फ़ैक्टरी मूल्य है एवं इसमें पैकेजिंग, भाड़ा एवं बीमा शुल्क सम्मिलित नहीं है।

लेखापरीक्षा ने देखा (सितम्बर 2019) कि कम्पनी के सामग्री प्रबंधन (एमएम) विंग द्वारा 18 पीओ के सापेक्ष 15 आपूर्तिकर्ताओं⁹⁵ से क्रय किये गए 23,280 डीटी में से 18,471 डीटी⁹⁶ के सम्बंध में वास्तविक आपूर्ति अवधि में संशोधन किया गया था। लेकिन, एमएम विंग ने उपर्युक्त तीन मानदण्डों⁹⁷ के आधार पर अद्यतन किये गये एक्स-वर्क्स मूल्यां के न्यूनतम पर आपूर्तिकर्ताओं को देय सही पीवी को सुनिश्चित नहीं किया।

उपर्युक्त तीन मानदण्डों के आधार पर लेखापरीक्षा द्वारा गणना किये गए डीटी के अद्यतन एक्स-वर्क्स मूल्य से पता चला कि एमएम विंग, 18 पीओ के सापेक्ष क्रय किये गए 15,742 डीटी के सम्बंध में 171 दावों के मामले में उचित पीवी की गणना करने में विफल रहा। इसके परिणामस्वरूप, आपूर्तिकर्ताओं को ₹ 2.03 करोड़ का अधिक भुगतान हुआ जैसा कि परिशिष्ट-2.18 में वर्णित है।

प्रबंधन ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार करते हुए बताया (जून 2021) कि संशोधित आपूर्ति अवधि के प्रकरण में, पीवी के निर्धारण के सम्बंध में शर्त का उल्लेख निविदा दस्तावेजों और आपूर्तिकर्ता के साथ किये गए अनुबंधों में नहीं किया गया था। हालाँकि, डिस्कॉम के हित में प्रचलित प्रथा के अनुसार उपर्युक्त शर्त का उल्लेख केवल पीवी की गणना करते समय आपूर्तिकर्ताओं को निर्गत किये गए पत्रों में किया गया था। सभी पीवी की पुनर्गणना की गयी है और अतिरिक्त भुगतान ₹ 2.03 करोड़ आता है। जिसमें से 11 पीओ के सापेक्ष आठ आपूर्तिकर्ताओं के लम्बित बिलों से ₹ 1.31 करोड़ की राशि समायोजित की गयी है और सात पीओ के सापेक्ष सात आपूर्तिकर्ताओं को ₹ 0.72 करोड़ की शेष राशि की वसूली के लिए नोटिस जारी किये गए हैं। जैसे ही अधिक भुगतान की वसूली हो जाती है, इसकी सूचना लेखापरीक्षा को दी जाएगी।

प्रकरण सरकार को प्रतिवेदित किया गया (फरवरी 2021)। उत्तर अभी भी प्रतीक्षित है (नवम्बर 2021)।

2.9 एसएमसी बॉक्सों की औचित्यहीन क्रय

दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड द्वारा शीट मोल्डिंग कम्पाउंड (एसएमसी) बॉक्सों की आवश्यकता से अधिक आंकलन के कारण ₹ 7.86 करोड़ मूल्य का औचित्यहीन क्रय किया गया, साथ ही ₹ 2.12 करोड़ की ब्याज की परिणामी हानि हुयी।

क्रय के सामान्य सिद्धांतों के अनुसार, किसी भी सामग्री की क्रय की शुरुआत करने से पहले आवश्यकताओं का वास्तविक आंकलन किया जाना चाहिए। इस सम्बंध में, उत्तर प्रदेश प्रोक्योरमेण्ट मैनुअल (प्रोक्योरमेण्ट ऑफ गुड्स) 2016 के प्रस्तर 7.3 के साथ पठित प्रस्तर 7.2 भी उपर्युक्त आशय को संदर्भित करता है कि एक क्रय अधिकारी, जिसे सार्वजनिक सेवा के लिए सामग्री क्रय करना है, को एक वर्ष के लिए आवश्यकताओं का अनुमान लगाना चाहिए, जिसका पूर्वाभास किया जा सकता है। किसी भी अतिरिक्त क्रय में सार्वजनिक धन का अवरुद्ध होना शामिल है और इसलिए यह वांछनीय नहीं है।

लेखापरीक्षा ने देखा (जनवरी 2020) कि दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (डीवीवीएनएल) के सामग्री प्रबंधन (एमएम) विंग ने वर्ष 2016-17 की आवश्यकता की पूर्ति के लिए ₹ 10.53 करोड़ की लागत से विभिन्न प्रकार के 48,875 शीट मोल्डिंग कम्पाउंड (एसएमसी) बॉक्सों को क्रय किया। इन्हें पहली बार डीवीवीएनएल द्वारा सीधे

⁹⁵ तीन आपूर्तिकर्ताओं {मैसर्स स्वास्तिक कॉपर (पी) लिमिटेड, जयपुर (दो पीओ), मैसर्स मार्सन एनर्जी प्रा. लिमिटेड, जयपुर (दो पीओ), मैसर्स पी.पी. इण्डस्ट्रीज प्रा. लिमिटेड, पंजाब (दो पीओ)} को छः पीओ एवं शेष 12 पीओ 12 आपूर्तिकर्ताओं को प्रदान किये गए।

⁹⁶ 16 केवीए के 149 डीटी, 25 केवीए के 15,016 डीटी, 63 केवीए के 1,010 डीटी, 100 केवीए के 2,216 डीटी एवं 10 एमवीए के 80 डीटी।

⁹⁷ सामग्री का निरीक्षण करने के लिए आपूर्तिकर्ता द्वारा दिये गए प्रस्ताव की तिथि, संविदात्मक आपूर्ति अवधि की तिथि और संशोधित आपूर्ति अवधि की तिथि।

क्रय⁹⁸ किया जा रहा था, यद्यपि टर्नकी ठेकेदारों द्वारा विभिन्न योजनाओं के तहत इन एसएमसी बॉक्सों को स्थापित किया जाता था। जनवरी 2021 तक इन एसएमसी बॉक्सों के उपयोग की स्थिति नीचे तालिका 2.11 में दी गयी है।

तालिका 2.11: जनवरी 2021 तक एसएमसी बॉक्सों के उपयोग की स्थिति

एलटी डिस्ट्रीब्यूशन एसएमसी बॉक्स के प्रकार	निविदा संख्या	वास्तविक क्रय (संख्या)	प्रति एसएमसी बॉक्स दर (₹ में)	क्रय का कुल मूल्य (₹ करोड़ में)	एसएमसी बॉक्स की आपूर्ति अवधि	उपयोग किये गये एसएमसी बॉक्स		उपयोग नहीं किये गए एसएमसी बॉक्स		उपयोग नहीं किये गए एसएमसी बॉक्सों का कुल मूल्य (₹ करोड़ में)
						उपयोग की अवधि	संख्या	संख्या	प्रतिशत	
सिंगल फेज एबीसी ⁹⁹ के लिए	एमएम-1565-2015 एवं 2012-2016	32,275	1,481	4.78	जून 2016 से दिसम्बर 2016	मार्च 2017 से जनवरी 2021	10,265	22,010	68.00	3.26
श्री फेज एबीसी के लिए	एमएम-2013-2016	6,600	2,295	1.51	अक्टूबर 2016 से जनवरी 2018	अक्टूबर 2016 से सितम्बर 2020	4,970	1,630	24.70	0.37
10 एवं 16 केवीए परिवर्तक के लिए	एमएम-2014-2016	10,000	4,239	4.24	अक्टूबर 2016 से फरवरी 2017	सितम्बर 2018	30	9,970	99.70	4.23
योग		48,875		10.53			15,265	33,610	69	7.86

तालिका से स्पष्ट है कि 24 जून 2016 से 11 जनवरी 2018¹⁰⁰ के दौरान क्रय किये गए 48,875 बॉक्सों में से ₹ 7.86 करोड़ मूल्य के 33,610 एसएमसी बॉक्स (69 प्रतिशत) की अंतिम आपूर्ति (जनवरी 2018) से तीन वर्षों की अवधि तक अनुपयोग रहे। लेखापरीक्षा द्वारा विश्लेषण किये गए इन एसएमसी बॉक्सों का उपयोग न करने के कारण कम्पनी के वितरण जोनो¹⁰¹ के मुख्य अभियंताओं द्वारा आवश्यकता से अधिक आंकलन थे। अग्रेतर, डीवीवीएनएल के एमएम विंग द्वारा, वितरण जोनो के उपरोक्त मुख्य अभियंताओं द्वारा सूचित आवश्यकताओं पर विश्वास करते हुए, उनकी आवश्यकता की तर्कसंगतता सुनिश्चित किये बिना उपरोक्त एसएमसी बॉक्स क्रय किये।

इसके अतिरिक्त, जैसा कि निविदा विशिष्टीकरण में दिया गया है कि अनुरक्षण की अवधि एसएमसी बॉक्सों की स्थापना से लेकर 12 माह या साइट पर क्रेता द्वारा सामग्री प्राप्त करने की तिथि से 18 माह, जो भी पहले हो, भी अंतिम आपूर्ति (जनवरी 2018) के पश्चात जुलाई 2019 में समाप्त हो गयी। इसलिए, जुलाई 2019 के पश्चात अनुपयोगी पड़े हुए एसएमसी बॉक्सों में कमियाँ यदि कोई पायी गयी, को दूर करने के लिये फर्म की कोई कानूनी बाध्यता नहीं होगी।

⁹⁸ 2015-16 की आवश्यकताओं के सापेक्ष एबीसी केबल के लिए 8,550 एसएमसी सिंगल फेज एलटी डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स क्रय किये गए थे।

⁹⁹ एरियल बंच कंडक्टर।

¹⁰⁰ 24 जून 2016 से 03 फरवरी 2017 के दौरान 47,975 एसएमसी बॉक्स प्राप्त हुए और 11 जनवरी 2018 को केवल 900 एसएमसी बॉक्स प्राप्त हुए।

¹⁰¹ आगरा जोन, अलीगढ़ जोन, झांसी जोन, कानपुर जोन एवं बांदा जोन।

इस प्रकार, आवश्यकता से अधिक आंकलन के कारण ₹ 7.86 करोड़ मूल्य के 33,610 एसएमसी बॉक्सों की औचित्य रहित क्रय हुयी जो पिछले तीन वर्षों से अनुपयोगी रही। इससे ₹ 2.12 करोड़¹⁰² के ब्याज की परिणामी हानि भी हुयी।

प्रबंधन ने बताया (दिसम्बर 2020) कि अनुपयोगी एसएमसी बॉक्स विभिन्न योजनाओं यथा आरजीजीवीवाई, डीडीयूजीजेवाई, आईपीडीएस आदि एवं व्यवसाय योजना के तहत कुल स्थापित 9,84,854 एसएमसी बॉक्सों¹⁰³ का केवल 3.47 प्रतिशत थे। इन बॉक्सों का भण्डारण स्थापित बॉक्सों के प्रतिस्थापन/अनुरक्षण के लिए आवश्यक था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि लेखापरीक्षा द्वारा इंगित 48,875 एसएमसी बॉक्स (इसमें टर्नकी ठेकेदारों द्वारा क्रय किये गए बॉक्स शामिल नहीं किया गया) विशेष रूप से निजी ट्यूबवेल, राज्य ट्यूबवेल, संसद सदस्य/विधान सभा के सदस्य निधि, व्यवसाय योजना, आदि एवं विद्युत की चोरी की रोकथाम के उद्देश्य के लिए वर्ष 2016-17 की आवश्यकता को पूरा करने के लिए डीवीवीएनएल द्वारा किये गए थे। जनवरी 2018 में की गयी अंतिम आपूर्ति से तीन वर्ष व्यतीत हो जाने के पश्चात भी उपरोक्त बॉक्सों में से 69 प्रतिशत का उपयोग नहीं करना लेखापरीक्षा तर्क की पुष्टि करता है क्योंकि 9,84,264 एसएमसी बॉक्सों में टर्नकी अनुबंधों के तहत क्रय किये गए 9,69,619 बॉक्स शामिल हैं जो इन निविदाओं का हिस्सा नहीं थे।

प्रकरण सरकार को प्रतिवेदित किया (मई 2021) गया। उत्तर अभी भी प्रतीक्षित (नवम्बर 2021) है।

मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

2.10 सामग्री का औचित्यहीन क्रय

मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड द्वारा आवश्यकता के आंकलन में स्वेच्छाचारिता के कारण ₹ 7.25 करोड़ मूल्य के ट्रांसफार्मर प्रोटेक्शन बॉक्सों का औचित्यहीन क्रय हुआ जो चार वर्षों से अधिक समय के लिए अनुपयोगी रहा।

प्रस्तर 2.9 में उल्लिखित क्रय के सामान्य सिद्धांतों की ओर ध्यान संदर्भित किया जाता है जो वर्णित करता है कि, किसी भी सामग्री का क्रय शुरू करने से पहले आवश्यकताओं का वास्तविक आंकलन किया जाना चाहिए।

लेखापरीक्षा ने देखा (जुलाई/अक्टूबर 2019) कि मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (एमवीवीएनएल) ने मैसर्स सिंटेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड, कलोल, गुजरात (फर्म) के साथ किये गए (जून 2016) अनुबंध के सापेक्ष ₹ 7.70 करोड़ मूल्य के 875 ट्रांसफार्मर प्रोटेक्शन बॉक्सों (टीपीबी)¹⁰⁴ की आपूर्ति प्राप्त की (जुलाई 2016)। ये टीपीबी एमवीवीएनएल के लखनऊ विद्युत आपूर्ति प्रशासन (लेसा) के क्षेत्र में विभिन्न क्षमताओं¹⁰⁵ के परिवर्तकों पर स्थापित करने के लिए अभीष्ट थे। टीपीबी की क्रय एवं उपयोग का विवरण नीचे तालिका 2.12 में दिया गया है।

¹⁰² जनवरी 2018 से दिसम्बर 2020 की अवधि के लिए 9.00 प्रतिशत प्रति वर्ष (डीवीवीएनएल द्वारा लिए गए पीएफसी ऋण पर लागू दर) की दर से आगणित।

¹⁰³ प्रबंधन द्वारा दिसम्बर 2020 तक 34,200 एसएमसी बॉक्स उपलब्ध होने की बात कही गयी थी। हालाँकि, लेखापरीक्षा को प्रस्तुत किये (सितम्बर 2021) गए दस्तावेज के अनुसार, जनवरी 2021 तक 33,610 एसएमसी बॉक्स अनुपयोग रहे थे।

¹⁰⁴ टीपीबी अच्छी यांत्रिक शक्ति वाले संक्षरणरोधी, धूल रोधक, जंग रोधक, कीट एवं जल रोधक, अल्ट्रा वायलेट स्टेबलाइज्ड एवं ज्वाला मंदक, हाई ग्रेड शीट मोल्डिंग कम्पाउंड (एसएमसी) बॉक्स से बने परिवर्तकों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए होते हैं।

¹⁰⁵ 100 केवीए, 160 केवीए, 250 केवीए और 400 केवीए।

तालिका 2.12: टीपीबी की क्रय एवं उपयोग का विवरण

टीपीबी के प्रकार	क्रय (संख्या)	मूल्य (₹ करोड़ में)	लेसा स्टोर से जारी किये गए		स्थापित/उपयोग किये गए	
			संख्या	अवधि	संख्या	अवधि
100 केवीए	25	0.10	23	सितम्बर 2019 से सितम्बर 2020	20	अगस्त 2020 से
160 केवीए	150	0.76	149		10	
250 केवीए	450	2.62	440		49	नवम्बर 2020 से
400 केवीए	250	4.22	225		2	
योग	875	7.70	837		81	

जैसा कि तालिका से देखा जा सकता है, 875 टीपीबी लेसा स्टोर में प्राप्त किये गए थे एवं इनमें से 837 (96 प्रतिशत), 16 वितरण डिवीजनों को तीन से चार वर्षों की अवधि के पश्चात जारी किये गए थे। अग्रेतर, नवम्बर 2020 तक केवल 81 टीपीबी का उपयोग/स्थापित किया जा सका। इस प्रकार, ₹ 7.25 करोड़¹⁰⁶ मूल्य के 794 टीपीबी (875 टीपीबी- 81 टीपीबी) (91 प्रतिशत) चार वर्ष से अधिक व्यतीत हो जाने के पश्चात भी भण्डारों/मण्डलों में अनुपयोगी पड़े थे।

टीपीबी का उपयोग न करने का कारण, जैसा कि लेखापरीक्षा में देखा गया, अन्य वितरण मण्डलों और उपयोगकर्ता वितरण खण्डों के किसी इंडेंट, विश्लेषण एवं प्रतिक्रिया के बिना, अधीक्षण अभियंता (एसई), विद्युत नगरीय वितरण मण्डल-VI; एसई, विद्युत वितरण मण्डल-IV एवं मुख्य अभियंता, लेसा द्वारा 3,500 टीपीबी की आवश्यकता का अतिशयोक्तिपूर्ण आंकलन (दिसम्बर 2015) था। हालाँकि, प्रबंध निदेशक के अनुमोदन के आधार पर 875 टीपीबी (25 प्रतिशत) की कम किये गए मात्रा के लिए एमवीवीएनएल द्वारा क्रय प्रक्रिया की गयी थी। अग्रेतर, तीन से चार वर्षों की अवधि के पश्चात लेसा स्टोर से 16 वितरण खण्डों को 96 प्रतिशत टीपीबी जारी करना और केवल नौ प्रतिशत टीपीबी का उपयोग/स्थापित करना, वह भी लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने के पश्चात, पुष्टि करता है कि प्रारम्भिक चरण में किये गए क्रय आवश्यकताओं से अधिक था।

अग्रेतर, जैसा कि अनुबंध में प्रावधान किया गया है कि क्रेता द्वारा साइट पर इसकी प्राप्ति की तिथि अर्थात जुलाई 2016 से सामग्री की मुफ्त मरम्मत/प्रतिस्थापन के लिए 42 माह की वारण्टी जनवरी 2020 में समाप्त हो गयी। इसलिए, फर्म पर दोषों, को दूर करने के लिए कोई कानूनी बाध्यता नहीं होगी, यदि कोई दोष जनवरी 2020 के पश्चात अनुपयोगी पड़े टीपीबी में मिलेंगे।

इस प्रकार, आवश्यकता के आंकलन में स्वेच्छाचारिता के कारण टीपीबी का औचित्यहीन क्रय हुआ, जिसके परिणामस्वरूप 794 टीपीबी का उपयोग नहीं किया गया, साथ में ₹ 7.25 करोड़ की धनराशि अवरुद्ध हो गयी और एमवीवीएनएल को ₹ 3.07 करोड़¹⁰⁷ के ब्याज की परिणामी हानि हुयी, जो आरम्भ (जुलाई 2003) से ही हानि में चल रहा है।

प्रबंधन ने बताया (सितम्बर/दिसम्बर 2020) कि स्टोर में तीन प्रतिशत रखने के पश्चात 97 प्रतिशत बॉक्सों को निर्गत किया गया था। इसके अतिरिक्त, ट्रांसफार्मर प्रोटेक्शन बॉक्स लगाने के कारण मरम्मत लागत में ₹ 15.65 लाख की बचत के साथ क्षतिग्रस्त परिवर्तकों की संख्या में 2019-20 की तुलना में वर्ष 2020-21 में 167 की कमी हुयी।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि क्रय किये गए टीपीबी तीन से चार वर्ष व्यतीत हो जाने के पश्चात, लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने के बाद, निर्गत किये गए थे एवं

¹⁰⁶ ₹ 0.02 करोड़ मूल्य के 05 टीपीबी 100 केवीए के, ₹ 0.71 करोड़ मूल्य के 140 टीपीबी 160 केवीए के, ₹ 2.33 करोड़ मूल्य के 401 टीपीबी 250 केवीए के एवं ₹ 4.19 करोड़ मूल्य के 140 टीपीबी 160 केवीए के।

¹⁰⁷ ₹ 7.25 करोड़ मूल्य के अनुपयोगी टीपीबी पर अगस्त 2016 से दिसम्बर 2020 (चार वर्ष और पाँच माह) की अवधि के लिए 9.60 प्रतिशत प्रति वर्ष (एमवीवीएनएल द्वारा लिए गए पीएफसी ऋण पर लागू दर) की दर से आगणित।

नवम्बर 2020 तक 875 टीपीबी में से केवल 81 स्थापित किये गए थे। अग्रेतर, 167 परिवर्तक की क्षति में कमी एवं 2020-21 के दौरान मरम्मत लागत में बचत, जैसा कि प्रबंधन द्वारा उत्तर दिया गया था, टीपीबी के कारण नहीं हो सकता क्योंकि 167 वर्षवार आधार पर स्थापित समग्र परिवर्तकों (बिना प्रोटेक्शन बॉक्स वाले परिवर्तक सहित) के क्षतिग्रस्त में कमी को दर्शाता है। इस प्रकार, यह टीपीबी की स्थापना के कारण परिवर्तकों की क्षति में कमी पर कोई विश्लेषण प्रदान नहीं करता है। अग्रेतर, यह चार वर्ष से अधिक की अवधि के लिए टीपीबी के उपयोग में विफलता को उचित नहीं ठहराता है। आवश्यकता के बिना क्रय, सम्बंधित अधिकारी (यों) द्वारा सम्यक सतर्कता की कमी को दर्शाता है जिसके परिणामस्वरूप ₹ 7.25 करोड़ का निष्क्रिय व्यय हुआ।

सरकार आवश्यकता के स्वेच्छाचारी आंकलन में शामिल अधिकारियों पर जिम्मेदारी तय करने पर विचार कर सकती है, जिसके कारण चार वर्ष से अधिक की अवधि के पश्चात भी टीपीबी का उपयोग नहीं किया गया।

प्रकरण सरकार को प्रतिवेदित किया गया (अप्रैल 2021)। उत्तर अभी भी प्रतीक्षित है (नवम्बर 2021)।

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड

2.11 ब्याज का परिहार्य भुगतान और आनुषंगिक हानि

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड द्वारा कर योग्य लाभ के गलत अनुमान के कारण ₹ 6.41 करोड़ के ब्याज का परिहार्य भुगतान के साथ कम्पनी को उसी सीमा तक आनुषंगिक हानि हुयी।

आयकर अधिनियम, 1961 (अधिनियम) की धारा 210 (1) में प्रावधान है कि प्रत्येक व्यक्ति जो धारा 208 के तहत अग्रिम कर का भुगतान करने के लिये उत्तरदायी है, वह स्वेच्छा से, धारा 211 में निर्दिष्ट प्रत्येक देय तिथि¹⁰⁸ को या उससे पहले उस धारा में निर्दिष्ट उपयुक्त प्रतिशत¹⁰⁹ के आधार पर, अपनी वर्तमान आय पर अग्रिम कर का भुगतान करेगा। अग्रेतर, अधिनियम की धारा 234 बी/सी के अनुसार, अग्रिम कर के भुगतान में चूक/स्थगित करने पर अगले वित्तीय वर्ष के अप्रैल के प्रथम दिन से कुल आय के निर्धारण की तिथि या नियमित निर्धारण की तिथि तक, निर्धारित कर के समतुल्य धनराशि पर या वह धनराशि जिसके द्वारा अग्रिम कर का भुगतान निर्धारित कर से कम होता है, पर प्रत्येक माह या माह के भाग के लिए एक प्रतिशत की दर से साधारण ब्याज का भुगतान करना पड़ता है।

उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (जनरेशन टैरिफ के नियम और शर्तों) विनियम 2014 के क्लॉज 9 (1) में वर्णित है कि उत्पादन कम्पनी के मुख्य व्यवसाय से आय के स्रोतों पर कर की गणना एक व्यय के रूप में की जाएगी और लाभार्थियों से इसे वसूल करने की अनुमति होगी।

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (यूपीआरवीयूएनएल) का मुख्य व्यवसाय विद्युत उत्पादन एवं उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (यूपीपीसीएल) को वृहत विक्रय है। वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए, यूपीआरवीयूएनएल ने प्रथम तीन तिमाहियों में हानि का अनुमान और वित्तीय वर्ष की चौथी तिमाही में ₹ 80.16 करोड़ के लाभ का अनुमान लगाया था। कम्पनी ने उपरोक्त अनुमानित लाभ पर ₹ 15.00 करोड़ के अग्रिम कर का भुगतान किया (14 मार्च 2016)। वर्ष 2015-16 के आयकर रिटर्न (12 अक्टूबर 2016) के अनुसार, लाभ और कर देयता क्रमशः ₹ 360.75 करोड़ और ₹ 76.99 करोड़ था। यूपीआरवीयूएनएल द्वारा जून 2016 से सितम्बर 2016 के दौरान

¹⁰⁸ 15 जून, 15 सितम्बर, 15 दिसम्बर एवं 15 मार्च।

¹⁰⁹ 15 प्रतिशत, 45 प्रतिशत, 75 प्रतिशत एवं 100 प्रतिशत।

₹ 6.41 करोड़¹¹⁰ के ब्याज के साथ ₹ 61.03 करोड़ (₹ 76.99 करोड़ - ₹ 15.00 करोड़ - ₹ 0.96 करोड़¹¹¹) की शेष कर देयता का भुगतान किया गया। अग्रेतर, यूपीआरवीयूएनएल ने आयकर देयता सहित विभिन्न वैधानिक देय धनराशियों के भुगतान के लिए यूपीपीसीएल को एक बिल प्रस्तुत किया (31 अगस्त 2017)। यूपीपीसीएल ने आयकर के विलंबित भुगतान पर ब्याज अंश से सहमत हुए बिना देय वैधानिक धनराशि को सत्यापित किया (05 अक्टूबर 2017)।

लेखापरीक्षा ने देखा (दिसम्बर 2018) कि उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (यूपीईआरसी) में दायर की गयी (06 जुलाई 2015) अंतिम ट्रू-अप पीटीशन¹¹² (2011-12 से 2013-14) के ₹ 215.87 करोड़ से लाभ कम करने वाले प्रभाव को घटाने के पश्चात वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिये ₹ 80.16 करोड़ के अनुमानित लाभ की गणना की गयी थी। अग्रेतर, ₹ 360.75 करोड़ का कर योग्य लाभ, यूपीईआरसी द्वारा निर्गत किये गए (29 अप्रैल 2016) टैरिफ आदेश¹¹³ के प्रभाव के कारण ₹ 80.16 करोड़ के अनुमानित लाभ में 350 प्रतिशत की वृद्धि हुयी। यह इंगित करता है कि लाभ का आंकलन करते समय, यूपीआरवीयूएनएल ने ट्रू-अप पीटीशन दायर करने की उसी तिथि (06 जुलाई 2015) को यूपीईआरसी में दायर किये गए टैरिफ पीटीशन¹¹⁴ के संभावित लाभ वृद्धि के प्रभाव को ध्यान में नहीं रखा था। इस प्रकार, वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिये लाभ का यूपीआरवीयूएनएल द्वारा गलत अनुमान लगाया गया था, जिसके कारण देय तिथियों तक अग्रिम कर के भुगतान में स्थगन एवं चूक हुयी और ₹ 6.41 करोड़ के परिहार्य ब्याज का भुगतान हुआ। अग्रेतर, यूपीआरवीयूएनएल को भी इस सीमा तक हानि हुई क्योंकि यूपीपीसीएल द्वारा इस धनराशि की प्रतिपूर्ति के लिए दावा स्वीकार नहीं किया गया।

प्रबंधन ने बताया (जुलाई 2021) कि यूपीईआरसी द्वारा टैरिफ आदेश निर्गत (29 अप्रैल 2016) करने के पश्चात, नए टैरिफ आदेश के अनुसार अंतर धनराशि के लिए बिल करने के कारण, जो कि 15 मार्च 2016 को अग्रिम आयकर का भुगतान करने के लिए अनुमानित लाभ की गणना करते समय सुनिश्चित करने योग्य नहीं था, कम्पनी के लाभ में ₹ 80.16 करोड़ से ₹ 368.72 करोड़ की वृद्धि हुयी।

प्रबंधन का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि लाभ का आंकलन करते समय, यूपीआरवीयूएनएल ने अंतिम ट्रू-अप पीटीशन के ₹ 215.87 करोड़ से लाभ को कम करने वाले प्रभाव को ध्यान में रखा लेकिन इसने टैरिफ पीटीशन के संभावित लाभ वृद्धि प्रभाव को ध्यान में नहीं रखा, जबकि यूपीईआरसी में एक ही तिथि (06 जुलाई 2015) को दोनों दायर किया गया। चूंकि अग्रिम कर जमा करने में चूक के कारण ₹ 6.41 करोड़ के ब्याज का भुगतान किया गया था, अतः यूपीपीसीएल द्वारा भी इसकी प्रतिपूर्ति नहीं की गयी, परिणामस्वरूप यूपीआरवीयूएनएल को हानि हुई।

प्रकरण सरकार को प्रतिवेदित किया गया (मई 2021)। उत्तर अभी भी प्रतीक्षित है (नवम्बर 2021)।

¹¹⁰ धारा 234 बी के अन्तर्गत अग्रिम कर के भुगतान में चूक के लिये ₹ 2.72 करोड़ एवं धारा 234 सी के अन्तर्गत अग्रिम कर भुगतान के स्थगन के लिए ₹ 3.69 करोड़।

¹¹¹ टीडीएस की राशि जैसा कि आयकर रिटर्न में दिखाया गया है।

¹¹² अनुज्ञप्तिधारी (डिस्कॉम) सम्बंधित वर्ष के लिए टैरिफ निर्धारण के समय लिए गए संभावित व्ययों एवं आय और अनुमोदित लेखाओं के आधार पर वास्तविक व्ययों एवं आय के मध्य के अंतर का समाधान करने के लिए विद्युत नियामक आयोग में ट्रू-अप पीटीशन दायर करता है। वास्तविक और अनुमानों के मध्य के अंतर को आगामी अवधि के लिए निर्धारित टैरिफ में समायोजित किया जाता है।

¹¹³ वित्तीय वर्ष 2014-15 से 2018-19 के लिए बहुवर्षीय टैरिफ।

¹¹⁴ वित्तीय वर्ष 2014-15 से 2018-19 के लिए बहुवर्षीय टैरिफ निर्धारण हेतु।